

## मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिड़न मार्केट, भोपाल-462016



याचिका क्रमांक 02/2013

उपस्थित :

राकेश साहनी, अध्यक्ष

ए. बी. बाजपेयी, सदस्य

आलोक गुप्ता, सदस्य

**विषय:**—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 86(1) (क) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) द्वारा दाखिल किये गये टैरिफ आवेदन के आधार पर नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का अवधारण

एमपी पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, रामपुर, जबलपुर

याचिकाकर्ता

### विरुद्ध

1. एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लि., जबलपुर
2. एमपी पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि., जबलपुर
3. राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
4. उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
5. एमएसईबी (धारक कम्पनी) तथा महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसमिशन, कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई

प्रतिवादीगण

## आदेश (Order)

(आज दिनांक 1 अप्रैल, 2013 को पारित किया गया)

1. मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात् "आयोग" कहा गया है) ने नवीन नियंत्रण अवधि, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों) विनियम, 2012 {आरजी-26(II), वर्ष 2012} (जिन्हें एतद् पश्चात् "विनियम" कहा गया है) जारी किया है। इन्हें मप्र शासन के शासकीय राजपत्र में दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित किया गया था।
2. मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ने 10 जनवरी, 2013 को वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 से तत्संबंधी नवीन नियंत्रण अवधि हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ का प्रस्ताव दाखिल किया है। आयोग ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ने (जिसे एतद् पश्चात् "एमपीपीजीसीएल" अथवा "विद्युत उत्पादक कम्पनी" अथवा "याचिकाकर्ता" कहा गया है) द्वारा दाखिल की गई याचिका का सूक्ष्म परीक्षण मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तों) विनियम 2012 में विनिर्दिष्ट किये गये सिद्धांतों, पद्धति तथा मानदण्डों के आधार पर कर लिया है।
3. इस विषय पर समावेदन सुनवाई (Motion Hearing) दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई। आयोग के दैनिक आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2013 के अनुसार याचिका को स्वीकार कर लिया गया तथा याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति समस्त प्रतिवादियों को तामील करने तथा याचिका के सार (gist) का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रण किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये। याचिकाकर्ता को विभिन्न मुद्दों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मय समस्त सहायक आंकड़ों/अभिलेखों के 20 फरवरी, 2013 तक याचिका का आगे सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के संबंध में जमा करने के भी निर्देश दिये गये।
4. आयोग द्वारा उसके दैनिक आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2013 में उठाये गये मुद्दों के संबंध में एमपीपीजीसीएल द्वारा अपना उत्तर पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2013 द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा दिनांक 27, फरवरी, 2013 में उठाये गये मुद्दों की प्रतिक्रिया में याचिकाकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 मार्च, 2013 द्वारा पूरक जानकारी भी प्रस्तुत की गई।
5. इस विषय में जन सुनवाई आयोग कार्यालय में दिनांक 12 मार्च, 2013 को आयोजित की गई। आयोग ने आदेश को अन्तिम करते समय अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों तथा याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई अतिरिक्त जानकारी पर भी विचार किया है।
6. याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई वार्षिक क्षमता स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों की संक्षेपिका निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका : 1 याचिका में दाखिल की गई विद्युत उत्पादन लागत

| विद्युत गृह का नाम                     | स्थाई लागत (करोड़ रुपये में) |                        |                        | ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट) वित्तीय वर्ष 2014- वित्तीय वर्ष 2016 हेतु |
|--|------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|  | वित्तीय वर्ष 2013-2014       | वित्तीय वर्ष 2014-2015 | वित्तीय वर्ष 2015-2016 |   |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन-II          | 124.19                       | 128.01                 | 132.29                 | 142.233   |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन-III         | 219.47                       | 216.68                 | 214.19                 | 99.919  |
| सतपुड़ा संकुल                          | 440.73                       | 461.34                 | 483.99                 | 171.127   |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन-I तथा II | 499.04                       | 508.74                 | 523.96                 | 279.938   |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन-III      | 492.66                       | 486.10                 | 480.13                 | 252.839   |
| <b>ताप विद्युत (Thermal) का योग</b>    | <b>1776.10</b>               | <b>1800.87</b>         | <b>1834.56</b>         |   |
| गांधी सागर                             | 25.64                        | 27.58                  | 29.61                  | -   |
| पेंच                                   | 27.96                        | 29.46                  | 31.10                  | -   |
| बिरसिंहपुर                             | 7.61                         | 7.85                   | 8.11                   | -   |
| बाणसागर पीएच-I, II तथा III             | 200.05                       | 201.30                 | 206.14                 | -   |
| बाणसागर पीएच-IV                        | 21.60                        | 21.29                  | 20.95                  | -   |
| मढीखेड़ा                               | 41.52                        | 41.02                  | 40.57                  | -   |
| बरगी                                   | 32.16                        | 33.98                  | 35.87                  | -   |
| राजघाट                                 | 16.74                        | 17.34                  | 17.98                  | -   |
| <b>जल विद्युत (Hydro) योग</b>          | <b>373.27</b>                | <b>379.81</b>          | <b>390.33</b>          | -   |
| <b>योग</b>                             | <b>2149.37</b>               | <b>2180.68</b>         | <b>2224.89</b>         |   |

तालिका : 2 याचिका में दाखिल की गई तत्ववार उत्पादन लागत

(करोड़ रुपये में)

| ईंधन की लागत  | तत्व  | वित्तीय वर्ष   |                |                |
|---------------|---|--|----------------|----------------|
|               |   | 2013-2014  | 2014-2015      | 2015-2016      |
|               | कोयले की लागत   | <b>3882.45</b>   | <b>3882.45</b> | <b>3893.09</b> |
| क्षमता प्रभार | पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)                                  | 455.26   | 455.26         | 455.26         |
|               | अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation)                                       | 353.87   | 353.87         | 353.87         |
|               | ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges)                   | 217.18   | 187.03         | 164.83         |
|               | प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)                                | 644.94   | 696.04         | 751.35         |
|               | क्षतिपूर्ति रियायत (Compensation Allowance)                           | 11.63  | 13.31          | 14.36          |
|               | विशेष रियायत (Special Allowance)                                      | 23.44  | 25.30          | 27.30          |
|               | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital) | 244.77   | 247.32         | 250.79         |
|               | द्वितीयक ईंधन तेल की लागत (Cost of Secondary Fuel Oil)                | 149.51   | 149.51         | 149.82         |
|               | अन्य प्रभार (Other Charges)   | 48.77  | 53.03          | 57.31          |
|               |   | <b>वार्षिक क्षमता प्रभार (Annual Capacity Charges)</b> | <b>2149.37</b> | <b>2180.68</b> |

7. जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी, पीएच-I की इकाई क्रमांक 3 (क्षमता 62.5 मेगावाट) को दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 से अ-क्रियाशील (de-commission) किया जा चुका है। अतएव, इसे इकाई की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets) तथा पूंजी (equity) को, जैसा कि इस याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया है, के संबंध में इस याचिका में विचार नहीं किया गया है तथा इसे सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी संकुल की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा पूंजी में से घटा दिया गया है।

8. याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2009-2010 से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु पुरानी विद्युत उत्पादक इकाईयों में कुछ मांग आधारित मरम्मत तथा अनुक्षण कार्यों (R&M works) के विरुद्ध परिसम्पत्तियों में वृद्धि की जाना दाखिल किया है। इस संबंध में विनियम वर्ष, 2012 के विनियम 17.2 के अन्तिम परन्तुक के संदर्भ में, जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 31.3.2013 को स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत (Capital cost) तथा नियन्त्रण अवधि के अन्तर्गत प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीकरण (Capitalization) टैरिफ अवधारण का आधार होगा। वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई परिसम्पत्तियों में वृद्धि को आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच द्वारा स्वीकृत किया जाना अभी बाकी है। अतएव, पुराने विद्युत स्टेशनों के संबंध में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा अन्य पूंजीगत लागत घटकों (जिन्हें वित्तीय वर्ष 2009-10 के सत्यापन आदेश में स्वीकार किया गया है), इस आदेश में दिनांक 23 मार्च, 2012 को जारी वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्तिम सत्यापन आदेश में विचार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुराने विद्युत स्टेशनों में मांग आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण पर आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच के उपरान्त तत्संबंधी वर्ष हेतु सत्यापन प्रक्रिया का निष्पादन करते समय पृथक से सुसंगत विनियमों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा। तथापि नवीन विद्युत उत्पादक इकाईयों (जैसे कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III तथा मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन) हेतु दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में पूंजीगत लागत, जैसा कि आयोग ने इसे अपने अन्तिम टैरिफ आदेश में अपनी स्वीकृति प्रदान की है, इस आदेश में विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने टैरिफ अवधि के दौरान कोई प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीकरण दाखिल नहीं किया है।
9. इस आदेश में विद्युत उत्पादन टैरिफ का अवधारण करते समय, आयोग ने कतिपय विषयों पर माननीय विद्युतीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा क्रमशः अपील क्रमांक 24/2010 तथा 105/2010 में दिनांक 21.4.2011 तथा 30.9.2011 में प्रसारित निर्णयों में निर्धारित किये गये सिद्धान्तों तथा क्रियाविधि का अनुसरण किया है।
10. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों तथा ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों की संक्षेपिका निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

**तालिका : 3 इस आदेश के अन्तर्गत अनुज्ञेय किये गये शीर्षवार वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभार**

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | अनुज्ञेय किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार (करोड़ रुपये में) |                      |                      |
|----------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                                     | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ  | 339.71   | 339.71               | 339.71               |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित करते हुए) | 190.64   | 170.76               | 151.91               |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण   | 349.37   | 284.92               | 268.36               |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                                  | 631.43   | 681.46               | 735.61               |
| 5                                | द्वितीयक ईंधन तेल की लागत                                | 145.02   | 145.02               | 145.02               |
| 6                                | क्षतिपूर्ति/विशेष रियायत                                 | 30.38  | 33.55                | 36.21                |
| 7                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                 | 240.58   | 241.76               | 244.32               |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>1927.13</b>   | <b>1897.18</b>       | <b>1921.13</b>       |

तालिका : 4 इस आदेश के अंतर्गत अनुज्ञेय किये गये विद्युत स्टेशनवार क्षमता (स्थाई) प्रभार

| सरल क्रमांक | विवरण  | अनुज्ञेय किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार (करोड़ रुपये में) |                      |                      |
|-------------|--|--|----------------------|----------------------|
|             |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                                     | वित्तीय वर्ष 2013-14 | वित्तीय वर्ष 2013-14 |
| 1           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-II)           | 107.93   | 112.62               | 117.72               |
| 2           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-III)          | 206.50   | 204.47               | 202.70               |
| 3           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल               | 420.35   | 431.09               | 436.45               |
| 4           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-I तथा II)        | 467.93   | 424.82               | 439.81               |
| 5           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-III) 500 मेगावाट | 429.63   | 423.81               | 418.41               |
| 6           | गांधी सागर   | 14.35  | 15.20                | 16.38                |
| 7           | पेंच   | 25.08  | 26.59                | 28.22                |
| 8           | राजघाट   | 13.40  | 13.82                | 14.28                |
| 9           | बरगी   | 17.83  | 18.68                | 18.52                |
| 10          | बाणसागर (I से III)                                   | 167.78   | 170.53               | 174.67               |
| 11          | बाणसागर -IV (झिन्ना)                                 | 14.76  | 14.45                | 14.16                |
| 12          | मढ़ीखेड़ा  | 35.02  | 34.37                | 33.77                |
| 13          | बिरसिंहपुर   | 6.56   | 6.75                 | 6.03                 |
| 14          | योग  | 1927.13  | 1897.18              | 1921.13              |

तालिका : 5 इस आदेश के अंतर्गत अवधारित किये गये ऊर्जा (परिवर्तनीय प्रभार) (रूपये प्रति यूनिट)

| सरल क्रमांक | पावर स्टेशन                                   | वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु एक्सबस ऊर्जा प्रभार (रूपये प्रति यूनिट) |
|-------------|---|---|
| 1           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-II)    | 1.422   |
| 2           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-III)   | 0.988   |
| 3           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल        | 1.711   |
| 4           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-I तथा II) | 2.799   |
| 5           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-III)      | 2.528   |

11. आयोग द्वारा बाणसागर-IV (झिन्ना) के संबंध में प्रभारों की वसूली प्रावधिक आधार पर अनुज्ञेय करते हुए टैरिफ आदेश जारी किया गया है। इस विद्युत स्टेशन के संबंध में अन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ अवधारण के संबंध में याचिका 29 जनवरी 2013 को दाखिल की गई है जिसे आयोग द्वारा अभी विचारार्थ स्वीकार नहीं किया गया है। अतएव, याचिकाकर्ता को इस आदेश के अंतर्गत अवधारित वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों के केवल 95 प्रतिशत भाग की वसूली को मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2012 के अनुसार प्रावधिक आधार पर आयोग द्वारा अन्तिम टैरिफ के भूतलक्षी समायोजन के अध्यक्षीन किया जाना अनुज्ञेय किया जाता है।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को उसके द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु भुगतान किये गये/किये जाने वाले शुल्क की वसूली, बहुवर्षीय विद्युत स्टेशनों हेतु जल प्रभारों हेतु जैसा कि इसे याचिका में दाखिल किया जाए, वास्तविक तौर पर तथा अन्य प्रभार जैसा कि वे सांविधिक

- प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित किये जाएं इनके सत्यापन के अध्याधीन हितग्राहियों से विनियम, वर्ष 2012 के अनुसार आनुपातिक आधार पर करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।
13. याचिकाकर्ता द्वारा वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों की वसूली, ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों के प्रकरण में विनियम, वर्ष 2012 के विनियमों 40.2 तथा 40.3 के अनुसार तथा जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के प्रकरण में विनियम 53 के अनुसार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा ऊर्जा प्रभारों की वसूली ताप विद्युत स्टेशनों के प्रकरण में विनियम वर्ष 2012 के विनियमों 41.2 तथा 41.3 के अनुसार तथा जल विद्युत स्टेशनों के प्रकरण में विनियमों 53.4 से 53.7 के अनुसार की जाएगी।
14. आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देश देता है कि इस आदेश के अन्तर्गत अवधारित विद्युत उत्पादन विद्युत-दर (टैरिफ) दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से लागू होगी तथा बहुवर्षीय सिद्धांतों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2016 तक प्रचालन में रहेगी। याचिकाकर्ता को इस आदेश के कार्यान्वयन हेतु मप्रविनिआ (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 तथा इसमें किये संशोधनों के अनुसार कंडिका 1.30 के अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी कर उचित कदम उठाने होंगे तथा इस आदेश का परिपालन किये जाने संबंधी जानकारी आयोग को प्रस्तुत करनी होगी।
15. उपरोक्तानुसार संलग्न कारणों एवं आधार के साथ पढ़ा गया तथा आदेशित किया गया।

हस्ताक्षरित /—  
(आलोक गुप्ता)  
सदस्य

हस्ताक्षरित /—  
(ए.बी. बाजपेयी)  
सदस्य

हस्ताक्षरित  
(राकेश साहनी)  
अध्यक्ष

दिनांक : 1 अप्रैल, 2013

स्थान : भोपाल

| <b>अनुक्रमणिका</b> |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| <b>विषय सूची</b>   |  |                          |
|                    |  | <b>पृष्ठ<br/>क्रमांक</b> |
| <b>अध्याय-1</b>    |  | <b>9</b>                 |
|                    | भूमिका   | 9                        |
|                    | प्रक्रियात्मक इतिहास   | 11                       |
|                    | जन सुनवाई  | 23                       |
| <b>अध्याय-2</b>    |  | <b>25</b>                |
|                    | एमपीपीजीसीएल की स्थापित क्षमता   | 25                       |
|                    | एमपीपीजीसीएल द्वारा संचालित क्षमता   | 26                       |
|                    | निर्माणाधीन क्षमता में अभिवृद्धि तथा प्रस्तावित नवीन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति                                   | 27                       |
|                    | दिनांक 1.1.2012 की स्थिति में विद्युत स्टेशनों के जीवनकाल के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया प्रतिवेदन | 28                       |
| <b>अध्याय-3</b>    |  | <b>30</b>                |
|                    | <b>पूंजीगत लागत</b>  | 30                       |
|                    | दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियां   | 30                       |
|                    | दिनांक 1 अप्रैल 2013 की स्थिति में संचयी अवमूल्यन  | <b>38</b>                |
|                    | दिनांक 1 अप्रैल 2013 की स्थिति में पूंजी   | 39                       |
|                    | दिनांक 1 अप्रैल 2013 की स्थिति में ऋण अवशेषों की स्थिति  | 41                       |
|                    | नियंत्रण अवधि के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण   | 43                       |
| <b>अध्याय-4</b>    |  | <b>46</b>                |
|                    | वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभार  | 46                       |
|                    | पूंजी पर प्रतिलाभ  | 46                       |
|                    | ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार   | 50                       |
|                    | अवमूल्यन/अवक्षयण   | 57                       |
|                    | प्रचालन तथा संधारण व्यय  | 68                       |
|                    | पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं से संबंधित व्यय  | 71                       |

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
|                 | विशेष रियायत                                  | 72        |
|                 | क्षतिपूर्ति रियायत                            | 74        |
|                 | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                      | 76        |
|                 | द्वितीयक खनिज तेल खपत पर व्यय                 | 84        |
|                 | मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक      | 87        |
|                 | वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों की संक्षेपिका | 88        |
| <b>अध्याय-5</b> |   | <b>94</b> |
|                 | ऊर्जा प्रभार (परिवर्तनीय प्रभार)              | 94        |
|                 | अन्य प्रभार                                   | 99        |

## अध्याय-1 आदेश की पृष्ठभूमि

### भूमिका

1.1 यह आदेश मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) द्वारा दाखिल की गई याचिका क्रमांक 02, वर्ष 2013 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ के अवधारण से संबंधित है। एमपीपीजीसीएल पूर्व में मप्र राज्य विद्युत मण्डल (मप्रराविम) के स्वामित्व वाले विद्युत उत्पादक संयंत्रों की वर्तमान स्वामी है।

याचिकाकर्ता ने मोटे तौर पर निम्न निवेदन किया है :

1.2 "याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन की गतिविधियों में संलग्न मध्यप्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। यह कम्पनी तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (Madhya Pradesh State Electricity Board-MPSEB) की उत्तराधिकारी इकाई है।

1.3 मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) तथा मप्र राज्य की तीन विद्युत वितरण कम्पनियों ने दिनांक 5.6.2012 को परस्पर प्रबंधन तथा निगमित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक अनुबंध का निष्पादन किया जिसके अन्तर्गत इन तीन विद्युत वितरण कम्पनियों ने एमपीपीएमसीएल को विद्युत अधिप्राप्ति (Power Procurement) तथा विद्युत-दर अवधारण याचिकाओं (Tariff Petitions) को दाखिल करने या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविआ), मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (मप्रविआ) तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों, अपीलिय न्यायाधिकारियों (Appellate Tribunal), उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), आदि के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उनका प्रतिनिधित्व करने हेतु आबंधित किया गया है। अतएव, तीन विद्युत वितरण कम्पनियों को पृथक से प्रतिवादी नहीं बनाया गया है।

1.4 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल), जयपुर (जिसे एतद् पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 3 उल्लेखित किया गया है) के मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी द्वारा संचालित सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी, के विद्युत गृह क्रमांक-1 में 40 प्रतिशत तथा गांधी सागर जल विद्युत स्टेशन में 50 प्रतिशत अंशदान है। तत्समय, मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड में प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा संचालित राणा प्रताप सागर जल विद्युत स्टेशन तथा जवाहर सागर जल विद्युत स्टेशन में 50 प्रतिशत अंशदान है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) लखनऊ (जिसे एतद् पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक-4 उल्लेखित किया गया है) तथा एमएसईबी {धारक कम्पनी (Holding Company)} तथा महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (जिन्हें एतद् पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक-5 उल्लेखित किया गया है) मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी द्वारा संचालित क्रमशः राजघाट जल विद्युत स्टेशन में 50 प्रतिशत तथा पंच जल विद्युत स्टेशन में 33.3 प्रतिशत अंशदान है।

1.5 मध्यप्रदेश सरकार ने अधिसूचना दिनांक 3 जून, 2006 द्वारा प्रावधान किया गया था कि एमपीट्रेडको, वर्तमान में मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जनरेशन कम्पनी से सम्पूर्ण विद्युत का क्रय करेगी जिसका दर-निर्धारण मप्रविआ द्वारा किया जाएगा।

- 1.6 विषयवस्तु संबंधी याचिका विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत दाखिल की गयी है। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि विद्युत उत्पादक कम्पनी द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत-दर (टैरिफ) का अवधारण समुचित आयोग द्वारा किया जाएगा। मप्रविनिआ को राज्य सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित की जा रही विद्युत उत्पादक कम्पनियों के विद्युत-दर अवधारण संबंधी अधिकार-क्षेत्र वेष्टित किया गया है जैसा कि इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (क) में प्रतिपादित किया गया है।
- 1.7 आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित किये गये हैं। ये विनियम बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों पर आधारित है तथा इनमें वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रचालन के मानदण्डों को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पत्र क्रमांक मप्रविनिआ/डी(टी) 2012/3533 भोपाल दिनांक 26-12-2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ याचिका नये विनियमों के अनुसार दिनांक 10 जनवरी, 2013 तक दाखिल करना चाहा गया था। यह याचिका आयोग के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के परिपालन में दाखिल की जा रही है।
- 1.8 याचिका आयोग द्वारा अधिसूचित मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम 2012 {आरजी-26(II) वर्ष 2012} में विनिर्दिष्ट निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार तैयार की गई है।
- 1.9 एमपीपीजीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान (टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) में किसी कर का भुगतान नहीं किया है, तथापि एमपीपीजीसीएल द्वारा उत्तरोत्तर निष्पादन में वृद्धि की जा रही है तथा अपनी वित्तीय हानियों में उल्लेखनीय कमी भी की जा रही है तथा कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 20.008 प्रतिशत की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) का भुगतान किये जाने की संभावना है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14, वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE) की गणना 19.38 प्रतिशत की दर पर सकलीकरण द्वारा आधार दर (Base Rate) पर की गई है।
- 1.10 जहां तक 500 मेगावाट क्षमता की संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन इकाई क्रमांक 5 का संबंध है, स्थाई परिसम्पत्तियों (Fixed Assets) के सकल खण्ड (Gross Block) पर दिनांक 31.3.12 की स्थिति के अनुसार विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस इकाई के अन्तिम उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु एक याचिका पूर्व ही से आयोग के विचाराधीन है। दिनांक 1-4-2012 के उपरान्त इस इकाई का विलम्बित कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में कार्य के मूल प्रयोजन हेतु सम्मिलित, अतिरिक्त पूंजीकरण रु. 85.35 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। आयोग द्वारा स्थाई प्रभारों के संबंध में इसके प्रभाव का दावा पृथक से सत्यापन याचिका में पूंजीगत लागत को अन्तिम करते समय किया जाएगा।
- 1.11 मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन तथा बाणसागर-IV (झिन्ना) हेतु स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल खण्ड को दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में लेखा पुस्तकों (Books of Accounts) से लिया गया है। तदनुसार पावर स्टेशनवार क्षमता (स्थाई) प्रभार तथा ऊर्जा दाखिल किये गये हैं।

1.12 याचिकाकर्ता द्वारा निम्नानुसार निवेदन भी किया गया है :

- (अ) वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के विद्युत स्टेशनों का विद्युत उत्पादन टैरिफ का अवधारण करना।
- (ब) उदग्रहणों (levies), करों (Taxes), अभिकरों (duties), सेवा करों (Service Tax), राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों (SLDC Charges), पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में जैसा तथा जब वे लागू हों, रसायनों तथा उपभोग्य वस्तुओं की लागत, कर्मचारियों को बकाया राशियों का किया जाने वाला भुगतान, प्रकाशन व्यय, आदि जैसा तथा जब उनका भुगतान किया जाए, वास्तविक भुगतान के आधार पर अतिरिक्त वसूली हेतु अनुमति प्रदान करना।
- (स) वास्तविक भुगतान के आधार पर अतिरिक्त वसूली हेतु अनुमति प्रदान करना, यदि यह शासकीय नीति में किसी परिवर्तन के कारण या फिर अन्यथा भी अन्य किसी कारण से किसी कर संबंधी दायित्व के कारण वर्ष के दौरान किया जाना अपेक्षित है।

### प्रक्रियात्मक इतिहास (Procedural History)

1.13 विषयान्तर्गत समावेदन सुनवाई (motion hearing) दिनांक 5 फरवरी, 2013 को आयोजित की गई। आयोग के दैनिक आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2013 के माध्यम से याचिका को अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वीकार कर लिया गया तथा याचिकाकर्ता को विषयान्तर्गत याचिका की प्रतियां समस्त प्रतिवादियों को तामील किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। याचिका के प्रारंभिक परीक्षण पश्चात्, याचिकाकर्ता को विभिन्न विषयों के संबंध में दिनांक 20 फरवरी, 2013 तक समस्त सहायक आंकड़ों/अभिलेखों सहित आयोग को प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश भी प्रसारित किये गये।

1.14 आयोग के पत्र क्रमांक 07-12/सीएस-एमपीपीजीसीएल/एमपीईआरसी/पी क्रं. 2, वर्ष 2013/222 दिनांक 20 फरवरी, 2013 के प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा उठाये मुद्दों (Issues) के संबंध में याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया निम्नानुसार दर्शायी गई है:

- (i) मुद्दा : “विषयवस्तु से संबंधित याचिका वित्तीय वर्ष 2011-12 के वार्षिक अंकेक्षित लेखों पर आधारित है जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा अभी तक दाखिल नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे याचिका के अनुवर्ती परीक्षा हेतु यथाशीघ्र दाखिल किये जाएं।”

एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया :

वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु एमपीपीजीसीएल अंकेक्षित के लेखों की अपेक्षित वार्षिक विवरणिका एतद अनुसार दाखिल की जा रही है (परिशिष्ट-1)।

- (ii) मुद्दा : “आयोग के पत्र दिनांक 1.1.2013 द्वारा याचिकाकर्ता को विशिष्ट रूप से टैरिफ याचिका के साथ नवीन नियंत्रण अवधि के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा इसके बाद की अवधि के पावर स्टेशनवार परिसम्पत्ति सह-अवमूल्यन पंजी दायर किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इन पंजियों को आयोग के समक्ष दाखिल करने का उद्देश्य याचिका में दावा किये गये अवमूल्यन का सूक्ष्म परीक्षण किया जाना है।”

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

पावर स्टेशनवार परिसम्पत्ति-सह-अवमूल्यन पंजियां आयोग के समक्ष एमपीपीजीसीएल द्वारा दिनांक 5.2.2013 को पत्र क्रमांक 07-12/सीएस-एमपीपीजीसीएल/एमपीईआरसी/एमवाईटी पिटीशन-एफवाई 14 टू एफवाई 16/138 दिनांक 4.2.2013 द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

- (iii) मुद्दा : "जहां तक याचिका में अतिरिक्त पूंजीकरण (additional capitalization) का संबंध है, याचिकाकर्ता से विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक के अतिरिक्त पूंजीकरण के विवरण तथा एक विस्तृत उत्तर निम्न मुद्दों पर उनके अतिरिक्त पूंजीकरण के दावे के समर्थन में मय समस्त सुसंबद्ध सहायक अभिलेखों के प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है।"

- क्या परिसम्पत्ति में वृद्धि विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 20 के अन्तर्गत दर्शाये गये कारणों (ए) से (जी) के अनुसार है ?

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया – हां

- क्या याचिकाकर्ता द्वारा पुरानी परिसम्पत्तियों की प्रतिस्थापन से संबंधित किसी व्यय के संबंध में मूल लागत में से मूल परिसम्पत्ति के सकल मूल्य के अपलेखन के संबंध में यथोचित ध्यान रखा गया है ?

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

पुरानी परिसम्पत्तियों को बदले जाने के संबंध में किसी व्यय को पुस्तांकित (booked) नहीं किया गया है

- क्या परिसम्पत्ति पंजियों में पुरानी सम्पत्तियों के प्रतिस्थापन के संबंध में इनकी मूल लागत में से परिसम्पत्ति के सकल मूल्य के अपलेखन के प्रभाव के बारे में विचार किया गया है ?

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

लागू नहीं होता है

- परिसम्पत्ति वृद्धि के बारे में वर्षवार योजनाएं प्रत्येक कार्य हेतु पूर्ण विवरण सहित मय अनुमोदित प्राक्कलित कार्य पूर्ण किये जाने संबंधी लागत को दर्शाते हुए।
- प्रत्येक इकाई में निष्पादित किये गये अतिरिक्त कार्यों का प्रकार, उसकी लागत दर्शाते हुए

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

- परिसम्पत्ति वृद्धि के संबंध में वर्षवार तथा विद्युत गृह संबंधी विवरण तथा नवीन क्रियाशील की गई परियोजनाओं (यथा 210 मेगावाट अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन 500 मेगावाट संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन तथा बाणसागर, पीएच-4 जल विद्युत स्टेशन) के अलावा परियोजनाओं के अतिरिक्त कार्यों हेतु नवीन कार्यों के प्रकार संबंधी विवरण उनकी तत्संबंधी अन्तिम टैरिफ याचिका के साथ आयोग को पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके हैं।
- क्या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है ?

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

“पैरा 4 (v)में प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन तत्संबंधी ऋण अनुबंधों के साथ संलग्न किये गये हैं।

- प्रत्येक मांग आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य (R&M Work) हेतु अर्जित लागत लाभ संबंधी विवरण

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

निष्पादित कार्य विद्युत गृह के दक्ष संचालन हेतु अत्यावश्यक थे। अतएव, अर्जित लाभ का मापन नहीं किया जा सकता है।

- (iv) मुद्दा : “याचिकाकर्ता ने याचिका के पैरा 8.2 में दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में कुल पूंजी के पावर स्टेशनवार विवरण दाखिल किये हैं परन्तु इसके लिये उसके द्वारा वर्षवार विभाजन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव याचिकाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त उल्लेखित जानकारी के संबंध में वर्षवार विवरण जैसा कि इसे याचिका के पैरा 9.2 के अन्तर्गत ब्याज तथा वित्त प्रभारों के संबंध में प्रस्तुत किया है, उपलब्ध कराये ।”

### एमपीपीजीसीएलकी प्रतिक्रिया

दिनांक 1.4.2012 की स्थिति में ऐसी परियोजनाओं के संबंध में पूंजी संबंधी वर्षवार तथा विद्युत गृहवार विवरण, का नवसंचालित (newly commissioned) विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर, परिशिष्ट-3 में संलग्न किया गया है।

- (v) मुद्दा : “यह पाया गया है कि अतिरिक्त पूंजीकरण के अन्तर्गत कुछ ऋण योजनाएं नई हैं। याचिकाकर्ता द्वारा नई योजनाओं के संबंध में ऋण अभिलेख/अनुबंध मय उनकी निबन्धन तथा शर्तों के तथा ऐसे ऋणों के संबंध में अन्य विवरण दाखिल किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे प्रत्येक ऋण के विरुद्ध पूंजीकृत परिसम्पत्ति/ जिसे पूंजीकृत किया जाना अपेक्षित, है भी पावर स्टेशनवार दाखिल किया जाना आवश्यक है।

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

पावर फायनेंस कार्पोरेशन (PFC)/मप्र सरकार की नवीन ऋण योजनाओं के संबंध में अभिलेख/अनुबन्ध, नवीन क्रियाशील की गई विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर, परिशिष्ट-4ए तथा 4 बी में संलग्न है। नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में दावा किये गये अतिरिक्त पूंजीकरण के संबंध में वित्तीय प्रबन्धन के विवरण परिशिष्ट-4 सी में संलग्न किये गये हैं।

- (vi) मुद्दा "नवीन ऋणों के संबंध में, याचिकाकर्ता से योजनावार विवरण जैसे कि ऋण प्रदाय अभिकरण (lending agency) का नाम, ऋण की अवधि, स्वीकृति की दिनांक तथा राशि, वर्षवार आहरण तथा अवशेष राशि के विवरण, परिसम्पत्तियां जिनका सृजन किया गया है तथा जिसे प्रत्येक ऋण हेतु लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किया गया है, दाखिल किये जाने की अपेक्षा की जाती है।"

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

ऋण प्रदाय अभिकरण के संबंध में नवीन ऋण, ऋण की अवधि, स्वीकृति की दिनांक तथा राशि, वर्षवार आहरण तथा अवशेष राशि तथा तत्संबंधी विद्युत स्टेशनों को आवंटन के संबंध में विवरण परिशिष्ट-5ए तथा 5बी में संलग्न किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, अंकेक्षित लेखा पुस्तकों के संबंध में पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों के बारे में वित्त प्रबन्धन विवरण परिशिष्ट-4(v) में संलग्न किये गये हैं।

- (vii) मुद्दा : "पावर स्टेशनवार भारित औसत ब्याज दर के संबंध में याचिकाकर्ता से याचिका में दावा किये गये पावर स्टेशनवार भारित औसत ब्याज दर से संबंधित समस्त सहायक अभिलेख दाखिल किये जाने आवश्यक हैं।"

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 तक की नियंत्रण अवधि के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में दावा किये गये पावर स्टेशनवार भारित औसत ब्याज दर संबंधी विवरण परिशिष्ट-6ए, 6बी तथा 6सी में संलग्न किये गये हैं।

- (viii) मुद्दा : "याचिकाकर्ता से माह सितम्बर, 2012 से माह नवम्बर 2012 तक की अवधि के दौरान क्रय किये गये द्वितीयक ईंधन तेल (Secondary fuel oil) (पावर स्टेशनवार) के मूल्य के संबंध में तेल का सकल ऊष्मीय मान (GCV) दर्शाते हुए सहायक अभिलेख बिल/इन्वॉयस दाखिल किये जाने की अपेक्षा की जाती है।"

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

माह जुलाई, 2012 के दौरान अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चर्चई तथा माह सितम्बर, 2012 से माह नवम्बर, 2012 तक सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी तथा संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बिरसिंहपुर हेतु क्रय किये गये पावर स्टेशनवार द्वितीयक, ईंधन तेल की

लागत के विवरण परिशिष्ट 7ए, 7बी तथा 7सी में संलग्न किये गये हैं। जहां तक द्वितीयक ईंधन तेल के सकल ऊष्मीय मान का संबंध है, निवेदन है कि प्रयोज्य BIS : 1593-1982 तथा 1988 तथा IS : 1460 'Schedule of Guaranteed Technical Particulars' के अनुरूप फर्नेस आईल (FO), हाई स्पीड डीजल (HSD) तथा लाईट डीजल आईल (LDO), 10000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम औसत ऊष्मीय मान (average calorific value) दर्शाते हुए एक विवरण पत्र संलग्न किया गया है।

- (ix) मुद्दा : "मप्र शासन को देय जल प्रभार (water charges), जैसा कि इसका दावा याचिका में किया गया है, का आधार प्रस्तुत किया जाए।

#### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

मध्यप्रदेश शासन को देय जल प्रभारों की गणना मप्र शासन, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 18-1/91/माध्यम/31/797 दिनांक 30.11.10 (परिशिष्ट-9) के आधार पर की गई है। ये दरें केवल एक कलेण्डर वर्ष के लिये ही लागू की जाती हैं, अतएव ये दरें वित्तीय वर्ष के दौरान, अर्थात् माह अप्रैल से दिसम्बर तक तथा माह जनवरी से मार्च तक अलग-अलग होती हैं। जल प्रदाय के स्रोत के प्रकार, जैसे कि शासकीय अथवा एमपीपीजीसीएल के जल विद्युत स्टेशन के स्वयं के स्रोत पर आधारित, तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा अनुमोदित माहवार रूपांकन ऊर्जा परिदृश्य वर्षक्रम (monthwise Designed Energy Spectrum) के अनुसार, जैसा कि इसे आयोग को पत्र क्रमांक 07-12/सीएस-एमपीपीजीसीएल/एमपीईआरसी/न्यू नार्म्स/642 दिनांक 29.06.2012 द्वारा सूचित किया गया है, के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 तक जल विद्युत स्टेशनों के लिये जल प्रभारों की गणना की गई है तथा इसे परिशिष्ट-10 के अनुसार संलग्न किया गया है।

जलप्रदाय की लागत की गणना हेतु, माह, अप्रैल से नवम्बर, 2012 (8 माह) की अवधि के दौरान वास्तविक भुगतान किये गये जल प्रभारों को समग्र वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु जल प्रभारों के प्रक्षेपण हेतु माना गया है। जैसा कि संबंधित तालिका से स्पष्ट है, जल प्रभारों की दर में प्रत्येक क्रमिक कलेण्डर वर्ष हेतु 20 पैसे प्रति घनमीटर की दर से वृद्धि हो रही है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013 हेतु जल प्रभारों की लागत की गणना की गई है तथा जल प्रभारों की दर में वृद्धि की गणना हेतु गुणकों (multiplying factor) को प्राप्त किया गया है तथा इस प्रकार ऊर्जा में वृद्धि {मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) को मानकर} की गणना हेतु, तदनुसार पावर स्टेशनवार जल प्रभारों की गणना वित्तीय वर्ष 2014, वित्तीय वर्ष 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2016 हेतु की गई है तथा इसे परिशिष्ट-11 में संलग्न किया गया है।

- (x) मुद्दा : ऊर्जा प्रभारों (energy charges) के संबंध में, याचिकाकर्ता से निम्न विवरण प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है :

ए. माह नवम्बर, 2012 के दौरान सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी में कोयले की दर अधिक होने का कारण।

**एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया**

सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी में माह नवम्बर 2012 में कोयले की उच्चतर दर (रु. 3831/मीट्रिक टन ) का उल्लेख टंकण में त्रुटि के कारण हुआ है जिसे रु. 2225/मीट्रिक टन पढ़ा जाए। तथापि, कोयले की भारित औसत दर में कोई परिवर्तन नहीं है। याचिका के पृष्ठ 26 पर संशोधित तालिका को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

*(दर रूपये प्रति मीट्रिक टन में)*

| पावर स्टेशन                                 | सितम्बर-12 | अक्टूबर-12 | नवम्बर-12 | कोयले की भारित औसत दर |
|---|------------|------------|-----------|-----------------------|
| अमर कंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच -II        | 1883       | 1884       | 1887      | 1884                  |
| अमर कंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच -III       | 1337       | 1383       | 1411      | 1377                  |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल            | 2110       | 2169       | 2225      | 2176                  |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | 4037       | 3484       | 3831      | 3754                  |

उपरोक्त उल्लेखित त्रुटि में सुधार विक्रय हेतु पत्र क्रमांक 214 दिनांक 18.2.2013 द्वारा अग्रोषित की गई टैरिफ याचिका की प्रतियों में समाविष्ट किया जा चुका है।

- बी. याचिका में दावा किये गये अनुसार कोयले की भारित औसत दर का विस्तृत गणना पत्रक, सहायक अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जाए।

**एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया**

वर्तमान याचिका में माने गये समस्त ताप विद्युत स्टेशनों के संबंध में कोयले की भारित औसत दर की प्राप्ति के संबंध में गणना के विवरण परिशिष्ट-12 में संलग्न किये गये हैं।

- सी. क्या याचिका में कोयले की दर की गणना करते समय परिवहन हानियों (Transit Losses) पर विचार किया गया था ?

**एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया**

यहां यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि कोयले की भारित औसत लागत में परिवहन तथा हस्तालन हानि (Transit and Handling Loss) को नहीं जोड़ा गया है जैसा कि इसे तालिका 7.1.1 में दर्शाया गया है। तथापि, मानदण्डीय आधार पर परिवहन तथा हस्तालन हानियों के प्रभाव को एक्स बस ऊर्जा प्रभारों की दर की गणना में माना गया है जैसा कि इसे तत्संबंधी ताप विद्युत स्टेशनों हेतु तालिका 7.3.1 में दर्शाया गया है।

- डी. समस्त ताप विद्युत स्टेशनों के संबंध में मासिक कोयला विश्लेषण प्रतिवेदन, कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान (wt average GCV) दर्शाते हुए, तत्संबंधी माह के लिये प्रस्तुत किया जाए।

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

समस्त ताप विद्युत स्टेशनों हेतु भारत औसत सकल ऊष्मीय मान की प्राप्ति के संबंध में गणना संबंधी विवरण परिशिष्ट-13 में संलग्न किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, वांछित पावर स्टेशनवार मासिक कोयला विश्लेषण प्रतिवेदन परिशिष्ट-14ए, 14बी तथा 14सी में संलग्न किये गये हैं।

- ई. संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन हेतु माह सितम्बर, 2012 से माह नवम्बर, 2012 तक प्राप्त किये गये विभिन्न श्रेणियों के कोयले से संबंधित विस्तृत विभाजन (breakup), इसकी क्रय दर तथा सकल ऊष्मीय मान (GCV) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए। संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बिरसिंहपुर में प्राप्त किये गये कोयले बाबत मासिक कोयला विश्लेषण प्रतिवेदन तथा संयुक्त नमूना प्रतिवेदन (Joint Sampling reports) भी प्रस्तुत किये जाएं।

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बिरसिंहपुर में प्राप्त किये गये कोयले की विभिन्न श्रेणियों बाबत माहवार विस्तृत विभाजन, इनकी दरों को प्रदर्शित करते हुए परिशिष्ट-15 में संलग्न हैं। वांछित माहवार कोयला विश्लेषण प्रतिवेदन भी परिशिष्ट-16 में संलग्न हैं।

- एफ. विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 41.5 के अनुसार अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन 210 मेगावाट के संबंध में कोयले का जुड़ाव (Linkage of Coal) संबंधी विवरण प्रस्तुत किया जाए।

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

निवेदन किया गया कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-3(210 मेगावाट क्षमता) हेतु दीर्घकालीन कोयला जुड़ाव, स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी (दीर्घकालीन) कोयला तथा खान मंत्रालय द्वारा आदेश क्रमांक, 47011/2002-सीपीएएम (भाग-2) नई दिल्ली दिनांक 4.2.2003 के माध्यम से आवंटित किया गया है (देखें परिशिष्ट-17)। अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-3 (210 मेगावाट) को कोयले की आपूर्ति साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) द्वारा उनकी कोरबा क्षेत्र की खदानों से भारतीय रेल के माध्यम से की जा रही है। अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2 (2 x 120 मेगावाट) हेतु सांगमा रेलवे साइडिंग (Siding) से स्वयं की रेल व्यवस्था (विभागीय वैगनों के माध्यम से) द्वारा तथा अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-3 (1x210 मेगावाट) हेतु कोरबा क्षेत्र से भारतीय रेल के माध्यम से, कोयले की प्राप्ति को प्रदर्शित करने के संबंध में सुसंबद्ध अभिलेख की प्रति संलग्न है।

- जी. कोयले की दर, लागत तथा सकल ऊष्मीय मान (GCV) के संबंध में स्टेशनवार विवरण यदि इसकी व्यवस्था जुड़ाव (लिंकेज) के अलावा कोल इंडिया लिमिटेड की किसी सहायक कम्पनी द्वारा की जा रही है।

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त किये जा रहे जुड़ाव के अलावा भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप उसके ताप विद्युत स्टेशनों के लिये स्वदेशी कोयले की कमी की पूर्ति हेतु एमपीपीजीसीएल द्वारा आयातित कोयले (Imported Coal) की अधिप्राप्ति भी की जा रही है। सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बिरसिंहपुर तथा अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्च हेतु विदेशी मूल की कोयला आपूर्ति हेतु कम्पनी द्वारा जारी अन्तिम आदेश मेसर्स अडानी एन्टरप्राइसेस लिमिटेड, अहमदाबाद को क्रमांक 07-03/टीएस-44/इम्पोर्ट कोल/ओआरडी/3714 दिनांक 20.11.2012 द्वारा जारी किया गया है, जिसे परिशिष्ट-19 के अनुसार संलग्न किया गया है।

विदेशी मूल के कोयले के लिये प्रत्याभूत आधार मानदण्ड (Guaranteed Base Parameters) निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं :

|    |                                       |                                  |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|
| अ) | सकल ऊष्मित मान (GCV) (एडीबी)          | 6300 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम |
| ब) | राखड़ मात्रा (Ash Content) (एडीबी)    | 10 प्रतिशत                       |
| स) | गंधक मात्रा (Sulphur Content) (एडीबी) | 0.8 प्रतिशत                      |
| द) | कुल नमी (Total Moisture) (एडीबी)      | 14 प्रतिशत                       |

- 1.15 याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई याचिका तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अध्ययन उपरान्त, आयोग द्वारा पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी में कतिपय विषयों जैसे कि याचिका में दावा किये गये अतिरिक्त पूंजीकरण तथा अवमूल्यन/अवक्षयण के संबंध में अभी भी स्पष्टता का अभाव था। आयोग के पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2013 के माध्यम से याचिकाकर्ता को इन मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। याचिकाकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 मार्च, 2013 द्वारा आयोग द्वारा उठाये गये मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल की गई। आयोग द्वारा उठाये गये मुद्दों पर याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया निम्नानुसार दर्शाई गई है :

- (i) मुद्दा : “याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु पावर स्टेशनवार वार्षिक अंकेक्षित लेखों के लागत घटकों का विभाजन दाखिल नहीं किया है। अतएव, याचिकाकर्ता से पूंजीगत लागत का स्टेशनवार विभाजन तथा समग्र रूप से कम्पनी के अंकेक्षित तुलन-पत्र के लाभ-हानि लेखों के अन्तर्गत घटकों को दाखिल किये जाने की अपेक्षा की जाती है।”

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

एमपीपीजीसीएल की स्थाई परिसम्पत्तियों/आस्तियों के सकल खण्ड (Gross Block) का पावर स्टेशनवार विभाजन का विवरण वित्तीय वर्ष 12 के अंकेक्षित वार्षिक लेखा विवरणिका की अनुसूची-11 के अनुसार परिशिष्ट-1 में संलग्न है। तथापि, जैसा कि चाहा गया है, वित्तीय वर्ष 12 हेतु अंकेक्षित वार्षिक लेखा विवरणिका के लाभ-हानि विवरण के घटकों का विभाजन वर्तमान में तैयार किया जा रहा है तथा इसे शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

- (ii) मुद्दा : “अतिरिक्त पूंजीकरण के संबंध में याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया अपर्याप्त है तथा इसमें स्पष्टता का भी अभाव है। याचिका में दायर किये गये अतिरिक्त पूंजीकरण के उचित सूक्ष्म परीक्षण हेतु, याचिकाकर्ता द्वारा निम्न विवरणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है” :
- (ए) याचिका में दावा किये गये अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिये अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु मूल रूप से स्वीकृत की गई पावर स्टेशनवार राशि के विवरण

**एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया :**

याचिका में दावा किये गये अनुसार अतिरिक्त पूंजीकरण के बारे में मूल तौर पर स्वीकृत की गई पावर स्टेशनवार राशि के विवरण निम्नानुसार है :

**1. अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2, चर्चई**

तत्कालीन मप्रराविमं (MPSEB) के मण्डल द्वारा मेसर्स पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) से वित्तीय सहायता प्राप्ति के लिये अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चर्चई की 2x120 मेगावाट इकाई क्रमांक 3 तथा 4 (पावर हाऊस-2) के मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों (R&M Works) के लिये वित्तीय सहायता प्राप्ति के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया था। तदनुसार, पीएफसी ऋण क्रमांक 20104021, राशि रु. 99.00 करोड़ की राशि, प्राक्कलित परियोजना लागत रु. 124.30 करोड़ के विरुद्ध मप्रराविमं द्वारा प्राप्त की गई थी जिसे मप्र शासन द्वारा प्रत्याभूत (guarantee) किया गया था तथा वचनबद्धता भी प्रदान की गई थी (प्रतिलिपि परिशिष्ट-2 अनुसार संलग्न है)। आयोग द्वारा इस ऋण के बारे में अपनी अभिस्वीकृति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 के सत्यापन आदेश में ब्याज तथा वित्त प्रभारों को अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

**2. सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी**

मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी हेतु मरम्मत तथा अनुरक्षण गतिविधियों तथा कार्यों हेतु आदेश दिनांक 21.02.2007 तथा 07.05.2007 द्वारा क्रमशः रु. 12.00 करोड़ तथा रु. 13.40 करोड़ की राशि का अनुमोदन प्रदान किया गया था। कथित अनुमोदन आदेशों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट-3ए तथा 3बी अनुसार संलग्न हैं। कथित राशि का वित्तीय प्रबन्धन मेसर्स पीएफसी के ऋण क्रमांक 20704001 तथा मप्र शासन के ऋणों के माध्यम से किया गया है। इन ऋणों से संबंधित विवरण/अनुबन्ध आयोग के समक्ष पत्र दिनांक 20.02.2013 के माध्यम से प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

**3. संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1 तथा 2**

मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1 तथा 2 बिरसिंहपुर हेतु मरम्मत तथा अनुरक्षण गतिविधियों तथा कार्यों हेतु आदेश दिनांक 21.02.2007 द्वारा राशि रु. 24 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया था। कथित अनुमोदन आदेशों की प्रतिलिपियां परिशिष्ट-4 पर संलग्न की गई हैं। कथित राशि का वित्तीय प्रबन्धन मेसर्स पीएफसी के ऋण क्रमांक 20704002 तथा मप्र शासन के ऋणों के माध्यम से किया गया है। इन ऋणों से संबंधित विवरण/अनुबन्ध आयोग के समक्ष पत्र दिनांक 20.02.2013 के माध्यम से प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

(बी) ऐसे समस्त कार्यों के विवरण (उनकी अनुमानित राशि दर्शाते हुए या वास्तविक व्यय दर्शाते हुए) जो या तो पूर्ण किये जा चुके हैं या जिन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 तक अतिरिक्त पूंजीकरण के अंतर्गत पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

#### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2, चर्चई, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी तथा संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1 तथा 2 बिरसिंहपुर से संबंधित दिनांक 31.3.2012 तक पूर्ण किये गये मरम्मत तथा अनुरक्षण गतिविधियों तथा कार्यों से संबंधित विवरण क्रमशः परिशिष्ट 5ए, 5बी तथा 5सी पर संलग्न है।

(सी) यदि उपरोक्त कार्यों के संबंध सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया हो तो उसका संदर्भ प्रस्तुत किया जाए।

#### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

उपरोक्त उल्लेखित मरम्मत तथा अनुरक्षण गतिविधियों तथा कार्यों के संबंध में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन संबंधी विवरण पूर्व में बिन्दु (ए) के अन्तर्गत दर्शाये जा चुके हैं। (देखें परिशिष्ट 2, 3ए, 3बी तथा 4)।

(डी) आयोग का अनुमोदन, यदि कोई हो तो उसका उल्लेख किया जाए

#### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

यहां यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 09 हेतु विद्युत उत्पादन टैरिफ के सत्यापन को स्वीकृति प्रदान करते समय अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2 हेतु उपरोक्त मरम्मत तथा अनुरक्षण गतिविधियों तथा कार्यों हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण को अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपरोक्त के साथ-साथ, मप्र शासन, ऊर्जा विभाग ने भी सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन तथा संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1 तथा 2 से संबंधित मरम्मत तथा अनुरक्षण गतिविधियों तथा पूंजीगत प्रकार के कार्यों को भी अनुमोदन प्रदान किया गया है जैसा कि इसका उल्लेख उपरोक्त दर्शाये बिन्दु (ए) के क्रमशः (1) तथा (2) के अन्तर्गत किया गया है। इसके अलावा, आयोग ने याचिका क्रमांक 24/2011 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 25.4.2014 के पैरा 3 द्वारा पूंजीगत व्यय का दावा टैरिफ याचिकाओं के माध्यम से किये जाने हेतु, जैसा तथा जब ये उपगत (incur) किये जाएं, के निर्देश भी दिये हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए इस हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन पृथक से प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। तदनुसार माननीय आयोग के दिशा-निर्देशों का सम्मान करते हुए, एमपीपीजीसीएल ने अब वित्तीय वर्ष 14 से वित्तीय वर्ष 16 से संबंधित बहुवर्षीय टैरिफ में अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार किया है। तथापि, इसे वित्तीय वर्ष 2011 से संबंधित सत्यापन याचिका में शामिल किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही मा. आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ई) याचिकाकर्ता ने सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी के पावर हाऊस क्रमांक 2 तथा 3 हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण का दावा भी प्रस्तुत किया है। याचिका क्रमांक 56/2012 में आयोग के आदेश दिनांक 7 नवम्बर, 2012 के माध्यम से सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी की इकाई क्रमांक 6, 7 8 तथा 9, की मांग आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण योजना को रु. 336.80 करोड़ राशि व्यय किये जाने की सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की गई है। याचिकाकर्ता को यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाएं कि क्या वर्तमान याचिका में उपरोक्त दावा किया गया कथित अतिरिक्त पूंजीकरण आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत व्यय का भाग है।

#### एमपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

यहां उल्लेख करना सुसंगत होगा कि वित्तीय वर्ष 2012 में सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच 2 तथा 3 हेतु विभिन्न मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों हेतु दावा की गई रु. 40.79 करोड़ की राशि सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन की इकाई क्रमांक 6, 7, 8 तथा 9 की मांग आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण योजना से संबद्ध है जैसा कि मा. आयोग द्वारा इसका अनुमोदन याचिका क्रमांक 56/2012 में आदेश दिनांक 7.11.2012 में किया गया है। यह पूंजीगत व्यय उपरोक्त दर्शाये गये बिन्दु क्रमांक (ए), (बी) तथा (सी) में उल्लेखित अतिरिक्त पूंजीकरण के अतिरिक्त है। निष्पादित किये गये कार्यवार विवरण परिशिष्ट-6 में संलग्न किये गये हैं।

(एफ) सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी पावर हाऊस क्रमांक 1 हेतु याचिकाकर्ता ने विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 18.4 के अन्तर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार विशेष राहत (Special Allowance) के लिये विकल्प प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार "विद्युत उत्पादक कम्पनी द्वारा विशेष राहत हेतु एक बार विकल्प दिये जाने पर, ऐसे विस्तार के अन्तर्गत पूंजीगत लागत को पुनरीक्षित किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।" याचिकाकर्ता से इस विनियम के परिप्रेक्ष्य में सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1, हेतु उसके अतिरिक्त पूंजीकरण संबंधी दावे को न्यायोचित ठहराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

#### एमपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

यहां स्पष्ट किया जाता है कि सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 हेतु दर्शाये गये अतिरिक्त पूंजीकरण मात्र सूचक (Indicative) है तथा लेखा पुस्तकों के अनुसार सकल खण्ड के साथ मिलान सुविधा के प्रयोजन हेतु है ताकि मा. आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त जांच की जा सके तथा यह भी कि इस हेतु इसके विरुद्ध किसी प्रकार के अवमूल्यन का दावा नहीं किया गया है जैसा कि बहुवर्षीय टैरिफ याचिका वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 के पृष्ठ क्रमांक 46 पर तालिका क्रमांक 10.5.1 में दर्शाया गया है।

(जी) वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु सत्यापन याचिका में, याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी पावर स्टेशन हेतु किसी प्रकार के अतिरिक्त पूंजीकरण को दाखिल नहीं किया गया था जबकि विषयवस्तु से संबंधित बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में अतिरिक्त पूंजीकरण का दावा वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु भी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु सत्यापन याचिका दाखिल किये जाने के बावजूद, उक्त वर्ष की बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में इसे प्रस्तुत करने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्ट किये जाएं।

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

वित्तीय वर्ष 2010 के उत्पादन टैरिफ के सत्यापन से संबंधित जन सुनवाई के उपरान्त आयोग के अधिकारियों के साथ की गई विस्तृत चर्चा के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण से संबंधित विषय पर भी चर्चा की गई थी जिसका यह निष्कर्ष था कि वित्तीय वर्ष 2011 हेतु उत्पादन टैरिफ की सत्यापन याचिका को दाखिल करते समय (जिसे शीघ्र प्रस्तुत किया जा रहा है) अंकेक्षित वार्षिक लेखा विवरण-पत्रकों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010 हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2011 हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण पर भी विचार किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, निवेदन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2012 के वार्षिक विवरण पत्रों के अनुसार परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रकरणों के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 की नियंत्रण अवधि में भी विचार किया गया है।

- (iii) मुद्दा : “वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, बिरसिहंपुर पीएच 1 तथा 2 का संचित अवमूल्यन 70 प्रतिशत से अधिक तक पहुंच चुका है। विनियम वर्ष 2012 के विनियम 24 (1) (एफ) के अनुसार, अवमूल्यन की दर को विनियम में निर्दिष्ट की गई दर पर इसके 70 प्रतिशत तक पहुंच जाने तक संचयी अवमूल्यन (Cumulative depreciation) प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यित मूल्य को परिसम्पत्तियों के अवशेष जीवनकाल के दौरान प्रसारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक अधिकतम अवमूल्यन 90 प्रतिशत तक न पहुंच जाए। एमपीपीजीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान अवमूल्यन को विनियम के अन्तर्गत उपरोक्त कथित प्रावधान के अनुसार भारित नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान प्रयोज्य दर पर, संचित अवमूल्यन की 70 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाने के बावजूद अवमूल्यन को भारित किये जाने के संबंध में कारण स्पष्ट किये जाएं।”

### एमपीपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 तक के बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में दावा किये गये अवमूल्यन की राशि की गणना सकल खण्ड (Gross Block) के आधार पर दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2012 हेतु अंकेक्षित वार्षिक लेखा विवरण-पत्र के अनुसार की गई है। इसके अतिरिक्त, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन के विद्युत गृहों, अर्थात् पीएच-1 तथा पीएच-2 द्वारा मप्रविनिआ विनियम, 2012 के अनुसार 25 वर्षों के उपयोगी जीवनकाल के विरुद्ध दिनांक 31.3.2013 की स्थिति में क्रमशः 20 वर्ष तथा 14 वर्षों का जीवन काल ही पूर्ण किया गया है। संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन के पीएच-1 तथा पीएच-2 का दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में संचित अवमूल्यन तथा सकल खण्ड के विवरणों को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

| विवरण  | राशि करोड़ रुपये में |
|--|----------------------|
| दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में सकल खण्ड       | 2172.83              |
| दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में संचित अवमूल्यन | 1385.98              |
| संचित अवमूल्यन सकल खण्ड के प्रतिशत के रूप में  | 63.79 प्रतिशत        |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संचित अवमूल्यन की गणना सकल खण्ड के 63.79 प्रतिशत के रूप में की गई है जो दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में 70 प्रतिशत से भी कम है। वित्तीय वर्ष 2013 हेतु तथा तत्पश्चात् किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पूंजीकरण एमपीपीजीसीएल द्वारा वर्तमान

बहुवर्षीय टैरिफ याचिका को दाखिल करते समय प्राक्कलित नहीं किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में यह पूर्वानुमान लगाया जाना कठिन होगा कि संचित अवमूल्यन सकल खण्ड का 70 प्रतिशत कब तक पहुंच पायेगा। अतएव, इस मुद्दे को निराकरण तत्संबंधी वर्षों हेतु लेखों के अंकेक्षित वार्षिक विवरण पत्र पर आधारित विद्युत उत्पादन टैरिफ के सत्यापन के समय किया जाना युक्तिसंगत होगा।

- (iv) मुद्दा : “अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, पीएच-II हेतु भारत अवमूल्यन दर का अवलोकन करते समय यह पाया गया कि अवमूल्यन दर को 6.85 प्रतिशत की दर से भारत किया गया है जो विनियम के अनुसार औसत अवमूल्यन दर से कहीं अधिक है। चूंकि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II की परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन किया जा चुका है, याचिकाकर्ता से अवमूल्यन की उच्च दर का दावा करने के संबंध में कारण दाखिल किया जाना अपेक्षित है।”

#### एमपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2 द्वारा अपना विनिर्दिष्ट जीवन कार्यकाल पूरा किया जा चुका है, अर्थात् मप्रविनिआ विनियम, 2012 के अनुसार निर्धारित 25 वर्षीय जीवन कार्यकाल तथा वर्तमान में इस संयंत्र को कार्य करते हुए 36 वर्ष पूर्ण कर किये गये हैं। यहां यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे पावर स्टेशनों के संबंध में जिनका उपयोगी जीवन कार्यकाल समाप्त हो चुका है, के अवमूल्यन को भारत किये जाने हेतु एमपीपीजीएल के संयुक्त संचालक (लेखा) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2012 हेतु उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ याचिका पर आयोग के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी जिसके अन्तर्गत यह स्पष्टतया प्रतिपादित किया गया था कि ऐसे विद्युत गृह जिनका उपयोगी जीवन कार्यकाल समाप्त हो चुका था, में अवशेष अवमूल्यन की गणना किस प्रकार की जानी चाहिए क्योंकि मप्रविनिआ विनियम वर्ष 2009 के साथ-साथ विनियम वर्ष 2012 में वैयक्तिक परिसम्पत्तियों के जीवन कार्यकाल के बारे में निर्दिष्ट नहीं किया गया है तथा इसके अन्तर्गत केवल नवीन क्रियाशील किये गये पावर स्टेशनों पर ही स्थिति स्पष्ट की गई है।

- (v) मुद्दा : “एमपीपीजीसीएल द्वारा दाखिल की गई परिसम्पत्ति सह अवमूल्यन पंजियों का अवलोकन करते समय यह पाया गया है कि कुछ प्रकरणों में अवमूल्यन की दर को अवमूल्यन की प्रयोज्य दर से अधिक भारत किया गया है। याचिकाकर्ता को उच्च अवमूल्यन दर का दावा करने का औचित्य दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये।”

#### एमपीजीसीएल की प्रतिक्रिया

यथावत

#### जन सुनवाई (Public Hearing)

- 1.16 एमपीपीजीएल द्वारा दाखिल किये गये आवेदन तथा टैरिफ प्रस्ताव का सार निम्न समाचार पत्रों में 14 फरवरी, 2013 को प्रकाशित किया गया :

(अ) दैनिक नवभारत, जबलपुर (हिन्दी)

- (ब) दैनिक आचरण, ग्वालियर (हिन्दी)
  - (स) दैनिक सांध्य प्रकाश, भोपाल (हिन्दी)
  - (द) दैनिक पत्रिका, इंदौर (हिन्दी)
  - (स) दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स, भोपाल (अंग्रेजी)
- 1.17 आयोग को इस विषय पर कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 8 मार्च, 2013 द्वारा भी यह पुष्टि भी की गई है कि इस विषय पर किसी भी हितधारक से टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
- 1.18 आवेदन पर सार्वजनिक सुनवाई आयोग कार्यालय में दिनांक 12 मार्च, 2013 को आयोजित की गई जिसमें याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

अध्याय – 2

याचिका में दाखिल की गई उत्पादन क्षमता की अद्यतन स्थिति

(Status of Generation Capacity filed in the petition)

एमपीपीजीसीएल की स्थापित क्षमता

- 2.1 दिनांक 26.12.2012 की स्थिति में एमपीपीजीसीएल की स्थापित क्षमता 3687.2 मेगावाट (उसके द्विपक्षीय अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में अंशदान को सम्मिलित कर) है जिसमें ताप विद्युत (थर्मल) की 2770 मेगावाट तथा जल विद्युत (हायड्रो पावर) की 917.2 मेगावाट क्षमता शामिल है। संयंत्रवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका : 6 विद्युत संयंत्रों के विवरण

| पावर स्टेशन         |                   |  |                         | स्थापित क्षमता (मेगावाट में) |        |                        |       |
|---------------------|-------------------|--|-------------------------|------------------------------|--------|------------------------|-------|
|                     |                   |  |                         | योग                          |        | एमपीपीजीसीएल का अंशदान |       |
| ताप विद्युत स्टेशन  | 1                 | अंमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन (चचई)          | पीएच II                 | 2 x 120                      | 240    | 100%                   | 240   |
|                     |                   |  | पीएच III                | 1 x 210                      | 210    | 100%                   | 210   |
|                     |                   |  | संकुल (काम्प्लेक्स)     |                              | 450    | 100%                   | 450   |
|                     | 2                 | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन (सारनी)         | पीएच I                  | 4 x 62.5                     | 250    | 60%                    | 150   |
|                     |                   |  | पीएच II                 | 200 + 210                    | 410    | 100%                   | 410   |
|                     |                   |  | पीएच III                | 2 x 210                      | 420    | 100%                   | 420   |
|                     |                   |  | संकुल (काम्प्लेक्स)     |                              | 1080   | 89%                    | 980   |
|                     | 3                 | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (बिरसिंहपुर) | पीएच I                  | 2 x 210                      | 420    | 100%                   | 420   |
|                     |                   |  | पीएच II                 | 2 x 210                      | 420    | 100%                   | 420   |
|                     |                   |  | पीएच III                | 1 x 500                      | 500    | 100%                   | 500   |
|                     |                   |  | संकुल (काम्प्लेक्स)     |                              | 1340   | 100%                   | 1340  |
|                     | 4                 | योग ताप विद्युत उत्पादन                    |                         |                              | 2870   | 95%                    | 2770  |
|                     | जल विद्युत स्टेशन | 1  | चम्बल जल विद्युत स्टेशन | गांधी सागर                   | 5 x 23 | 115                    | 50%   |
| राणा प्रताप सागर    |                   |  |                         | 4 x 43                       | 172    | 50%                    | 86    |
| जवाहर सागर          |                   |  |                         | 3 x 33                       | 99     | 50%                    | 49.5  |
| संकुल (काम्प्लेक्स) |                   |  |                         |                              | 386    | 50%                    | 193   |
| 2                   |                   | पेंच तोतलाडोह जल विद्युत स्टेशन            |                         | 2 x 80                       | 160    | 66.7%                  | 106.7 |
| 3                   |                   | बाण सागर टोंस जल विद्युत स्टेशन            | टोंस पीएच I             | 3 x 105                      | 315    | 100%                   | 315   |
|                     |                   |  | सिलपारा पीएच II         | 2 x 15                       | 30     | 100%                   | 30    |
|                     | देवलौद पीएच III   |  | 3 x 20                  | 60                           | 100%   | 60                     |       |

|                            |                               |                            |        |             |             |               |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|---------------|
|                            |                               | झिन्ना पीएच IV             | 2 x 10 | 20          | 100%        | <b>20</b>     |
|                            |                               | <b>संकुल (काम्प्लेक्स)</b> |        | <b>425</b>  | <b>100%</b> | <b>425</b>    |
| 4                          | बिरसिंहपुर जल विद्युत स्टेशन  |                            | 1 x 20 | 20          | 100%        | <b>20</b>     |
| 5                          | बरगी जल विद्युत स्टेशन        |                            | 2 x 45 | 90          | 100%        | <b>90</b>     |
| 6                          | राजघाट जल विद्युत स्टेशन      |                            | 3 x 15 | 45          | 50%         | <b>22.5</b>   |
| 7                          | मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन    |                            | 3 x 20 | 60          | 100%        | <b>60</b>     |
| 8                          | <b>कुल जल विद्युत उत्पादन</b> |                            |        | <b>1186</b> | 100%        | <b>917.2</b>  |
| <b>कुल विद्युत उत्पादन</b> |                               |                            |        | <b>4056</b> | 90%         | <b>3687.2</b> |

**एमपीपीजीसीएल द्वारा संचालित क्षमता (Generation Capacity Operate by MPPGCL)**

2.2 दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में, एमपीपीजीसीएल द्वारा कुल 3785 मेगावाट की क्षमता संचालित की जा रही है जिसमें 2870 मेगावाट ताप विद्युत (Thermal) तथा 915 मेगावाट जल विद्युत (Hydro Power) शामिल है। इसमें से भी 233.33 क्षमता पर अन्य राज्यों का स्वामित्व है। संयन्त्रवार विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं :

**तालिका : 7 एमपीपीजीसीएल द्वारा संचालित की जा रही विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट में)**

| स्टेशन   | स्थापित क्षमता | मप्र राज्य का अंशदान | अन्य राज्यों का अंशदान |         |              |
|--|----------------|----------------------|------------------------|---------|--------------|
|  |                |                      | मेगावाट                | प्रतिशत | राज्य का नाम |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चर्चई                | 450.0          | 450.0                | 0.0                    |         |              |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच I          | 250.0          | 150.0                | 100                    | 40.00%  | राजस्थान     |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच II तथा III | 830.0          | 830.0                | 0.0                    |         |              |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन बिरसिंहपुर         | 1340.0         | 1340.0               | 0.0                    |         |              |
| <b>ताप विद्युत का योग</b>                        | <b>2870</b>    | <b>2770.0</b>        | <b>100.0</b>           |         |              |
| गांधी सागर                                       | 115.0          | 57.5                 | 57.5                   | 50.00%  | राजस्थान     |
| पेंच   | 160.0          | 106.7                | 53.3                   | 33.33%  | महाराष्ट्र   |
| बाणसागर संकुल                                    | 425.0          | 425.0                | 0.0                    |         |              |
| बिरसिंहपुर                                       | 20.0           | 20.0                 | 0.0                    |         |              |
| मढीखेड़ा   | 60.0           | 60.0                 | 0.0                    |         |              |
| बरगी   | 90.0           | 90.0                 | 0.0                    |         |              |
| राजघाट   | 45.0           | 22.5                 | 22.5                   | 50.00%  | उत्तर प्रदेश |
| <b>कुल जल विद्युत</b>                            | <b>915.0</b>   | <b>781.7</b>         | <b>133.3</b>           |         |              |
| <b>कुल क्षमता</b>                                | <b>3785.0</b>  | <b>3551.5</b>        | <b>233.3</b>           |         |              |

**अन्य राज्यों में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में एमपीपीजीसीएल का अंशदान (MPPGCL's Share in Generation Capacity Installed in Other States)**

2.3 इसी प्रकार, पड़ोसी राज्यों में जल विद्युत उत्पादन क्षमता में एमपीपीजीसीएल के 135.5 मेगावाट के अंशदान को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

**तालिका : 8 अन्य राज्यों में स्थापित की गई विद्युत उत्पादन क्षमता : (मेगावाट में)**

| स्टेशन                       | स्थापित क्षमता | एमपीपीजीसीएल का अंशदान |         | राज्य का नाम   |
|------------------------------|----------------|------------------------|---------|----------------|
|                              |                | मेगावाट                | प्रतिशत | राज्यों के नाम |
| राणा प्रताप सागर             | 172.0          | 86.0                   | 50.00%  | राजस्थान       |
| जवाहर सागर जल विद्युत स्टेशन | 99.0           | 49.5                   | 50.00%  | राजस्थान       |
| <b>योग</b>                   | <b>271.0</b>   | <b>135.5</b>           |         |                |

**निर्माणाधीन क्षमता में अभिवृद्धि तथा प्रस्तावित नवीन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति (Ongoing Capacity Addition and proposed new Projects)**

2.4 एमपीपीजीसीएल ने निर्माणाधीन/प्रस्तावित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत की है :

**i) सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई क्रमांक 10 तथा 11 (2x250 मेगावाट) (Satpura Thermal Power Station Extn. Unit 10 & (2x250 MW)**

सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पर दो इकाईयां विस्तार के रूप में यथा इकाई क्रमांक 10 तथा 11 वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। राज्य शासन द्वारा इन विस्तार इकाईयों का प्रशासकीय अनुमोदन माह जून, 06 में प्रदान किया गया है जबकि एमपीपीजीसीएल संचालक मंडल द्वारा इसे माह अगस्त, 06 में अनुमोदन प्रदान किया गया। भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय का अनुमोदन माह फरवरी, 2009 में प्राप्त अभियांत्रिकी, अधिप्राप्ति तथा निर्माण (EPC) आधार पर मुख्य विद्युत ऊर्जा खण्ड (Main Power Block) तथा तत्पश्चात संशोधित अभिप्राय पत्र मेसर्स भेल को दिनांक 7.4.2008 को जारी किया गया। निष्पादन हेतु, मेसर्स भेल को अभिप्राय पत्र (LOI) दिनांक 10.3.2008 को जारी किया गया। अवशेष संयंत्रों के लिये आवंटन पत्र (LOA) अभियांत्रिकी, अधिप्राप्ति, निर्माण (EPC) आधार पर मेसर्स मेकनली इंजीनियरिंग लिमिटेड को दिनांक 3.4.2010 को जारी किया गया।

विस्तार इकाई क्रमांक 10 तथा 11 हेतु पुनरीक्षित क्रियाशील करने (Commissioning) संबंधी निर्धारित तिथि इन इकाईयों के लिये क्रमशः माह फरवरी, 2013 तथा मई 2013 निर्धारित की गई है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु. 3298 करोड़ प्राक्कलित की गई है।

**ii) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2x600 मेगावाट) – चरण प्रथम (Shri Singaji Thermal Power Project (2x600 MW) - Phase I)**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु प्रशासकीय अनुमोदन माह मई 2001 में प्रदान किया गया। मुख्य ऊर्जा खण्ड समच्चय (package) संविदा को अन्तर्राष्ट्रीय

प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया (ICB routing) के माध्यम से अन्तिम किया गया तथा तदनुसार मुख्य ऊर्जा खण्ड की अभियांत्रिकी, अधिप्राप्ति, निर्माण संविदा (EPC Contract) आदेश दिनांक 12.12.2008 द्वारा मेसर्स भेल को आवंटित की गई। संयंत्रों के अवशेष कार्यों (BoP) के निष्पादन हेतु, अभिप्राय पत्र मेसर्स लार्सन एण्ड टूबो (L&T) को दिनांक 26.10.2009 को जारी किया गया। परियोजना हेतु समस्त स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी हैं।

परियोजना की प्रथम इकाई को माह मार्च 2013 तथा द्वितीय इकाई को माह अगस्त 2013 में क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु. 6750 करोड़ प्राक्कलित की गई है।

iii) **सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (2 x 600 मेगावाट) (चरण द्वितीय जिला खण्डवा {(2x660 MW)Shri Singaji Thermal Power Project (Stage-II) District Khandwa}**

परियोजना को प्रशासकीय अनुमोदन माह जनवरी, 2011 में प्रदान किया गया। विद्युत क्रय अनुबन्ध (PPA) ट्रेडको के साथ दिनांक 4.1.2011 को हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना की प्राक्कलित लागत रु. 6,500 करोड़ है।

iv) **दादा धूनीवाले ताप विद्युत परियोजना 2x800 मेगावाट – ग्राम गोराडिया, जिला खण्डवा {Dada Dhuniwale Thermal Power Project (2x800 MW), Goradia, District Khandwa}**

यह परियोजना मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (BHEL) के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित की जा रही है। मुख्य संयंत्र मय अन्य संबद्ध उपकरणों की स्थापना के प्रयोजन से भारत इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा परियोजना का संस्थापन नामांकित अभियांत्रिकी, अधिप्राप्ति, निर्माण ठेकेदार (nominated EPC contractor) के रूप में किया जाएगा। इस परियोजना की लागत रु. 10,500 करोड़ प्राक्कलित की गई है।

दिनांक 1.1.2012 की स्थिति में विद्युत स्टेशनों के जीवनकाल के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया प्रतिवेदन (Age of Power Stations as on 1-1-2012 as filed by the Petitioner)

2.5 विषयन्तर्गत याचिकाकर्ता द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया गया है :

“ताप विद्युत का सामान्य जीवनकाल 25 वर्ष आंका गया है। इस जीवन कार्यकाल के दौरान भी, विद्युत संयंत्रों के नियमित संधारण को जारी न रखे जाने पर निष्पादन का निरन्तर हास होता चला जाता है। इनके सामान्य जीवन कार्यकाल के पूर्ण होने पर, संयंत्रों को या तो सेवा से निवृत्त (Retire) प्रदान करनी होती है या व्यापक तौर पर इनका नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक होता है ताकि इनके निष्पादन को युक्तियुक्त स्तर पर पुनः वापस लाया जा सके। निम्न तालिका एमपीपीजीसीएल की ताप विद्युत उत्पादक इकाईयों की दिनांक 1.1.2012 की स्थिति में औसत आयु सविस्तार प्रतिपादित करती है, जिसके अनुसार यह देखा जा सकता है कि एमपीपीजीसीएल की ताप विद्युत उत्पादक इकाईयों की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। कुल 17 ताप विद्युत उत्पादक इकाईयों में से 11 इकाईयां जिनकी स्थापित क्षमता 47 प्रतिशत है, द्वारा 25 वर्ष से अधिक अवाधि का जीवन कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया है।

**तालिका : 9 ताप विद्युत स्टेशनों का औसत जीवन कार्यकाल**

|                    |   | पावर स्टेशन  | क्रियाशील किये जाने की तिथि | क्षमता मेगावाट में | दिनांक 1.1.2013 की स्थिति में औसत आयु |           |
|--------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| ताप विद्युत स्टेशन | 1 | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चचई                          | पीएच-2 (दो इकाईयां)         | 1977-78            | 240                                   | 36        |
|                    |   |  | पीएच-3 (एक इकाई)            | 2009               | 210                                   | 4         |
|                    |   |  | संकुल-3 (तीन इकाईयां)       |                    | 450                                   | 21        |
|                    | 2 | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी                        | पीएच-1 (पांच इकाईयां)       | 1967-70            | 312.5                                 | 45        |
|                    |   |  | पीएच-2 (दो इकाईयां)         | 1979-80            | 410                                   | 33        |
|                    |   |  | पीएच-3 (दो इकाईयां)         | 1983-84            | 420                                   | 30        |
|                    |   |  | संकुल (9 इकाईयां)           |                    | 1142.5                                | 35        |
|                    | 3 | संजयगांधी ताप विद्युत स्टेशन, बिरसिंहपुर                 | पीएच-1 (दो इकाईयां)         | 1993-94            | 420                                   | 20        |
|                    |   |  | पीएच-2 (दो इकाईयां)         | 1999               | 420                                   | 14        |
|                    |   |  | पीएच-3 (एक इकाई)            | 2008               | 500                                   | 5         |
|                    |   |  | संकुल (पांच इकाईयां)        |                    | 1340                                  | 12        |
|                    | 4 | <b>कुल ताप विद्युत उत्पादन (17 इकाईयां के माध्यम से)</b> |                             |                    | <b>2772.5</b>                         | <b>22</b> |

2.6 जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों का युक्तियुक्त जीवन कार्यकाल लगभग 35 वर्ष आंका गया है। कुल 26 इकाईयां में से 10 इकाईयां को शामिल करते हुए जिनकी स्थापित क्षमता 385 मेगावाट है (अर्थात्, स्थापित जल विद्युत क्षमता का 42 प्रतिशत) द्वारा 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक अवधि का जीवन कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया है। स्टेशनवार विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

**तालिका : 10 जल विद्युत पावर स्टेशनों का औसत जीवनकाल**

|   |                                | पावर स्टेशन   | क्रियाशील किये जाने की तिथि | क्षमता मेगावाट में | दिनांक 1.1.2013 की स्थिति में औसत आयु |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1 |                                | गांधी सागर (पांच इकाईयां)                               | 1960-66                     | 115                | 50                                    |
| 2 |                                | पेंच तोतलाडोह जल विद्युत स्टेशन (2 इकाईयां)             | 1986-87                     | 160                | 27                                    |
| 3 | बाणसागर टोंस जल विद्युत स्टेशन | I- टोंस (तीन इकाईयां)                                   | 1991-92                     | 315                | 21                                    |
|   |                                | II- सिलपारा (दो इकाईयां)                                | 2002                        | 30                 | 11                                    |
|   |                                | III- देवलोंद (तीन इकाईयां)                              | 2001-02                     | 60                 | 12                                    |
|   |                                | IV- झिन्ना (दो इकाईयां)                                 | 2006                        | 20                 | 7                                     |
|   |                                | संकुल (दस इकाईयां)                                      |                             | 425                | 19                                    |
| 4 |                                | बिरसिंहपुर जल विद्युत स्टेशन (एक इकाई)                  | 1991                        | 20                 | 21                                    |
| 5 |                                | बरगी जल विद्युत स्टेशन (दो इकाईयां)                     | 1988-1992                   | 90                 | 25                                    |
| 6 |                                | राजघाट जल विद्युत स्टेशन (तीन इकाईयां)                  | 1999                        | 45                 | 13                                    |
| 7 |                                | मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन (तीन इकाईयां)                | 2006-07                     | 60                 | 7                                     |
|   |                                | <b>कुल जल विद्युत उत्पादन (26 इकाईयां के माध्यम से)</b> |                             | <b>915</b>         | <b>28</b>                             |

अध्याय – 3

पूंजीगत लागत (Capital Cost)

दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियां (Gross Fixed Assets as on 1-4-2013)

याचिकाकर्ता का निवेदन (Petitioner's Submissions)

3.1 याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अपने अंकेक्षित लेखे के अनुसार (दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में) निम्न स्टेशनवार स्थाई परिसम्पत्तियों तथा संचित अवमूल्यन/अवक्षयण (Fixed assets and Accumulated Depreciation) का सकल खण्ड (Gross Block) दाखिल किया है :

तालिका 11 : दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया प्रारंभिक शेष (Opening Balance) :

| सरल क्रमांक | पावर स्टेशन                                 | दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में प्रारंभिक शेष (करोड़ रुपये में) |                |
|-------------|---|---|----------------|
|             |   | स्थाई परिसम्पत्ति (सकल खण्ड)                                  | संचित अवमूल्यन |
| 1           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II          | 209.08  | 123.83         |
| 2           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III         | 1117.20   | 173.92         |
| 3           | <b>अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई</b>     | <b>1326.29</b>  | <b>297.75</b>  |
| 4           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I           | 47.36   | 42.58          |
| 5           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच II तथा III  | 676.18  | 571.34         |
| 6           | <b>सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन योग</b>       | <b>723.55</b>   | <b>613.92</b>  |
| 7           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच I तथा II | 2172.83   | 1478.21        |
| 8           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच III      | 2066.56   | 460.88         |
| 9           | <b>संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन योग</b>    | <b>4239.39</b>  | <b>1939.09</b> |
| 10          | <b>योग ताप विद्युत</b>                      | <b>6289.22</b>  | <b>2850.75</b> |
| 11          | गांधी सागर                                  | 10.33   | 9.30           |
| 12          | पेंच  | 96.27   | 73.98          |
| 13          | राजघाट                                      | 82.81   | 41.12          |
| 14          | बरगी  | 88.19   | 60.95          |
| 15          | बाणसागर पीएच-I, II तथा III                  | 1249.57   | 566.30         |
| 16          | बाणसागर पीएच-IV                             | 119.72  | 30.76          |
| 17          | मढीखेड़ा                                    | 215.67  | 55.37          |
| 18          | बिरसिंहपुर                                  | 52.15   | 31.93          |
| 19          | <b>योग जल विद्युत</b>                       | <b>1913.54</b>  | <b>869.30</b>  |
|             | <b>योग</b>                                  | <b>8203.93</b>  | <b>3720.46</b> |

- 3.2 याचिकाकर्ता ने दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE) के प्रयोजन से पावर स्टेशनवार अनुज्ञेय पूंजी (सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के तीस प्रतिशत के रूप में) दाखिल की है। पावर स्टेशनवार ऋण के संबंध में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 1.4.2009 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पूंजीगत निर्माण कार्यों (Capital Works) तथा पुराने विद्युत गृहों में मांग आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों तथा नवीन विद्युत उत्पादक इकाईयों (जैसे कि, अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-3, मढ़ीखेड़ा तथा झिन्ना) हेतु प्रारंभिक ऋण अवशेष पर विचार किया है। याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से वित्तीय वर्ष 2011-12 में तत्संबंधी पावर स्टेशनों हेतु अवमूल्यन के बराबर भुगतान की अदायगी पर भी विचार किया गया। उपरोक्त के आधार पर दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में याचिकाकर्ता पावर स्टेशनवार प्रारंभिक पूंजी (Opening equity) तथा ऋण अवशेषों (loan balances) की जानकारी भी दाखिल की गई।

**तालिका 12 : दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में याचिका में दाखिल किये गये पूंजी तथा ऋण के प्रारंभिक शेष**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक | पावर स्टेशन                                 | दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में पूंजी जैसी कि यह पूंजी पर प्रतिलाभ के संबंध में अनुज्ञेय की गई है | दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में प्रारंभिक ऋण अवशेष |
|-------------|---|---|--|
| 1           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II          | 62.73   | 54.02  |
| 2           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III         | 223.42  | 600.38   |
| 3           | <b>अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई</b>     | <b>286.15</b>   | <b>654.40</b>                                    |
| 4           | <b>सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन</b>           | <b>217.06</b>   | <b>0.00</b>                                      |
| 5           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच I तथा II | 651.85  | 24.55  |
| 6           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच III      | 619.97  | 1105.45  |
| 7           | <b>संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन योग</b>    | <b>1271.82</b>  | <b>1130.00</b>                                   |
| 8           | <b>कुल ताप विद्युत</b>                      | <b>1775.03</b>  | <b>1784.40</b>                                   |
| 9           | गांधी सागर                                  | 3.1   | 0.00   |
| 10          | पेंच  | 28.88   | 0.00   |
| 11          | राजघाट                                      | 24.84   | 0.00   |
| 12          | बरगी  | 26.11   | 0.00   |
| 13          | बाणसागर पीएच-I, II तथा III                  | 374.87  | 37.34  |
| 14          | बाणसागर पीएच-IV                             | 35.92   | 15.48  |
| 15          | मढ़ीखेड़ा                                   | 64.7  | 73.06  |
| 16          | बिरसिंहपुर                                  | 15.64   | 0.00   |
| 17          | <b>योग जल विद्युत</b>                       | <b>574.06</b>   | <b>125.88</b>                                    |
| 18          | <b>मुख्यालय</b>                             | <b>0.35</b>   | <b>0.69</b>                                      |
|             | <b>कुल</b>                                  | <b>2349.44</b>  | <b>1910.97</b>                                   |

**विनियमों से संबंधित प्रावधान (Provisions of the Regulations)**

3.3 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तों) विनियम 2012 के विनियम 17 में निम्न प्रावधान किये गये हैं :

“17.1 किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न सम्मिलित होंगे :

(अ) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, जिनमें निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज तथा वित्त प्रभार निर्माणाधीन अवधि में ऋण पर विदेश विनिमय परिवर्तन में जोखिम के कारण कोई लाभ अथवा हानि से जो परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, निम्नानुसार होगा – (i) लगाई गई 70 प्रतिशत निधि के बराबर, ऐसे प्रकरणों में जहां वास्तविक पूंजी लगाई गई निधि से 30 प्रतिशत अधिक हो, आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण माना जाएगा अथवा (ii) लगाई गई निधि के 30 प्रतिशत से कम लगाई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि के बराबर जैसा कि आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच-पड़ताल के उपरान्त स्वीकार किया गया हो, टैरिफ अवधारण का आधार बनेगा।

(ब) प्रारंभिक कलपुजों की पूंजीगत राशि निम्न उच्चस्थ मानदण्डों के अधीन होगी :

(i) कोयला आधारित लिग्नाईट प्रज्ज्वलित ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों के प्रकरण में—मूल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत।

(ii) जल-विद्युत उत्पादक स्टेशनों में – मूल परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत।

परंतु जहां विनियम 17.2 के प्रथम उपबंध के अन्तर्गत प्रारंभिक कलपुजों हेतु मानदण्डीय लक्ष्यों का प्रकाशन पूंजीगत लागत हेतु मानदण्डीय लक्ष्यों के एक भाग के रूप में किया गया हो, ऐसे मानदण्ड उनमें विनिर्दिष्ट किये गये मानदण्डों के अपवर्जन (Exclusion) हेतु लागू होंगे।

(स) विनियम 20 के अन्तर्गत अवधारित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय।

17.2 युक्तियुक्त जांच-पड़ताल के अध्यक्षीन, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई पूंजीगत लागत टैरिफ के अवधारण का आधार बनेगी :

परन्तु आयोग द्वारा पूंजीगत लागत की युक्तियुक्त जांच केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये मार्गदर्शी मानदण्डों के आधार पर की जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा मार्गदर्शी मानदण्डों का अनुप्रयोग नहीं किया जाता हो, युक्तियुक्त जांच-पड़ताल में पूंजीगत व्यय, वित्त प्रबंधन योजना, निर्माणाधीन अवधि के दौरान ब्याज, दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आधिक्य लागत तथा आधिक्य समय सम्मिलित किये जाएंगे, जैसा कि ये आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण हेतु समुचित समझे जाएं :

परंतु यह भी आयोग द्वारा किसी की स्वतंत्र संस्था अथवा विशेषज्ञ द्वारा जल विद्युत-परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के सूक्ष्म परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं तथा ऐसी संस्था अथवा विशेषज्ञ द्वारा किये गये पूंजीगत लागत के सूक्ष्म परीक्षण के निष्कर्षों पर आयोग द्वारा जल-विद्युत परियोजनाओं का टैरिफ अवधारण करते समय विचार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि ऐसे प्रकरण में जहां किसी राज्य सरकार द्वारा बोली की द्वि-स्तरीय पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा किसी जल-विद्युत ऊर्जा उत्पादक स्टेशन का कार्य किसी विकासक संस्था को (जो शासन द्वारा नियंत्रित अथवा शासन के स्वामित्व वाली कंपनी न होगी) को आवंटित किया जाता है, वहां परियोजना के विकासक द्वारा परियोजना कार्य आवंटन हेतु किया गया कोई व्यय अथवा जिसे व्यय किये जाने हेतु वचनबद्ध किया गया है, को पूंजीगत लागत में शामिल नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे जल-विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में, पूंजीगत लागत में निम्न लागतें भी शामिल की जाएंगी :

(अ) राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन नीति (National R & R Policy) तथा पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन समुच्चय (Package) के अनुरूप परियोजना की अनुमोदित पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन योजना लागत; तथा

(ब) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) परियोजना हेतु परियोजना विकासक का 10 प्रतिशत अंशदान :

परंतु यह भी कि जहां उत्पादक कंपनी तथा हितग्राही के मध्य किया गया विद्युत क्रय अनुबंध वास्तविक व्यय हेतु उच्चस्थ सीमा का प्रावधान करता हो, वहां टैरिफ के अवधारण हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञेय किये गये पूंजीगत व्यय पर ऐसी उच्चस्थ सीमा पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 01.04.2013 से पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत जिसे दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में अ-निष्पादित दायित्वों (Undischarged Liabilities) को छोड़कर, यदि कोई हो, सत्यापित किया जाएगा तथा टैरिफ अवधि 2013-16 के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा, पूंजीगत लागत के अवधारण का आधार बनेगा।”

### पूंजीगत लागत के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's analysis on Capital Cost)

- 3.4 विद्यमान परियोजनाओं की पूंजीगत लागत के संबंध में, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2012 के विनियम 17 के अन्तिम परन्तुक में प्रावधान किया गया है कि “विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 01.04.2013 से पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत जिसे दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में अ-निष्पादित दायित्वों (Undischarged Liabilities) को छोड़कर, यदि कोई हो, सत्यापित किया जाएगा तथा टैरिफ अवधि 2013-16 के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाएगा, पूंजीगत लागत के अवधारण का आधार बनेगा।”

- 3.5 कथित विनियम के उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा विद्यमान पावर स्टेशनों के संबंध में पूंजीगत लागत तथा नियन्त्रण अवधि के अन्तर्गत प्रक्षेपित किये जाने वाला अतिरिक्त पूंजीगत व्यय विद्युत-दर अवधारण का आधार बनेगा। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अन्तिम सत्यापन आदेश वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंकक्षित लेखों के आधार पर 23 जनवरी, 2013 को जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा कुछ नवीन विद्युत उत्पादक स्टेशनों (जैसे कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई-5, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, विस्तार इकाई-5 तथा मढ़ीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन, आदि) हेतु अन्तिम टैरिफ आदेश निम्न तालिका में दर्शायेनुसार जारी किये गये :

**तालिका 13 : आयोग द्वारा जारी किया अन्तिम सत्यापन आदेश/अन्तिम टैरिफ आदेश**

| सरल क्रमांक | विवरण  | टैरिफ/सत्यापन की अवधि                           | आदेश तिथि  |
|-------------|--|---|------------|
| 1           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन 210 मेगावाट हेतु अन्तिम टैरिफ आदेश    | क्रियाशील तिथि (CoD) से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक | 01.05.2012 |
| 2           | उत्पादन टैरिफ का सत्यापन   | वित्तीय वर्ष 2009-10                            | 23.01.2013 |
| 3           | मढ़ीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन                                      | क्रियाशील तिथि (CoD) से वित्तीय वर्ष 2011 तक    | 31.01.2013 |
| 4           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन 500 मेगावाट हेतु अन्तिम टैरिफ आदेश | क्रियाशील तिथि (CoD) से वित्तीय वर्ष 2011 तक    | 28.02.2013 |

- 3.6 आयोग द्वारा बाणसागर-IV (झिन्ना) के लिये मी प्रावधिक टैरिफ आदेश जारी किया गया। इस जल विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु अन्तिम विद्युत उत्पादन टैरिफ के अवधारण बाबत याचिका हाल ही में 29 जनवरी, 2013 को दाखिल की गई जिसे आयोग द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।
- 3.7 याचिका के पैरा 10.4 में, याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुराने पावर स्टेशनों में मांग आधारित नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (renovation and modernization) परिसम्पत्तियों में वृद्धि तथा नवीन विद्युत उत्पादक इकाईयों में अतिरिक्त पूंजीकरण के संबंध में अपने प्रस्ताव दाखिल किये गये हैं (जिन्हें आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाना अभी बाकी है)। याचिकाकर्ता ने नियंत्रण अवधि के दौरान किसी पावर स्टेशन में अतिरिक्त पूंजीकरण के लिये कोई प्रक्षेपण दाखिल नहीं किये हैं। दैनिक आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2012 के माध्यम से, आयोग द्वारा याचिका वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मांग आधारित नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यों (सकल खण्ड में वृद्धि हेतु) के संबंध में कई स्पष्टीकरण चाहे गये थे। याचिकाकर्ता द्वारा उनके पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2013 के माध्यम से प्रस्तुत किये गये उत्तर के अध्ययन किये जाने पर आयोग द्वारा पाया गया कि अतिरिक्त पूंजीकरण के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया अपर्याप्त तथा अस्पष्ट थी। याचिका में दाखिल किये गये अतिरिक्त पूंजीकरण के उचित सूक्ष्म परीक्षण हेतु, आयोग के पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2013 के माध्यम से याचिकाकर्ता को आगे कुछ अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- 3.8 याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 7 मार्च, 2013 के माध्यम से अतिरिक्त पूंजीकरण से संबंधित मुद्दों के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल की गई। याचिकाकर्ता द्वारा मुद्देवार दाखिल की गई प्रतिक्रिया पर चर्चा इस आदेश के पैरा 1.15 में की गई है।

- 3.9 अतिरिक्त पूंजीकरण के संबंध में एमपीपीजीसीएल द्वारा दाखिल की गई प्रतिक्रिया जो मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 के प्रावधानों से संबद्ध है, का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उपरोक्त उल्लेखित विनियमों के विनियम 20 के परिप्रेक्ष्य में ऐसे समस्त मांग आधारित नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यों का विस्तृत सूक्ष्म परीक्षण तथा विश्लेषण किया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 17.2 के अन्तिम परन्तुक में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 1.4.2013 से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत जिसे विधिवत सत्यापित किया गया हो, विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में टैरिफ विद्युत-दर (टैरिफ) का आधार बनेगा।
- 3.10 वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पावर स्टेशनवार परिसम्पत्तियों में वृद्धि को विनियमों में निर्दिष्ट किये गये विभिन्न मुद्दों (Counts) के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष हेतु सूक्ष्म परीक्षण किया जाना आवश्यक होगा तथा यह प्रक्रिया तत्संबंधी वर्ष हेतु सत्यापन के निष्पादन के दौरान किया जाना ही संभव होगा। यहां पर यह भी पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अपनी सत्यापन याचिका में अतिरिक्त पूंजीकरण को दाखिल नहीं किया गया जबकि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण को भी दाखिल किया गया है। अतएव, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मांग आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) कार्यों हेतु तत्संबंधी वर्षों की याचिकाओं के सत्यापन के संव्यवहार के समय परिसम्पत्ति में वृद्धि के प्रभाव पर विचार किया जाएगा।
- 3.11 तदनुसार, आयोग ने दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति में समस्त पुराने विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु आयोग द्वारा 23 जनवरी, 2013 को जारी सत्यापन आदेश के अनुसार प्रारंभिक सकल खण्ड (Opening Gross Block) तथा पूंजीगत लागत के अन्य घटकों पर विचार किया है। नवीन विद्युत उत्पादक इकाईयों/स्टेशनों {जैसे कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई-5 (210 मेगावाट), संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई-5 (500 मेगावाट) तथा मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन} के संबंध में आयोग द्वारा सम्प्रति अन्तिम आदेश जारी किये जा चुके हैं। अतएव, दिनांक 1 अप्रैल, 2012 की स्थिति में, प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा अन्य पूंजीगत लागत घटकों को आयोग द्वारा अन्तिम टैरिफ आदेशों में स्वीकृत किया गया मान लिया गया है। उपरोक्त उल्लेखित अन्तिम टैरिफ आदेशों में, आयोग द्वारा लेखा की अंकक्षित पुस्तकों के अनुसार 31 मार्च, 2011 तक अतिरिक्त पूंजीकरण को स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, यहां यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु इन नवीन स्टेशनों के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण को वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंकक्षित लेखों की अनुपलब्धता के कारण, सत्यापन के अध्यक्षीन, लेखा की अंकक्षित पुस्तकों पर प्रावधिक तौर पर (Provisional) स्वीकार कर लिया गया था।
- 3.12 बाणसागर-IV (झिन्ना) जल विद्युत स्टेशन के संबंध में, अन्तिम टैरिफ के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत याचिका का सूक्ष्म परीक्षण वर्तमान में प्रगति पर है। अतएव प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां तथा अन्य पूंजीगत लागत घटक जिन्हें आयोग द्वारा प्रावधिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2012 में माना गया है, पर इस आदेश के अन्तर्गत विचार किया गया है।
- 3.13 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने अपने पत्र क्रमांक सीईए/पीएलजी/डीएमएलएफ/545 /2012/219 दिनांक 22 जनवरी, 2013 के माध्यम से सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, पीएच-I, सारनी की 62.5 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक-3 को दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 से

अ-क्रियाशील (de-commissioning) किये जाने संबंधी अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। आयोग के पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2012 के माध्यम से याचिकाकर्ता से सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 की इकाई क्रमांक 3 के संबंध में निम्न विवरण सूचित किये जाने बाबत निर्देश दिये गये थे :

- अ) दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति में सकल खण्ड, पूंजी तथा ऋण की राशि
- ब) दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति में संचित अवमूल्यन
- स) अवशेष अवमूल्यन, यदि कोई हो

3.14 प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2013 के माध्यम से निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई :

अ) **“सकल खण्ड (Gross Block)**

एमपीपीजीसीएल से संबंधित सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी के 5 x 62.5 मेगावाट क्षमता का कुल सकल खण्ड दिनांक 1-6-2005 की स्थिति में अन्तिम प्रारंभिक तुलन-पत्र के अनुसार रु. 41.13 करोड़ था। यह सकल खण्ड दिनांक 1.4.2012 की स्थिति में लेखा की अंकेक्षित पुस्तकों के अनुसार अनुवर्ती वर्षों के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि के कारण बढ़कर रु. 47.36 करोड़ हो गया है। सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 की इकाई क्रमांक 3 हेतु सकल खण्ड की प्रावधिक गणना आनुपातिक आधार पर दिनांक 1.4.2012 की स्थिति में रु. 9.47 करोड़ की गई है।

बी) **पूंजी (Equity)**

अन्तिम प्रारंभिक तुलन-पत्र के माध्यम से दिनांक 1.6.2005 की स्थिति में अन्तरित पूंजी की गणना सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी के विद्युत गृह-1 हेतु आनुपातिक आधार पर रु. 14.10 करोड़ की गई है। सतपुड़ा विद्युत स्टेशन विद्युत गृह-1 की इकाई क्रमांक 3 की पूंजी की प्रावधिक गणना आनुपातिक आधार पर रु. 2.82 करोड़ की गई है।

सी) **ऋण की राशि (Loan Amount)**

मप्रविनिआ विद्युत उत्पादन टैरिफ विनियम वर्ष 2009 के परन्तुक 23 के अनुसार, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी को आवंटित किये गये ऋण के मूलधन की अदायगी (principal repayment) का निष्पादन अवमूल्यन के माध्यम से किया जा चुका है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 की नियंत्रण अवधि हेतु दिनांक 1-4-2012 की स्थिति में सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी के संबंध में ऋण अदायगी की कोई भी राशि लम्बित नहीं है।

डी) **संचित अवमूल्यन तथा अवशेष अवमूल्यन (Accumulated Depreciation and Balance Depreciation)**

मप्रविनिआ विद्युत उत्पादन टैरिफ विनियम वर्ष 2009 के परन्तुक 24 सहपठित मप्रविनिआ विद्युत उत्पादन टैरिफ विनियम 2012 के परन्तुक 24 के अनुसार संचित अवमूल्यन की गणना सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 हेतु दिनांक 31.3.2013 की स्थिति में रु. 42.58 करोड़ की गई है तथा इस प्रकार सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 का अवशेष अवमूल्यन 'शून्य' आता है।”

- 3.15 उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, आयोग ने दिनांक एक अप्रैल, 2013 की स्थिति में सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की गणना करते समय सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, पीएच-I की इकाई क्रमांक 3 की सकल-स्थाई परिसम्पत्तियों के बारे में कोई विचार नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के सत्यापन आदेश के अनुसार सम्पूर्ण सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति रु. 631.19 करोड़ थी। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I इकाई क्रमांक 3 हेतु दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की रु. 9.47 करोड़ की राशि घटाकर इस आदेश के अन्तर्गत सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां रु. 621.72 करोड़ मानी गई हैं।
- 3.16 दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में, प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की अद्यतन स्थिति को वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान उनके अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार नवीन विद्युत उत्पादक इकाईयों के अतिरिक्त पूंजीकरण को सम्मिलित करते हुए, निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

**तालिका 14 : दिनांक 1-4-2013 की स्थिति में इस आदेश में मानी गई सकल स्थाई परिसम्पत्तियां (राशि करोड़ रूपये में)**

| स. क्र. | पावर स्टेशन  | दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में सकल खण्ड जैसा कि इसे पुरानी परियोजनाओं के सत्यापन आदेश तथा नई इकाईयों के प्रावधिक / अन्तिम आदेशों में माना गया है | नवीन इकाईयों में अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण की गई वृद्धियां, जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें अन्तिम टैरिफ आदेश में स्वीकार किया गया है |                      |                      | इस आदेश के अंतर्गत दि. 1.4.2013 की स्थिति में मानी गई प्रारंभिक सकल खण्ड की राशि |
|---------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|
|         |  |  | वित्तीय वर्ष 2010-11   | वित्तीय वर्ष 2011-12 | वित्तीय वर्ष 2012-13 |  |
| 1       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-II)           | 141.12   |  |                      |                      | 141.12   |
| 2       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-III)          | 906.10   | 70.56  | *21.07               |                      | 997.73   |
| 3       | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल               | 631.19   |  |                      | *(-9.47)             | 621.72   |
| 4       | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-I तथा II)        | 2163.73  |  |                      |                      | 2163.73  |
| 5       | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-III) 500 मेगावाट | 1879.97  | 13.92  | *42.00               |                      | 1935.89  |
| 6       | गांधी सागर   | 10.29  |  |                      |                      | 10.29  |
| 7       | पेंच   | 96.24  |  |                      |                      | 96.24  |
| 8       | राजघाट   | 82.80  |  |                      |                      | 82.80  |
| 9       | बरगी   | 87.03  |  |                      |                      | 87.03  |
| 10      | बाणसागर (I से III)                                   | 1243.92  |  |                      |                      | 1243.92  |
| 11      | बाणसागर-IV (झिन्ना)                                  | *97.18   |  |                      |                      | 97.18  |
| 12      | मढीखेड़ा   | 214.71   | 0.22   |                      |                      | 214.93   |
| 13      | बिरसिंहपुर   | 52.15  |  |                      |                      | 52.15  |
| 14      | मुख्यालय   | 0.44   |  |                      |                      | 0.44   |
| 15      | <b>योग</b>   | <b>7606.87</b>   | <b>84.70</b>   | <b>63.07</b>         | <b>(-9.47)</b>       | <b>7745.17</b>   |

\* आयोग के आदेश/याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किये अनुसार, सत्यापन के अध्यक्षीन, ये आंकड़े प्रावधिक (Provisional) हैं

**दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में संचयी अवमूल्यन (Cumulative Depreciation as on 1st April, 2013)**

- 3.17 इस आदेश में, आयोग ने पुराने पावर स्टेशनों हेतु अन्तिम संचयी अवमूल्यन (दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में) पर विचार किया है जैसा कि इसे वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु सत्यापन आदेश में अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात्, वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अवमूल्यन को बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 3 मार्च, 2010 के अनुसार माना गया है जबकि वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु अवमूल्यन को वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2012 के अनुसार माना गया है।
- 3.18 सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी के संचयी अवमूल्यन के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति में सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, पीएच-I का संचयी अवमूल्यन रु. 42.58 करोड़ है। अतएव, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, पीएच-I सारनी का शेष अवमूल्यन शून्य हो चुका है। याचिकाकर्ता द्वारा अ-पूँजीकृत (decapitalized) की गई इकाई क्रमांक-3 की संचयी अवमूल्यन की राशि को पृथक से अवगत नहीं कराया गया है।
- 3.19 नवीन विद्युत उत्पादक इकाईयों {जैसा कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई-5 (210 मेगावाट), संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई क्रमांक-5 (500 मेगावाट) तथा मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन} हेतु, दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में इसे तत्संबंधी पावर स्टेशनों के अन्तिम टैरिफ आदेशों के अनुसार माना गया है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इन नवीन विद्युत इकाईयों के संबंध में अवमूल्यन को दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को जारी वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश से लिया गया है।
- 3.20 आयोग द्वारा बाणसागर-IV (झिन्ना) हेतु प्रावधिक आदेश (Provisional Order) जारी किया गया है तथा अन्तिम उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु याचिका 29 जनवरी, 2013 आयोग के समक्ष दाखिल की गई है, जिसे आयोग द्वारा अभी तक दर अवधारण हेतु स्वीकार नहीं किया गया है। अतएव इस पावर स्टेशन के संबंध में संचयी अवमूल्यन को वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु जारी किये गये टैरिफ आदेश के अनुसार स्वीकार कर लिया गया माना गया है।
- 3.21 उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन की वस्तुस्थिति की गणना को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

**तालिका 15 : इस आदेश के अन्तर्गत, दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में मानी गयी संचित**

**अवमूल्यन की राशि**

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| स. क्र. | पावर स्टेशन                                  | दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में संचित अवमूल्यन जैसा कि इसे पुरानी परियोजनाओं के सत्यापन आदेश तथा नई इकाईयों के प्रावधिक/ अन्तिम आदेशों में माना गया है | आयोग के आदेशों के अनुसार भारित किया गया अवमूल्यन (बहुवर्षीय टैरिफ आदेश/ वित्तीय वर्ष 2012-13 का आदेश/ नवीन इकाईयों हेतु अंतिम आदेश) |                      |                      | इस आदेश के अंतर्गत दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में मानी गई संचित अवमूल्यन की राशि |
|---------|--|---|---|----------------------|----------------------|---|
|         |  |   | वित्तीय वर्ष 2010-11  | वित्तीय वर्ष 2011-12 | वित्तीय वर्ष 2012-13 |   |
| 1       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चर्ड (पीएच-II) | 83.72   | 1.21  | 1.21                 | 1.93                 | 88.07   |

|    |  |                |        |        |        |                |
|----|--|----------------|--------|--------|--------|----------------|
| 2  | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-III)          | 23.94          | 41.99  | 44.03  | 40.94  | 150.90         |
| 3  | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल               | 497.11         | 8.50   | 8.31   | 8.58   | 522.50         |
| 4  | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-I तथा II)        | 1199.83        | 90.92  | 88.20  | 90.23  | 1469.18        |
| 5  | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-III) 500 मेगावाट | 134.65         | 97.55  | 99.00  | 89.42  | 420.62         |
| 6  | गांधी सागर   | 8.37           | 0.23   | 0.22   | 0.21   | 9.03           |
| 7  | पेंच   | 64.41          | 1.51   | 1.51   | 1.51   | 68.94          |
| 8  | राजघाट   | 29.03          | 4.02   | 4.02   | 4.03   | 41.10          |
| 9  | बरगी   | 51.63          | 3.26   | 1.18   | 1.18   | 57.25          |
| 10 | बाणसागर (I से III)                                   | 390.43         | 62.57  | 62.57  | 62.69  | 578.26         |
| 11 | बाणसागर -IV (झिन्ना)                                 | 20.88          | 4.90   | 4.90   | 4.90   | 35.58          |
| 12 | मढीखेड़ा   | 21.48          | 11.21  | 11.22  | 9.15   | 53.06          |
| 13 | बिरसिंहपुर   | 26.92          | 2.47   | 2.47   | 2.46   | 34.32          |
| 14 | मुख्यालय   |                |        |        |        |                |
| 15 | <b>योग</b>   | <b>2552.40</b> | 330.34 | 328.84 | 317.23 | <b>3528.81</b> |

**दिनांक 1 अप्रैल, 2103 की स्थिति में पूंजी (Equity as on 1st April, 2013)**

3.22 आयोग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति में प्रारंभिक पूंजी (Opening equity) को वित्तीय वर्ष 2009-10 के सत्यापन आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2013 के अनुसार माना गया है। जैसा कि इस आदेश के पिछले परिच्छेदों के अन्तर्गत चर्चा की गई है, पुराने पावर स्टेशनों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011-11 से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान मांग आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) के विरुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण को आयोग द्वारा अभी तक विचारार्थ स्वीकार नहीं किया गया है। अतएव, 31 मार्च, 2013 की स्थिति में इन पावर स्टेशनों के संबंध में पूंजी की स्थिति यथावत अपरिवर्तित रखी गई है।

3.23 सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी की पूंजी के संबंध में याचिकाकर्ता ने सूचित किया है कि सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, पीएच-I की इकाई क्रमांक 3 की अ-क्रियाशील की गई (de-commissioned) की पूंजी की गणना दिनांक एक अप्रैल, 2012 की स्थिति में प्रावधिक तौर पर रु. 2.82 करोड़ की गई है। अतएव, इस पूंजी की राशि को सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी की कुल पूंजी, जैसा कि इस वित्तीय वर्ष 2009-10 के सत्यापन आदेश के अन्तर्गत माना गया है, में से घटा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के सत्यापन आदेश के अनुसार सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल की प्रारंभिक पूंजी रु. 187.82 करोड़ थी। सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I इकाई क्रमांक-3 की रु. 2.82 करोड़ की राशि को घटा कर (जैसा कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया है), सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल की प्रारंभिक पूंजी की गणना दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में रु. 185 करोड़ की गई है। अतएव, इसी राशि को ही इस आदेश के प्रयोजन हेतु माना गया है।

3.24 आयोग द्वारा नई इकाईयों (यथा अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, मढ़ीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन) के लिये अन्तिम टैरिफ आदेश जारी किये गये हैं। अतएव इन नई इकाईयों के लिये अन्तिम पूंजी दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में, जैसा कि आयोग द्वारा अन्तिम टैरिफ आदेशों में अनुमोदित किया गया है, को इस आदेश में माना गया है। बाणसागर-IV (झिन्ना) हेतु अन्तिम टैरिफ याचिका वर्तमान में आयोग में प्रक्रियाबद्ध है। अतएव, इस विद्युत गृह हेतु 31 मार्च, 2013 की स्थिति में पूंजी को वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश के अनुसार माना गया है।

3.25 उपरोक्त चर्चा के आधार पर, पावर स्टेशनवार प्रारंभिक पूंजी (Opening equity) की अद्यतन स्थिति की गणना दिनांक एक अप्रैल, 2013 की स्थिति में निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

**तालिका : 16 इस आदेश के अन्तर्गत, दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में मानी गयी मानदण्डीय प्रारंभिक पूंजी की राशि (राशि करोड़ रुपये में)**

| स. क्र. | पावर स्टेशन  | दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में अंतिम पूंजी जैसा कि इसे पुरानी परियोजनाओं के सत्यापन आदेश तथा नई इकाईयों के प्रावधिक/ अन्तिम आदेशों में माना गया है | नवीन इकाईयों में अतिरिक्त पूंजीकरण के कारण की गई वृद्धियां, जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें अन्तिम टैरिफ आदेश में स्वीकार किया गया |                      |                      | दिनांक 1.4. 2013 की स्थिति में प्रारंभिक पूंजी |
|---------|--|--|---|----------------------|----------------------|--|
|         |  |  | वित्तीय वर्ष 2010-11  | वित्तीय वर्ष 2011-12 | वित्तीय वर्ष 2012-13 |  |
| 1       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-II)           | 33.46  |   |                      |                      | 33.46  |
| 2       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-III)          | 214.24   | 8.20  | 0.98                 |                      | 223.42   |
| 3       | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल               | 187.82   |   |                      | -2.82                | 185.00   |
| 4       | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-I तथा II)        | 649.12   |   |                      |                      | 649.12   |
| 5       | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-III) 500 मेगावाट | 553.62   |   |                      |                      | 553.62   |
| 6       | गांधी सागर   | 3.09   |   |                      |                      | 3.09   |
| 7       | पेंच   | 28.87  |   |                      |                      | 28.87  |
| 8       | राजघाट   | 24.84  |   |                      |                      | 24.84  |
| 9       | बरगी   | 26.11  |   |                      |                      | 26.11  |
| 10      | बाणसागर (I से III)                                   | 373.18   |   |                      |                      | 373.18   |
| 11      | बाणसागर-IV (झिन्ना)                                  | 29.98  |   |                      |                      | 29.98  |
| 12      | मढ़ीखेड़ा  | 45.28  | 0.066   |                      |                      | 45.35  |
| 13      | बिरसिंहपुर   | 15.65  |   |                      |                      | 15.65  |
| 14      | <b>योग</b>   | <b>2185.26</b>   | <b>8.27</b>   | <b>0.98</b>          | <b>-2.82</b>         | <b>2191.69</b>                                 |

**दिनांक 1 अप्रैल, 2103 की स्थिति में ऋण अवशेषों की स्थिति (Loan Balances as on 1st April, 2013)**

- 3.26 मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्त) विनियम, 2012 के विनियम 21.1 में निर्दिष्ट किया गया है कि "विद्युत उत्पादक कम्पनी के प्रकरण में जहां इसे 01.04.2013 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्तर्गत टैरिफ अवधारण के अन्तर्गत अनुज्ञेय किया गया ऋण-पूंजी (इक्विटी) अनुपात मान्य किया जाएगा।" अतएव आयोग द्वारा ऋण के प्रारंभिक शेष दिनांक एक अप्रैल, 2010 की स्थिति में पुराने पावर स्टेशनों के लिये दिनांक 23 जनवरी, 2013 को जारी वित्तीय वर्ष 2009-10 के सत्यापन आदेश पर आधारित माने गये हैं। वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्येक पावर स्टेशन हेतु ऋणों की अदायगी वर्ष हेतु अवमूल्यन के बराबर मानी गई है जैसा कि इसे बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 3 मार्च, 2010 तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2012 में अनुज्ञेय किया गया है।
- 3.27 सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, पीएच-I सारनी की अक्रियाशील (decommissioned) की गई इकाई क्रमांक 3 के संबंध में जैसा कि इसका उल्लेख पूर्व परिच्छेद में किया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा पुष्टि की गई है कि जहां तक सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I सारनी की इकाई का संबंध है, इसके विरुद्ध वर्तमान में कोई ऋण लम्बित नहीं है।
- 3.28 नवीन विद्युत उत्पादक इकाईयों {जैसे कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई-5 (210 मेगावाट), संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, विस्तार इकाई-5 (500 मेगावाट) तथा मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन} हेतु अन्तिम टैरिफ आदेश आयोग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। अतएव दिनांक 31 मार्च 2012 की स्थिति में ऋण के अन्तिम शेष (Closing Balance) को दिनांक एक अप्रैल, 2012 की स्थिति में प्रारंभिक शेष (Opening Balance) माना गया है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु इन नवीन इकाईयों के लिये अवमूल्यन वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ऋण की अदायगी माना गया है। अतएव, तदनुसार दिनांक एक अप्रैल, 2013 की स्थिति में इन नवीन विद्युत इकाईयों बाबत ऋण के प्रारंभिक शेष की गणना की गई है। बाणसागर-IV (झिन्ना) हेतु, दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में अन्तिम शेष (वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश के अनुसार) को दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में प्रावधिक रूप से प्रारंभिक शेष माना गया है।
- 3.29 वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अपने सत्यापन आदेश में आयोग द्वारा रु. 114.09 करोड़ की आधिक्य पूंजी (मानदण्डीय ऋण) के संबंध में स्टेशनवार अन्तिम शेष की गणना की गई है। अदायगी के संबंध में इस आधिक्य पूंजी का उपचार भारित औसत ब्याज दर पूंजी पर ऋण ही के अनुरूप है। अतएव ऋण की अवशेष राशियों में आधिक्य पूंजी को जोड़ा गया है तथा तदनुसार कुल ऋण अतिशेष राशियों की गणना 31 मार्च, 2010 की स्थिति में आधिक्य पूंजी को जोड़कर की गई है।
- 3.30 दिनांक एक अप्रैल, 2013 की स्थिति में पावर स्टेशनवार ऋणों के प्रारंभिक शेष की गणना के विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

**तालिका 17 : दिनांक 1.4.2010 की स्थिति में ऋणों की प्रारंभिक शेष राशियां (राशि करोड़ रुपये में)**

| स. क्र. | पावर स्टेशन  | दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में ऋण राशियां जैसा कि इसे पुरानी परियोजनाओं के सत्यापन आदेश तथा नई इकाईयों के प्रावधिक / अन्तिम आदेशों में माना गया है | आधिक्य पूंजी जिसे 31.3.2010 की स्थिति में मानदण्डीय ऋण माना गया है। | कुल ऋण राशि, दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में आधिक्य पूंजी को सम्मिलित करते हुए |
|---------|--|--|---|---|
| 1       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-II)           | 53.50  | 3.71  | 57.21   |
| 2       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-III)          | 667.94   | 0.00  | 667.94  |
| 3       | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल               | 0.00   | 15.07   | 15.07   |
| 4       | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-I तथा II)        | 168.01   | 60.04   | 228.05  |
| 5       | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-III) 500 मेगावाट | 1188.28  | 0.00  | 1188.28   |
| 6       | गांधी सागर   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 7       | पेंच   | 0.00   | 3.28  | 3.28  |
| 8       | राजघाट   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 9       | बरगी   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 10      | बाणसागर (I से III)                                   | 176.74   | 31.99   | 208.73  |
| 11      | बाणसागर -IV (झिन्ना)                                 | 43.03  | 0.00  | 43.03   |
| 12      | मढीखेड़ा   | 122.58   | 0.00  | 122.58  |
| 13      | बिरसिंहपुर   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 14      | <b>योग</b>   | <b>2420.08</b>   | <b>114.09</b>   | <b>2534.17</b>  |

**तालिका 18 : दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में इस आदेश के अन्तर्गत मानी गई ऋण अवशेष राशियां (राशि करोड़ रुपये में)**

| स. क्र. | पावर स्टेशन                                 | अन्तिम टैरिफ आदेश में अन्तिम पूंजीकरण के कारण नवीन इकाईयों में अनुज्ञेय की गई ऋण में वृद्धि |                      |                      | बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत विद्यमान परियोजनाओं में तथा आदेश दिनांक 16.4.2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013 हेतु अनन्तिम/अन्तिम आदेशों के अनुसार नवीन इकाईयों के लिये मानी गई ऋण की अदायगी |                      |                      | दिनांक 1-4-2013 की स्थिति में ऋण का प्रारंभिक शेष |
|---------|---|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|
|         |   | वित्तीय वर्ष 2010-11  | वित्तीय वर्ष 2011-12 | वित्तीय वर्ष 2012-13 | वित्तीय वर्ष 2010-11  | वित्तीय वर्ष 2011-12 | वित्तीय वर्ष 2012-13 |   |
| 1       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-II)  |   |                      |                      | 1.21  | 1.21                 | 1.93                 | 52.86   |
| 2       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-III) | 62.35   | 20.08                |                      | 41.99   | 44.03                | 40.94                | 623.41  |
| 3       | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल      |   |                      |                      | 8.50  | 6.57                 | 0.00                 | 0.00  |

|    |  |              |              |             |              |               |              |                |
|----|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 4  | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-I तथा II)        |              |              |             | 90.92        | 88.20         | 48.93        | 0.00           |
| 5  | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-III) 500 मेगावाट | 13.92        | 42.00        |             | 97.55        | 98.81         | 89.42        | 958.42         |
| 6  | गांधी सागर   |              |              |             |              |               |              | 0.00           |
| 7  | पेंच   |              |              |             | 1.51         | 1.51          | 0.26         | 0.00           |
| 8  | राजघाट   |              |              |             |              |               |              | 0.00           |
| 9  | बरगी   |              |              |             |              |               |              | 0.00           |
| 10 | बाणसागर (I से III)                                   |              |              |             | 62.57        | 62.57         | 62.69        | 20.90          |
| 11 | बाणसागर-IV (झिन्ना)                                  |              |              |             | 4.90         | 4.90          | 4.90         | 28.33          |
| 12 | मढीखेड़ा   | 0.154        |              |             | 11.21        | 11.22         | 9.15         | 91.15          |
| 13 | बिरसिंहपुर   |              |              |             |              |               |              | 0.00           |
| 14 | <b>योग</b>   | <b>76.42</b> | <b>62.08</b> | <b>0.00</b> | <b>320.3</b> | <b>319.02</b> | <b>258.2</b> | <b>1775.07</b> |

**नियन्त्रण अवधि के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalization during the control period)**

**याचिकाकर्ता का निवेदन (Petitioner's Submission)**

3.31 याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान परिसम्पत्ति की वृद्धि के संबंध में तथा दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets) की जानकारी दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की नियन्त्रण अवधि के लिये प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीकरण को दाखिल नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किये गये परिसम्पत्तियों की वृद्धि के संबंध में विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

**तालिका 19 : याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के विवरण**

(राशि करोड़ रुपये में)

| स.क्रं. | पावर स्टेशन                                 | वित्तीय वर्ष 2009-10 | वित्तीय वर्ष 2010-11 | वित्तीय वर्ष 2011-12 | योग            | दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में सकल खण्ड |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| 1       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II          | 0                    | 60.14                | 7.83                 | 67.96          | 209.08                                   |
| 2       | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच -III        | 954.25               | 70.54                | 89.92                | 1114.71        | 1117.2                                   |
| 3       | <b>अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई</b>     | <b>954.25</b>        | <b>130.68</b>        | <b>97.74</b>         | <b>1182.67</b> | <b>1326.29</b>                           |
| 4       | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I           | 3.85                 | 3.43                 | 0.07                 | 7.35           | 47.36                                    |
| 5       | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच II तथा III  | 10.22                | 31.92                | 42.86                | 85.01          | 676.18                                   |
| 6       | <b>सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन योग</b>       | <b>14.07</b>         | <b>35.35</b>         | <b>42.93</b>         | <b>92.35</b>   | <b>723.55</b>                            |
| 7       | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच I तथा II | 4.51                 | 4.59                 | 0.01                 | 9.11           | 2172.83                                  |
| 8       | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच III      | 33.99                | 14.55                | 61.13                | 109.67         | 2066.56                                  |
| 9       | <b>संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन योग</b>    | <b>38.5</b>          | <b>19.14</b>         | <b>61.14</b>         | <b>118.78</b>  | <b>4239.39</b>                           |
| 10      | <b>योग ताप विद्युत</b>                      | <b>1006.82</b>       | <b>185.17</b>        | <b>201.81</b>        | <b>1393.8</b>  | <b>6289.22</b>                           |

|           |                            |                |               |              |                |                |
|-----------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 11        | गांधी सागर                 | 0.03           | 0.01          | 0            | 0.04           | 10.33          |
| 12        | पेंच                       | 0.02           | 0             | 0            | 0.02           | 96.27          |
| 13        | राजघाट                     | 0              | 0             | 0            | 0.01           | 82.81          |
| 14        | बरगी                       | 0              | 0             | 0            | 0              | 87.03          |
| 15        | बाणसागर पीएच-I, II तथा III | 0              | 5.07          | 0.57         | 5.64           | 1249.57        |
| 16        | बाणसागर पीएच-IV            | 2.3            | 0.18          | 0            | 2.48           | 119.72         |
| 17        | मढ़ीखेड़ा                  | 0.04           | 0.22          | 0.74         | 0.99           | 215.67         |
| 18        | बिरसिंहपुर                 | 0              | 0             | 0            | 0              | 52.15          |
| <b>19</b> | <b>योग जल विद्युत</b>      | <b>2.4</b>     | <b>5.48</b>   | <b>1.31</b>  | <b>9.19</b>    | <b>1913.54</b> |
| 20        | मुख्यालय                   | 0.6            | 0.05          | 0.08         | 0.72           | 1.16           |
|           | <b>योग</b>                 | <b>1009.82</b> | <b>190.69</b> | <b>203.2</b> | <b>1403.71</b> | <b>8203.93</b> |

**प्रावधानों (Provisions of the Regulation) :**

3.32 विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 20 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

20.1 "कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरान्त पृथक्कृत तिथि (Cut Off Date) तक किया गया पूंजीगत व्यय, अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, को आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार युक्तियुक्त जांच-पड़ताल के अध्यक्षीन स्वीकार किया जा सकेगा :

(ए) अनिष्पादित दायित्व (Undischarged Liabilities),

(बी) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो,

(सी) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्व;

(डी) कानून में किसी परिवर्तन के कारण ; तथा

(ई) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत 17.1 (ब) के उपबन्धों के अध्यक्षीन प्रारंभिक कलपुर्जा की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) हेतु :

परन्तु कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये कार्यों के विवरण, व्यय के प्राक्कलन अनिष्पादित दायित्व तथा निष्पादन हेतु स्थगित रखे गये कार्यों की सूची टैरिफ आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

20.2 पृथक्कृत तिथि (Cut Off Date) के उपरान्त किया गया निम्न प्रकार का पूंजीगत व्यय आयोग द्वारा युक्तियुक्त जांच-पड़ताल के अध्यक्षीन, आयोग के स्वविवेक अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा :

(ए) माध्यस्थम प्रकरण में पारित अधिनिर्णय के परिपालन में अथवा किसी आदेश के परिपालन में अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित डिक्री के परिपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु ;

- (बी) कानून में परिवर्तन ; तथा
- (सी) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत राखड़ तालाब (Ash Pond) अथवा राखड़ हस्तालन प्रणाली (Ash Handling System) से संबंधित विलंबित कार्य :
- (डी) जल विद्युत स्टेशनों के प्रकरण में, ऐसा कोई व्यय जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के कारण अत्यावश्यक हो गया हो (जो विद्युत उत्पादन कंपनी की असावधानी के कारण पॉवर हाऊस में जल-भराव के कारण न हो) जिसमें भू-वैज्ञानिक कारण भी सम्मिलित होंगे, तथा किसी बीमा योजना से प्राप्त होने वाली कोई राशि तथा किसी अतिरिक्त कार्य के कारण किया गया कोई व्यय जो सफल तथा दक्ष संयंत्र प्रचालन हेतु अत्यावश्यक हो, समायोजित किया जाएगा :

परन्तु उपरोक्त उप-कण्डिका (डी) के संबंध में, लघु मदों अथवा परिसंपत्तियां जैसे कि औजार तथा उपकरण, फर्नीचर, वातानुकूलन संयंत्र, वोल्टेज संतुलन उपकरण (Stabilizers) रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखे, धुलाई मशीनें, (Washing Machines), ऊष्मा परिवहन संयंत्र (Heat Convectors) तथा दरियां, मेट्रेस आदि जो पृथक्कृत तिथि के उपरान्त उपलब्ध कराई गई हो, के अर्जन हेतु किये गये व्यय पर अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ के अवधारण के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

### आयोग का विश्लेषण

- 3.33 याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुराने पावर स्टेशनों में मांग आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों तथा नवीन विद्युत उत्पाद इकाईयों के अतिरिक्त पूंजीकरण के संबंध में जानकारी दाखिल की गई है। तथापि, याचिकाकर्ता ने किसी भी पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की नियंत्रण अवधि हेतु प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीकरण संबंधी कोई जानकारी दाखिल नहीं की है।
- 3.34 वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान पुराने पावर स्टेशनों के अतिरिक्त पूंजीकरण के संबंध में विचार न किये जाने के संबंध में कारणों का उल्लेख इस आदेश के पैरा 3.7 से 3.10 में पूर्व में ही किया जा चुका है। तथापि, इस पर आगे विचार तत्संबंधी वर्ष के सत्यापन आदेश के अंतर्गत विनियमों में किये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, लेखों की अंकक्षित पुस्तकों पर आधारित, युक्तियुक्त जांच के उपरांत किया जाएगा।
- 3.35 नवीन पावर स्टेशनों {जैसे कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई-5 (210 मेगावाट), संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई-5 (500 मेगावाट) तथा मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन} हेतु 31 मार्च, 2012 की स्थिति में अतिरिक्त पूंजीकरण के संबंध में विचार उसी सीमा तक किया गया है जैसा कि आयोग द्वारा इसे जारी अन्तिम टैरिफ आदेश के अन्तर्गत स्वीकार किया गया था। अन्तिम टैरिफ आदेश में, दिनांक 31 मार्च, 2011 तक अतिरिक्त पूंजीकरण के अंकक्षित लेखों के अनुसार स्वीकार किया गया था जबकि वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु इस पर विचार प्रक्षेपण आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंकक्षित लेखों पर आधारित सत्यापन के अध्यधीन किया गया था।

अध्याय – 4

वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभार {ANNUAL CAPACITY (FIXED) CHARGES}

- 4.1 विनियम वर्ष 2012 के विनियम 34.2 के अनुसार, वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों में निम्न शामिल होंगे:
- (ए) पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity);
  - (बी) ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्तीय प्रभार (Interest and Financing Charges on Loan Capitals);
  - (सी) अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation);
  - (डी) पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार (Lease Hire Purchase Charges);
  - (ई) प्रचालन तथा संधारण व्यय (Operation and Maintenance Expenses);
  - (एफ) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital);
  - (जी) द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत (Cost of Secondary Fuel Oil);
  - (एच) मरम्मत तथा अनुरक्षण के स्थान पर विशेष रियायत अथवा पृथक क्षतिपूर्ति रियायत, जहां यह प्रयोज्य हो (Special Allowance, in lieu of R&M or Separate Compensation allowance, wherever applicable);

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission) :

- 4.2 याचिकाकर्ता ने दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु एमपीपीजीसीएल के लेखों के अंकेक्षित विवरण पत्र के अनुसार पावर स्टेशनवार प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति संबंधी विवरण दाखिल किया है।
- 4.3 याचिकाकर्ता द्वारा निवेदन किया गया कि मप्रविनिआ उत्पादन टैरिफ विनियम, वर्ष 2012 का विनियम 22.3 पूंजी पर प्रतिलाभ (RoE) की गणना हेतु 15.5 प्रतिशत पूर्व टैक्स सकलीकृत (Gross up) किये जाने का प्रावधान करता है। एमपीपीजीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2012 में किसी पूर्व कर का भुगतान नहीं किया है। तथापि, एमपीपीजीसीएल ने निवेदन किया है कि कम्पनी का निष्पादन निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है तथा इसकी वित्तीय हानियों में भी उल्लेखनीय रूप से कमी हो रही है तथा आशा की जाती है कि कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2013 में 20.008 प्रतिशत की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) का भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2014, वित्तीय वर्ष 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2016 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना

19.38 प्रतिशत के सकलीकृत आधार पर की गई है। दाखिल किया गया पावर स्टेशनवार पूंजी पर प्रतिलाभ निम्न तालिका के अनुसार प्रस्तुत किया गया है :

**तालिका 20 : याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ (राशि करोड़ रुपये में)**

| सरल क्रमांक | पावर स्टेशन                                 | पूंजी पर प्रतिलाभ 19.38 प्रतिशत की दर से |                      |                      |
|-------------|---|--|----------------------|----------------------|
|             |   | वित्तीय वर्ष<br>2014                     | वित्तीय वर्ष<br>2015 | वित्तीय वर्ष<br>2016 |
| 1           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II          | 12.15                                    | 12.15                | 12.15                |
| 2           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III         | 43.29                                    | 43.29                | 43.29                |
| 3           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई            | 55.45                                    | 55.45                | 55.45                |
| 4           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन                  | 42.06                                    | 42.06                | 42.06                |
| 5           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच I तथा II | 126.31                                   | 126.31               | 126.31               |
| 6           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच III      | 120.13                                   | 120.13               | 120.13               |
| 7           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन योग           | 246.45                                   | 246.45               | 246.45               |
| 8           | कुल ताप विद्युत (थर्मल)                     | 343.95                                   | 343.95               | 343.95               |
| 9           | गांधी सागर                                  | 0.60                                     | 0.60                 | 0.60                 |
| 10          | पेंच  | 5.60                                     | 5.60                 | 5.60                 |
| 11          | राजघाट                                      | 4.81                                     | 4.81                 | 4.81                 |
| 12          | बरगी  | 5.13                                     | 5.13                 | 5.13                 |
| 13          | बाणसागर पीएच-I, II तथा III                  | 72.64                                    | 72.64                | 72.64                |
| 14          | बाणसागर पीएच-IV                             | 6.96                                     | 6.96                 | 6.96                 |
| 15          | मढीखेड़ा                                    | 12.54                                    | 12.54                | 12.54                |
| 16          | बिरसिंहपुर                                  | 3.03                                     | 3.03                 | 3.03                 |
| 17          | योग जल विद्युत                              | 111.31                                   | 111.31               | 111.31               |
|             | <b>कुल</b>                                  | <b>455.26</b>                            | <b>455.26</b>        | <b>455.26</b>        |

4.4 याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख भी किया है कि मुख्यालय पर पूंजी पर प्रतिलाभ को बरगी जल विद्युत स्टेशन को इसके निकटतम पावर स्टेशन होने के कारण आवंटित किया गया है।

4.5 विनियमों के अन्तर्गत, विनियम 22 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

“पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना चुकाई गई पूंजी पर रूपयों के रूप में विनियम 21 के अन्तर्गत अवधारित किये गये अनुसार की जाएगी।

पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व-टैक्स आधार पर 15.5 प्रतिशत की आधार दर पर की जाएगी, जिसे इस विनियम की कण्डिका 22.3 के अनुसार सकलबद्ध (Gross-up) किया जाएगा :

परंतु ऐसी परियोजनाओं के प्रकरणों में जिन्हें दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को अथवा उसका उपरान्त क्रियाशील (Commissioned) किया जाता है, वहां उन पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय किया जाएगा यदि ये परियोजनाएं परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाती हैं :

परन्तु यह भी कि 0.5 प्रतिशत का यह अतिरिक्त प्रतिलाभ अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा यदि परियोजना उपरोक्त दर्शाई गई समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण नहीं की जाती, भले ही इसके कोई भी कारण क्यों न हों।

वर्ष 2012-13 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विद्युत उत्पादक कंपनी को प्रयोज्य सामान्य कर दर की आधार दर को सकलीकृत करते हुए की जाएगी :

परन्तु विद्युत उत्पादक कंपनी को प्रयोज्य वास्तविक कर दर के संबंध में पूंजी पर प्रतिलाभ जो टैरिफ अवधि के दौरान तत्संबंधी वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियमों के उपबन्धों से संरक्षित हो, का सत्यापन प्रत्येक वर्ष हेतु आगामी टैरिफ अवधि की टैरिफ याचिका के साथ पृथक से किया जाएगा।

पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांक किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\begin{array}{ll} \text{पूंजी पर पूर्व-कर प्रतिलाभ की दर} & \text{आधार दर} \\ \text{(Rate of Pre-Tax Return on Equity)} & (1-t) \end{array}$$

जहां पर 't' इस विनियम की कण्डिका 22.3 के अनुसार प्रयोज्य कर-दर है।

**उदाहरण (Illustration) :**

(i) विद्युत उत्पादक कंपनी के प्रकरण में, जो न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) का भुगतान 20.01 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा उपकर (Surcharge & Cess) को सम्मिलित करते हुए कर रहा हो :

$$\text{पूंजी पर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1-0.2001)} = 19.377 \text{ प्रतिशत}$$

(ii) ऐसे विद्युत उत्पादक कंपनी के प्रकरण में, जो सामान्य निकाय कर का भुगतान माने गये 33.99 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा उपकर (Surcharge & Cess) को सम्मिलित कर रहा हो :

$$\text{पूंजी पर प्रतिलाभ की दर} = \frac{15.50}{(1-0.3399)} = 23.481 \text{ प्रतिशत}$$

### आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

4.6 आयोग ने दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में प्रारंभिक पूंजी राशि (Opening equity amount) की गणना वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु सत्यापन आदेश के अनुसार आयोग द्वारा उपरोक्त उल्लेखित सत्यापन आदेश, मानपद्ध पूंजी को आधार आंकड़ा मानकर उपरोक्त उल्लेखित सत्यापन आदेश में शामिल किये गये पावर स्टेशनों तथा आयोग द्वारा नई विद्युत उत्पादक इकाईयों/स्टेशनों हेतु अन्तिम टैरिफ आदेशों के लिये की है। बाणसागर-IV (झिन्ना) हेतु याचिका आयोग के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है। अतएव, इस जल विद्युत स्टेशन हेतु मानदण्डीय पूंजी के लिये आधार आंकड़ा आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश के अनुसार प्रावधिक स्वीकृति के अनुसार माना गया है।

- 4.7 सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I की इकाई क्रमांक 3 को अपूंजीकृत (decapitalized) किया जा चुका है। अतएव, इस इकाई के लिये मानदण्डीय पूंजी राशि जैसा कि इस बारे में याचिकाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है, को सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन की पूंजी से प्रावधिक रूप से घटा दिया गया है, जो अंकक्षित लेखों में वास्तविक आंकड़ों पर आधारित समायोजन के अध्यक्षीन होगा।
- 4.8 याचिका के पैरा 14 में याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि एमपीपीजीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में किसी कर का भुगतान नहीं किया है। तथापि, कम्पनी का निष्पादन निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है व इसके द्वारा अपनी वित्तीय हानियों को उल्लेखनीय तौर पर भी कम किया जा रहा है तथा यह भी कि कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 20.008 प्रतिशत की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना 19.38 प्रतिशत की दर से की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012-2013 के उपरान्त यदि कम्पनी को अन्य किसी कर का भुगतान या फिर शासन की किसी नीति में परिवर्तन के कारण अन्यथा भी अन्य कोई कर प्रतिबद्धता (tax liability) उसके समक्ष आती हो तो याचिकाकर्ता को वास्तविक भुगतान की गई राशि के आधार पर बिल किया जाना अनुज्ञेय किया जाएगा।
- 4.9 मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2012 के विनियम 22.3 के अनुसार, पूंजी के आधार दर का सकलीकरण विद्युत उत्पादक कम्पनी को लागू वित्तीय वर्ष 2012-13 की दर के आधार पर किया जाना होगा। याचिकाकर्ता द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान किसी भी कर का भुगतान नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंकक्षित लेखों को उनके स्तर पर अभी भी अन्तिम किया जाना शेष है। अतएव, 15.5 प्रतिशत की दर से पूंजी पर प्रतिलाभ बिना किसी सकलीकरण के, याचिकाकर्ता द्वारा वास्तविक कर के भुगतान के अध्यक्षीन यदि वह उसके द्वारा किया जाता है, की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 4.10 तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना इस आदेश के अन्तर्गत निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

**तालिका 21 : इस आदेश के अन्तर्गत अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ (राशि करोड़ रुपये में)**

| सरल क्रमांक | पावर स्टेशन                                   | दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में प्रारंभिक पूंजी जो पूंजी पर प्रतिलाभ की अर्हता रखता है (करोड़ रुपये में) | पूंजी पर प्रतिलाभ की दर प्रतिशत में | पूंजी पर प्रतिलाभ                      |  |  |
|-------------|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
|             |   |  |                                     | वित्तीय वर्ष 2013-14 (करोड़ रुपये में) | वित्तीय वर्ष 2014-15 (करोड़ रुपये में) | वित्तीय वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपये में) |
| 1           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-II)    | 33.46  | 15.5                                | 5.19                                   | 5.19                                   | 5.19                                   |
| 2           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-III)   | 223.42   | 15.5                                | 34.63                                  | 34.63                                  | 34.63                                  |
| 3           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल        | 185.00   | 15.5                                | 28.68                                  | 28.68                                  | 28.68                                  |
| 4           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-I तथा II) | 649.12   | 15.5                                | 100.61                                 | 100.61                                 | 100.61                                 |

|    |  |         |      |        |        |        |
|----|--|---------|------|--------|--------|--------|
| 5  | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-III) 500 मेगावाट | 553.62  | 15.5 | 85.81  | 85.81  | 85.81  |
| 6  | गांधी सागर   | 3.09    | 15.5 | 0.48   | 0.48   | 0.48   |
| 7  | पेंच   | 28.87   | 15.5 | 4.47   | 4.47   | 4.47   |
| 8  | राजघाट   | 24.84   | 15.5 | 3.85   | 3.85   | 3.85   |
| 9  | बरगी   | 26.11   | 15.5 | 4.05   | 4.05   | 4.05   |
| 10 | बाणसागर (I से III)                                   | 373.18  | 15.5 | 57.84  | 57.84  | 57.84  |
| 11 | बाणसागर-IV (झिन्ना)                                  | 29.98   | 15.5 | 4.65   | 4.65   | 4.65   |
| 12 | मढ़ीखेड़ा  | 45.35   | 15.5 | 7.03   | 7.03   | 7.03   |
| 13 | बिरसिंहपुर   | 15.65   | 15.5 | 2.43   | 2.43   | 2.43   |
| 14 | योग  | 2191.69 |      | 339.71 | 339.71 | 339.71 |

**ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest & Finance Charges on Loan Capital)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)**

- 4.11 याचिका में दाखिल किये गये अनुसार, प्रारंभिक सकल खण्ड (Gross Block) पर विचार करते हुए (अतिरिक्त पूंजीकरण को शामिल करते हुए) याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 1.4.2009 की स्थिति में पावर स्टेशनवार प्रारंभिक ऋण अवशेष ऋण-प्रदायकर्तावार ऋण की राशि दर्शाते हुए दाखिल किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा मेसर्स पावर फायनेन्स कार्पोरेशन (पीएफसी) तथा मप्र शासन से वित्तीय वर्ष 2010, वित्तीय वर्ष 2011 तथा वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2 से 3 तथा संजयगांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच तथा 2 के पूंजीगत निर्माण कार्यों (Capital Works) तथा आवश्यकता आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों (need based R&M) के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 210 मेगावाट अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन इकाई क्रमांक 5 तथा संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन इकाई क्रमांक 5 हेतु लिये गये ऋण पर भी विचार किया गया।
- 4.12 याचिकाकर्ता ने दिनांक 31.3.2013 की स्थिति में ऋणों के अन्तिम शेष को याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु अवमूल्यन के बराबर अदायगी पर विचार करते हुए दाखिल किया गया है।
- 4.13 याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 1-4-2012 की स्थिति में प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार दाखिल की गई स्टेशनवार भारित औसत ब्याज दर (weighted average rate of interest) निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

**तालिका 22 : याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई भारित औसत ब्याज दर**

| विवरण                              | दिनांक 1-4-2012 की स्थिति में विभिन्न ऋणों की ब्याज दरें |                |                          |           |        |
|------------------------------------|--|----------------|--------------------------|-----------|--------|
|                                    | पीएफसी   | जीवन बीमा निगम | ग्रामीण विद्युतीकरण निगम | मप्र शासन | योग    |
| 1 अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई | 11.52%   |                |                          | 10.50%    | 11.52% |
| 2 सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी | 13.27%   |                |                          | 12.50%    | 13.27% |

**एमपीपीजीसीएल बहुवर्षीय टैरिफ आदेश : वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 हेतु**

|    |   |               |              |              |               |               |
|----|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 3  | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | 11.66%        | 8.50%        |              | 10.50%        | 8.72%         |
| 4  | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच- III     | 11.34%        |              |              |               | 11.34%        |
| 5  | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन योग           | 11.34%        | 8.50%        |              | 10.50%        | 10.93%        |
| 6  | मालवा                                       | 13.00%        |              |              |               | 13.00%        |
| 7  | योग ताप विद्युत                             | 12.59%        | 8.50%        | 0.00%        | 10.54%        | 12.47%        |
| 8  | गांधी सागर                                  |               |              |              |               |               |
| 9  | पेंच  |               |              |              |               |               |
| 10 | राजघाट                                      |               |              |              |               |               |
| 11 | बरगी  |               |              |              |               |               |
| 12 | बाणसागर पीएच-I से IV                        | 12.10%        |              | 8.50%        | 10.50%        | 9.92%         |
| 13 | मढ़ीखेड़ा                                   | 10.56%        |              |              | 10.50%        | 10.56%        |
| 14 | बिरसिंहपुर                                  |               |              |              |               |               |
| 15 | योग जल विद्युत                              | 10.91%        | 0.00%        | 8.50%        | 10.50%        | 10.29%        |
| 16 | मुख्यालय                                    |               |              |              | 10.50%        | 10.50%        |
|    | <b>योग</b>                                  | <b>12.57%</b> | <b>8.50%</b> | <b>8.50%</b> | <b>10.53%</b> | <b>12.42%</b> |

4.14 तालिका 9.5.1 से 9.5.3 में, याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2014, वित्तीय वर्ष 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2016 हेतु ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर के अनुप्रयोग द्वारा निम्न पावर स्टेशनवार ऋण अवशेष (loan balances) ब्याज प्रभार (interest charges) दाखिल किये गये हैं :

**तालिका 23 : याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई स्टेशनवार भारित औसत ब्याज दर**

| पावर स्टेशन                                 | ऋण का प्रारंभिक शेष     |                         |                         | ब्याज राशि              |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II          | 54.02                   | 39.70                   | 25.37                   | 5.40                    | 3.75                    | 2.10                    |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III         | 600.38                  | 549.04                  | 497.70                  | 66.18                   | 60.27                   | 54.36                   |
| <b>अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई</b>     | <b>654.40</b>           | <b>588.74</b>           | <b>523.07</b>           | <b>71.58</b>            | <b>64.02</b>            | <b>56.46</b>            |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | 24.55                   |                         |                         | 1.07                    |                         |                         |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III      | 1105.45                 | 998.62                  | 891.79                  | 119.30                  | 107.19                  | 95.07                   |

|                                   |                |                |                |               |               |               |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन योग | <b>1130.00</b> | <b>998.62</b>  | <b>891.79</b>  | <b>120.37</b> | <b>107.19</b> | <b>95.07</b>  |
| <b>योग ताप विद्युत</b>            | <b>1784.40</b> | <b>1587.36</b> | <b>1414.86</b> | <b>191.95</b> | <b>171.20</b> | <b>151.53</b> |
| बाणसागर पीएच I, II तथा III        | 37.34          |                |                | 1.85          |               |               |
| बाणसागर पीएच-IV                   | 15.48          | 9.15           | 2.82           | 1.22          | 0.59          | 0.14          |
| मढीखेड़ा                          | 73.06          | 61.81          | 50.55          | 7.12          | 5.93          | 4.75          |
| <b>योग जल विद्युत</b>             | <b>125.88</b>  | <b>70.96</b>   | <b>53.37</b>   | <b>10.20</b>  | <b>6.53</b>   | <b>4.89</b>   |
| मुख्यालय                          | 0.69           | 0.59           | 0.49           | 0.07          | 0.06          | 0.05          |
| <b>योग</b>                        | <b>1910.97</b> | <b>1658.90</b> | <b>1468.72</b> | <b>202.21</b> | <b>177.79</b> | <b>156.46</b> |

4.15 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा निम्नानुसार भी निवेदन किया गया है :

“मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 के विनियम 21.2 के परंतुक में प्रावधान किया गया है कि जहां वास्तविक रूप से लगाई गई पूंजी 30 प्रतिशत से अधिक प्रयुक्त की गई हो, वहां टैरिफ अवधारण के प्रयोजन हेतु पूंजी (इक्विटी) की राशि को 30 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा तथा शेष राशि को ऋण के रूप में मान्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आयोग ने आदेश दिनांक 27.12.2012 के माध्यम से पावर स्टेशनवार आधिक्य पूंजी की राशि का अवधारण ऐसे पावर स्टेशनों के संबंध में जिन्हें अन्तिम प्रारंभिक तुलन-पत्र के माध्यम से अन्तरित दिनांक 31.3.08 तक मानदण्डीय अदायगी के पश्चात् किया गया है तथा इसी राशि को नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 हेतु आधिक्य पूंजी पर ब्याज की गणना के प्रयोजन हेतु भी माना गया है। नवीन इकाईयों, अर्थात् मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन, बाणसागर पीएच-4 (झिन्ना), संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-3 हेतु दिनांक 1.4.2009 की स्थिति में आधिक्य पूंजी को माना गया है।”

4.16 याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2014, वित्तीय वर्ष 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2016 हेतु पावर स्टेशनवार आधिक्य राशि पर औसत शेष राशियों तथा ब्याज को ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर के अनुप्रयोग द्वारा दाखिल किया गया है।

4.17 उपरोक्त के आधार पर, याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 14, वित्तीय वर्ष 15 तथा वित्तीय वर्ष 16 हेतु ऋण पूंजी (Loan Capital) तथा आधिक्य पूंजी (Excess Equity) पर कुल ब्याज प्रभारों का दावा निम्नानुसार किया है :

**तालिका 24 : दाखिल किया गया कुल ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित करते हुए)**

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| पावर स्टेशन                         | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II  | 5.77                    | 4.12                    | 2.47                    |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III | 66.18                   | 60.27                   | 54.36                   |

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई            | 71.95  | 64.39  | 56.82  |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | 4.80   | 0.00   | 0.00   |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III      | 124.01 | 111.90 | 99.78  |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन योग           | 128.81 | 111.90 | 99.78  |
| योग ताप विद्युत                             | 200.76 | 176.28 | 156.61 |
| बाणसागर पीएच I, II तथा III                  | 4.50   | 0.66   | 0.00   |
| बाणसागर पीएच-IV                             | 3.78   | 3.16   | 2.48   |
| मढ़ीखेड़ा                                   | 7.90   | 6.72   | 5.53   |
| बरगी  | 0.23   | 0.22   | 0.21   |
| योग जल विद्युत                              | 16.42  | 10.75  | 8.22   |
| योग   | 217.18 | 187.03 | 164.83 |

#### विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulations )

- 4.18 मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 के विनियम 23 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

“विनियम 21 में दर्शाई गई विधि अनुसार गणना किये गये ऋण, ऋण पर ब्याज की सकल मानदण्डीय ऋण की गणना किये गये माने जाएंगे।

दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दि. 31.03.2013 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति (Cumulative) अदायगी को घटाकर की जायेगी।

टैरिफ अवधि 2013-16 के प्रत्येक वर्ष हेतु अदायगी को उक्त वर्ष हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा।

विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा भले ही कोई भी विलम्बकाल अवधि (Moratorium Period) का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा।

ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना, परियोजना हेतु प्रयोज्य प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वास्तविक ऋण की श्रेणी (Portfolio) के आधार पर की जाएगी :

परंतु यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण लंबित न हो परंतु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी:

परन्तु यदि उत्पादक स्टेशन के विरुद्ध वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में विद्युत उत्पादक कंपनी की समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर मानी जाएगी।

ऋण पर ब्याज की गणना के मानकीकृत औसत पर भारत औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

विद्युत उत्पादक कंपनी ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु समस्त प्रयास करेगी जब तक यह ब्याज पर सकल लाभ में परिणत हो तथा ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था संबद्ध लागतों को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की सकल बचत को हितग्राहियों द्वारा वहन किया जाएगा इस प्रकार की गई सकल बचत को हितग्राहियों तथा विद्युत उत्पादक कंपनी के मध्य 2:1 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

ऋणों की निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था की स्थिति से दर्शाया जाएगा।

किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार मप्रविनिआ (कार्य संचालन) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परंतु हितग्राहियों द्वारा विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था से उदभूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका न जाएगा।”

#### आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

- 4.19 मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2012 के विनियम 23.2 में प्रावधान किया गया है कि दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋणों की गणना आयोग द्वारा दि. 31.03.2013 तक आयोग द्वारा स्वीकृत सकल मानदण्डीय ऋण में से संचिति (Cumulative) अदायगी को घटाकर की जायेगी।
- 4.20 याचिकाकर्ता ने 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में प्रारंभिक ऋण की गणना दिनांक 1 अप्रैल, 2009 की स्थिति में पावर स्टेशनवार तथा ऋण प्रदायकर्तावार द्वारा ऋण अवशेष राशियों को मानकर की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II, सतपुड़ा विद्युत ताप स्टेशन पीएच-II तथा III एवं संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II (जिसे आयोग द्वारा विचारार्थ स्वीकार नहीं किया गया है) के पूंजीगत निर्माण कार्यो तथा मांग आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यो हेतु तथा इनके साथ-साथ अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन 210 मेगावाट इकाई क्रमांक 5 तथा संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन इकाई क्रमांक 5 के अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु पीएफसी तथा मप्र शासन से प्राप्त किये गये ऋणों पर भी विचार नहीं किया गया है।
- 4.21 पिछले परिच्छेदों के अन्तर्गत आयोग ने दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में पावर स्टेशनवार ऋण अवशेष राशियों की गणना उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान, विनियम, वर्ष 2012 के अनुसार निम्न मार्गदर्शिका पर विचार करते हुए की गई है :
- (अ) आयोग द्वारा पुराने पावर स्टेशनों के संबंध, में वित्तीय वर्ष 2009-10 के पिछले सत्यापन आदेश में स्वीकृत की गई ऋण अवशेष राशियों (दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में) को प्रारंभिक ऋण अवशेष राशियों के प्रयोजन हेतु आधार आंकड़े माना गया है।

- (ब) तत्पश्चात्, वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 3 मार्च, 2010 में अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन को तत्संबंधी वर्ष के दौरान अदायगी (repayment) की गई राशि के बराबर दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में ऋण की प्रारंभिक शेष राशियों की प्राप्ति हेतु माना गया है।
- (स) आयोग द्वारा नवीन पावर स्टेशनों (जैसा कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन 210 मेगावाट इकाई-5, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन विस्तार 500 मेगावाट इकाई-5 तथा मढीखेड़ा जल विद्युत पावर स्टेशन) के संबंध में स्वीकृत की गई ऋण अवशेष राशियों (31 मार्च, 2012 की स्थिति में) आयोग द्वारा तत्संबंधी विद्युत उत्पादक इकाई(यों) हेतु जारी किये गये अन्तिम टैरिफ आदेशों के अनुसार माना गया है। बाणसागर-4 (झिन्ना) हेतु ऋण अवशेष को आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के आदेश में स्वीकृति को इस हेतु प्रावधिक रूप से स्वीकृत माना गया है।
- (द) वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु समस्त पावर स्टेशनों (पुराने तथा नये) के संबंध में भुगतान की अदायगी को तत्संबंधी पावर स्टेशनों हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2012 में अवमूल्यन के बराबर अनुज्ञेय किया गया मान लिया गया है।
- (ई) याचिकाकर्ता द्वारा पावर स्टेशनवार गणना की गई ब्याज की भारित औसत दर को इस याचिका के अन्तर्गत दाखिल किया गया मान लिया गया है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में सहायक अभिलेख भी संलग्न किये हैं।

4.22 दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में प्रारंभिक ऋण अवशेष राशियों की गणना आधिक्य पूंजी (excess equity) को मानकर की गई है। इस प्रकार गणना की गई ब्याज राशि को तथा जिसे उपरोक्त कथित प्रारंभिक ऋण अवशेष राशियों में अनुज्ञेय किया गया है, के अन्तर्गत आधिक्य पूंजी पर ब्याज को शामिल किया गया है। अतएव, इस आदेश अन्तर्गत नियंत्रण अवधि के दौरान आधिक्य पूंजी पर ब्याज को पृथक से दर्शाया नहीं गया है। विनियम वर्ष 2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की नियंत्रण अवधि के दौरान तत्संबंधी पावर स्टेशन के संबंध में ऋण की अदायगी (repayment) को इस आदेश में अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर मान लिया गया है।

4.23 उपरोक्त चर्चा के आधार पर, इस आदेश में ऋण पूंजी पर ब्याज तथा आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर, (जिसे मानदण्डीय ऋण माना गया है) की गणना निम्न तालिकाओं में दर्शायेनुसार की गई है :

**तालिका 25 : इस आदेश के अन्तर्गत अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्तीय प्रभार (आधिक्य पूंजी को शामिल करते हुए)**

**अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच- II**

| विवरण                                 | इकाई                   | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वर्ष हेतु प्रारंभिक ऋण अवशेष राशि     | करोड़ रुपये में        | 52.86                 | 46.78                 | 40.70                 |
| वर्ष के दौरान की गई ऋण अदायगी की राशि | करोड़ रुपये में        | 6.08                  | 6.08                  | 6.08                  |
| वर्ष हेतु ऋण का अन्तिम शेष            | करोड़ रुपये में        | 46.78                 | 40.70                 | 34.61                 |
| वित्तीय वर्ष हेतु ऋण की औसत राशि      | करोड़ रुपये में        | 49.82                 | 43.74                 | 37.65                 |
| ब्याज की भारित औसत दर                 | प्रतिशत                | 11.52                 | 11.52                 | 11.52                 |
| <b>ब्याज राशि</b>                     | <b>करोड़ रुपये में</b> | <b>5.74</b>           | <b>5.04</b>           | <b>4.34</b>           |

**अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच- III**

| विवरण                                 | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वर्ष हेतु प्रारंभिक ऋण अवशेष राशि     | करोड़ रुपये में | 623.41                | 578.91                | 534.41                |
| वर्ष के दौरान की गई ऋण अदायगी की राशि | करोड़ रुपये में | 44.50                 | 44.50                 | 44.50                 |
| वर्ष हेतु ऋण का अन्तिम शेष            | करोड़ रुपये में | 578.91                | 534.41                | 489.91                |
| वित्तीय वर्ष हेतु ऋण की औसत राशि      | करोड़ रुपये में | 601.16                | 556.66                | 512.16                |
| ब्याज की भारित औसत दर                 | प्रतिशत         | 11.52                 | 11.52                 | 11.52                 |
| <b>ब्याज राशि</b>                     | करोड़ रुपये में | <b>69.25</b>          | <b>64.13</b>          | <b>59.00</b>          |

**संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच -III**

| विवरण                                 | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वर्ष हेतु प्रारंभिक ऋण अवशेष राशि     | करोड़ रुपये में | 958.42                | 858.33                | 758.25                |
| वर्ष के दौरान की गई ऋण अदायगी की राशि | करोड़ रुपये में | 100.09                | 100.09                | 100.09                |
| वर्ष हेतु ऋण का अन्तिम शेष            | करोड़ रुपये में | 858.33                | 758.25                | 658.16                |
| वित्तीय वर्ष हेतु ऋण की औसत राशि      | करोड़ रुपये में | 908.38                | 808.29                | 708.21                |
| ब्याज की भारित औसत दर                 | प्रतिशत         | 11.34                 | 11.34                 | 11.34                 |
| <b>ब्याज राशि</b>                     | करोड़ रुपये में | <b>103.01</b>         | <b>91.66</b>          | <b>80.31</b>          |

**बाणसागर (I-III):**

| विवरण                                 | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वर्ष हेतु प्रारंभिक ऋण अवशेष राशि     | करोड़ रुपये में | 20.90                 | 0.00                  | 0.00                  |
| वर्ष के दौरान की गई ऋण अदायगी की राशि | करोड़ रुपये में | 20.90                 | 0.00                  | 0.00                  |
| वर्ष हेतु ऋण का अन्तिम शेष            | करोड़ रुपये में | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| वित्तीय वर्ष हेतु ऋण की औसत राशि      | करोड़ रुपये में | 10.45                 | 0.00                  | 0.00                  |
| ब्याज की भारित औसत दर                 | प्रतिशत         | 9.92                  | 9.92                  | 9.92                  |
| <b>ब्याज राशि</b>                     | करोड़ रुपये में | <b>1.04</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |

**बाणसागर IV (झिन्ना):**

| विवरण                                 | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वर्ष हेतु प्रारंभिक ऋण अवशेष राशि     | करोड़ रुपये में | 28.33                 | 23.43                 | 18.53                 |
| वर्ष के दौरान की गई ऋण अदायगी की राशि | करोड़ रुपये में | 4.90                  | 4.90                  | 4.90                  |
| वर्ष हेतु ऋण का अन्तिम शेष            | करोड़ रुपये में | 23.43                 | 18.53                 | 13.64                 |
| वित्तीय वर्ष हेतु ऋण की औसत राशि      | करोड़ रुपये में | 25.88                 | 20.98                 | 16.09                 |
| ब्याज की भारित औसत दर                 | प्रतिशत         | 9.92                  | 9.92                  | 9.92                  |
| <b>ब्याज राशि</b>                     | करोड़ रुपये में | <b>2.57</b>           | <b>2.08</b>           | <b>1.60</b>           |

**मढ़ीखेड़ा :**

| विवरण                                 | इकाई            | वित्तीय वर्ष 13-14 | वित्तीय वर्ष 14-15 | वित्तीय वर्ष 15-16 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| वर्ष हेतु प्रारंभिक ऋण अवशेष राशि     | करोड़ रूपये में | 91.15              | 79.93              | 68.72              |
| वर्ष के दौरान की गई ऋण अदायगी की राशि | करोड़ रूपये में | 11.22              | 11.22              | 11.22              |
| वर्ष हेतु ऋण का अन्तिम शेष            | करोड़ रूपये में | 79.93              | 68.72              | 57.50              |
| वित्तीय वर्ष हेतु ऋण की औसत राशि      | करोड़ रूपये में | 85.54              | 74.32              | 63.11              |
| ब्याज की भारत औसत दर                  | प्रतिशत         | 10.56              | 10.56              | 10.56              |
| <b>ब्याज राशि</b>                     | करोड़ रूपये में | <b>9.03</b>        | <b>7.85</b>        | <b>6.66</b>        |

**एमपीपीजीसीएल योग :**

| विवरण                                 | इकाई            | वित्तीय वर्ष 13-14 | वित्तीय वर्ष 14-15 | वित्तीय वर्ष 15-16 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| वर्ष हेतु प्रारंभिक ऋण अवशेष राशि     | करोड़ रूपये में | 1775.07            | 1587.39            | 1420.61            |
| वर्ष के दौरान की गई ऋण अदायगी की राशि | करोड़ रूपये में | 187.68             | 166.78             | 166.78             |
| वर्ष हेतु ऋण का अन्तिम शेष            | करोड़ रूपये में | 1587.39            | 1420.61            | 1253.82            |
| वित्तीय वर्ष हेतु ऋण की औसत राशि*     | करोड़ रूपये में | 1681.23            | 1504.00            | 1337.21            |
| ब्याज की भारत औसत दर                  | प्रतिशत         | 11.34              | 11.35              | 11.36              |
| <b>ब्याज राशि</b>                     | करोड़ रूपये में | <b>190.64</b>      | <b>170.76</b>      | <b>151.91</b>      |

\* एमपीपीजीसीएल हेतु भारत औसत ब्याज दर की गणना समग्र रूप से समस्त पावर स्टेशनों की औसत ऋण की कुल राशि तथा ब्याज राशि के आधार पर की गई है जैसा कि इसकी गणना प्रत्येक वर्ष में टैरिफ अवधि हेतु की गई है।

**अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)**

याचिकाकर्ता ने मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया है :

4.24 "आयोग द्वारा 'मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {आरजी-26 (II), वर्ष 2012}' में अवमूल्यन को प्रभारित करने संबंधी सिद्धान्तों को निर्दिष्ट किया गया है। मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने अवमूल्यन का अवधारण विनियम, वर्ष 2012 के अनुसार किया है।

4.25 सकल खण्ड पर अवमूल्यन की गणना निम्न प्रावधानों के आधार पर की गई है :

- (i) अवमूल्यन की दरों को विनियम आरजी-26 (II) वर्ष 2012 के परिशिष्ट-2 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये के अनुसार माना गया है।
- (ii) परिसम्पत्तियों का उपादेय मूल्य (Salvage Value) 10 प्रतिशत माना गया है, अर्थात् किसी भी परिसम्पत्ति को उसके सकल मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यित नहीं किया गया है।

4.26 विभिन्न संयंत्रों के संबंध में याचिका के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रभारणीय अवमूल्यन (depreciation chargeable) का स्टेशनवार विभाजन (Break-up) निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

**तालिका 26 : याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किया गया स्टेशनवार अवमूल्यन**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक | स्टेशन                                      | दिनांक 1-4-2013 की स्थिति में प्रारंभिक शेष |                | अवमूल्यन          |                   |                   | दावा किया गया संचित अवमूल्यन | दावा किया गया संचित अवमूल्यन, सकल खण्ड के प्रतिशत के रूप में |
|-------------|---|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
|             |   | परिसम्पत्ति सकल खण्ड                        | संचित अवमूल्यन | वित्तीय वर्ष 2014 | वित्तीय वर्ष 2015 | वित्तीय वर्ष 2016 |                              |  |
| 1           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II          | 209.08                                      | 123.83         | 14.32             | 14.32             | 14.32             | 166.80                       | 80%  |
| 2           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III         | 1117.20                                     | 173.92         | 51.34             | 51.34             | 51.34             | 327.95                       | 29%  |
| 3           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई            | 1326.29                                     | 297.75         | 65.66             | 65.66             | 65.66             | 494.74                       | 37%  |
| 4           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I           | 47.36                                       | 42.58          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 42.58                        | 90%  |
| 5           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच II तथा III  | 676.18                                      | 571.34         | 0.92              | 0.92              | 0.92              | 574.11                       | 85%  |
| 6           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन योग              | 723.55                                      | 613.92         | 0.93              | 0.93              | 0.93              | 616.69                       | 85%  |
| 7           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच I तथा II | 2172.83                                     | 1478.21        | 92.23             | 92.23             | 92.23             | 1754.90                      | 81%  |
| 8           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच III      | 2066.56                                     | 460.88         | 106.83            | 106.83            | 106.83            | 781.37                       | 38%  |
| 9           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन योग           | 4239.39                                     | 1939.09        | 199.06            | 199.06            | 199.06            | 2536.27                      | 60%  |
| 10          | योग ताप विद्युत                             | 6289.22                                     | 2850.75        | 265.65            | 265.65            | 265.65            | 3647.71                      | 58%  |
| 11          | गांधी सागर*                                 | 10.33                                       | 9.30           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 9.30                         | 90%  |
| 12          | पेंच  | 96.27                                       | 73.98          | 3.17              | 3.17              | 3.17              | 83.50                        | 87%  |
| 13          | राजघाट                                      | 82.81                                       | 41.12          | 4.03              | 4.03              | 4.03              | 53.22                        | 64%  |
| 14          | बरगी  | 88.19                                       | 60.95          | 3.07              | 3.07              | 3.07              | 70.16                        | 80%  |
| 15          | बाणसागर पीएच-I, II तथा III                  | 1249.57                                     | 566.30         | 58.69             | 58.69             | 58.69             | 742.36                       | 59%  |
| 16          | बाणसागर पीएच-IV                             | 119.72                                      | 30.76          | 6.33              | 6.33              | 6.33              | 49.75                        | 42%  |
| 17          | मढीखेड़ा                                    | 215.67                                      | 55.37          | 11.25             | 11.25             | 11.25             | 89.13                        | 41%  |
| 18          | बिरसिंहपुर                                  | 52.15                                       | 31.93          | 1.67              | 1.67              | 1.67              | 36.94                        | 71%  |
| 19          | योग जल विद्युत                              | 1913.54                                     | 869.30         | 88.12             | 88.12             | 88.12             | 1133.65                      | 59%  |
|             | <b>योग</b>                                  | <b>8203.93</b>                              | <b>3720.46</b> | <b>353.87</b>     | <b>353.87</b>     | <b>353.87</b>     | <b>4782.07</b>               | <b>58%</b>   |

\*चूंकि संचित अवमूल्यन सकल खण्ड का 90 प्रतिशत पहुंच चुका है, अतएव किसी अवमूल्यन को प्रभारित नहीं किया गया है।

मुख्यालय के सकल खण्ड के प्रभारणीय अवमूल्यन निकटतम पावर स्टेशन, अर्थात् बरगी जल विद्युत स्टेशन को आवंटित किया गया है।

### विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulations)

4.27 मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्त) विनियम, 2012 के विनियम 24 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

“टैरिफ के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्न विधि द्वारा की जाएगी :

- (ए) अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु आधार मूल्य परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत होगी जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुज्ञेय किया जाए।
- (बी) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा की निधि की प्राप्ति (फंडिंग) सम्मिलित होगी जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनियम दर पर समतुल्य रूपों में परिवर्तित किया जाएगा।
- (सी) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य (Salvage Value) 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगा :

परंतु किसी जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में, उपादेय मूल्य, विकासकों द्वारा राज्य शासन के साथ कार्यस्थल के चयन हेतु किये गये लिखित समझौते में किये गये प्रावधान अनुसार होगा :

परंतु यह भी कि जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत अवमूल्यन की गणना के प्रयोजन से विनियमित टैरिफ अनुसार दीर्घ-अवधि विद्युत क्रय समझौते के अंतर्गत विद्युत विक्रय के प्रतिशत से तत्संबंधी होगी।

- (डी) पट्टे पर ली गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को तथा जल-विद्युत उत्पादक स्टेशन के प्रकरण में भूमि को अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यन-योग्य मूल्य की गणना करते समय इसकी लागत पर पूंजीगत लागत की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा।
- (ई) अवमूल्यन की गणना प्रति वर्ष 'सरल रेखा विधि (Straight Line Method) के आधार पर की जाएगी तथा विद्युत उत्पादक स्टेशन की परिसम्पत्तियों हेतु परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी।

परन्तु वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन-योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा।

- (एफ) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरुद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक

पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात् अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी न हो।

(जी) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारणीय होगा यदि परिसम्पत्ति का वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के किसी अंश हेतु अवमूल्यन को आनुपातिक दर (Pro-rata) पर प्रभारित किया जाएगा।”

#### आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis) :

4.28 विनियम वर्ष 2012 के विनियम 24.1 (ए) में प्रावधान किया गया है कि अवमूल्यन के प्रयोजन हेतु आधार मूल्य परिसम्पत्तियों की पूंजीगत लागत होगा जैसा कि आयोग द्वारा इसे अनुज्ञेय किया जाए।

4.29 आयोग ने दिनांक 1 अप्रैल, 2013 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की गणना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पूर्व में स्वीकृत टैरिफ आदेश में (पुराने पावर स्टेशन हेतु) तथा अन्तिम टैरिफ आदेश में नवीन विद्युत उत्पादक इकाईयों {जैसे कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई-5, (210 मेगावाट), संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन इकाई-5, (500 मेगावाट) तथा मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन} हेतु पावर स्टेशनवार स्वीकृत की गई सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के आधार पर की गई है। बाणसागर-4 (झिन्ना) हेतु अन्तिम टैरिफ याचिका वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतएव, सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, जैसा कि इन्हें प्रावधिक टैरिफ आदेश में स्वीकृत किया गया है, को इस आदेश के लिये माना गया है। सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 की इकाई-3 को एक अक्टूबर, 2012 को अ-क्रियाशील (de-commission) किया जा चुका है। अतएव इस इकाई की रु. 9.47 करोड़ की सकल स्थाई परिसम्पत्तियां (जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा इनके बारे में सूचित किया गया है) को सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल (Complex) की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में से घटाया गया है जो तत्संबंधी वर्ष हेतु अंकेक्षित लेखों के वास्तविक आंकड़ों के सत्यापन के अध्वधीन होगा। तदनुसार, एक अप्रैल, 2013 की स्थिति में प्रारंभिक सकल खण्ड की गणना इस आदेश के पैरा 3.16 में की गई है।

4.30 याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 परिसम्पत्ति-सह-अवमूल्यन पंजियों को अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा उनके पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा प्रस्तुत की गई अवमूल्यन तथा परिसम्पत्ति सह-अवमूल्यन पंजियों के संबंध में आयोग द्वारा याचिकाकर्ता से निम्न स्पष्टीकरण चाहे गये :

(i) संजयगांधी ताप विद्युत स्टेशन बिरसिंहपुर पीएच-1 तथा 2 में संचित अवमूल्यन वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 70 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुका है। विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 24 (1) (एफ) के अनुसार “अवमूल्यन दर को विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवन कार्यकाल के अन्तर्गत प्रसारित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की 90 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी न हो।” एमपीपीजीसीएल ने संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच1 तथा 2 में विनियम के उपरोक्त कथित प्रावधानों के परिपालन में वित्तीय वर्ष 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2016 के

दौरान संचित अवमूल्यन की 70 प्रतिशत सीमा प्राप्ति किये जाने के बावजूद अवमूल्यन को दाखिल नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान अवमूल्यन को प्रयोज्य दर पर प्रभारित किये जाने के संबंध में कारण दाखिल किये जाएं।

- (ii) अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2 हेतु प्रभारित की गई अवमूल्यन दर का अवलोकन करते समय, यह पाया गया है कि अवमूल्यन दर को 6.85 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है जो विनियम के अनुसार अवमूल्यन की औसत दर से अधिक है। चूंकि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2 में अधिकांश परिसम्पत्तियों को अवमूल्यित किया जा चुका है, अवमूल्यन की अधिक दर का दावा किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
- (iii) एमपीपीजीसीएल द्वारा प्रस्तुत किये गये परिसम्पत्ति-सह-अवमूल्यन पंजियों का अवलोकन करते समय यह पाया गया कि कुछ प्रकरणों में अवमूल्यन की दर को अवमूल्यन की प्रयोज्य दर से अधिक दर पर प्रभारित किया गया है। उच्च अवमूल्यन दर का दावा किये जाने बाबत कारण स्पष्ट किये जाएं।

4.31 याचिकाकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 7 मार्च, 2013 द्वारा निम्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया :

- वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 तक की नियंत्रण अवधि के लिये बहुवर्षीय टैरिफ याचिका में दावा की गई अवमूल्यन की राशि की गणना वित्तीय वर्ष 2012 हेतु दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में लेखों के अंकेक्षित वार्षिक विवरण-पत्र के अनुसार सकल खण्ड के आधार पर की गई है। इसके अलावा, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन के विद्युत गृहों अर्थात् पीएच-1 तथा 2 द्वारा 31.3.2013 की स्थिति में मप्रविनिआ विनियम, वर्ष 2012 के अनुसार 25 वर्ष के जीवनकाल के विरुद्ध क्रमशः 20 वर्ष तथा 14 वर्ष का जीवनकाल पूर्ण किया जा चुका है। संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 तथा 2 के दिनांक 31.3.2012 की स्थिति में संचित अवमूल्यन तथा सकल खण्ड के विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

| विवरण  | राशि करोड़ रुपये में |
|--|----------------------|
| दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में सकल खण्ड       | 2172.83              |
| दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में संचित अवमूल्यन | 1385.98              |
| संचित अवमूल्यन सकल खण्ड के प्रतिशत के रूप में  | <b>63.79%</b>        |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संचित अवमूल्यन की गणना सकल खण्ड के 63.97 प्रतिशत की गई है जो 31.3.2012 की स्थिति में 70 प्रतिशत से कम है। एमपीपीजीसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई बहुवर्षीय टैरिफ याचिका दाखिल करते समय वित्तीय वर्ष 2013 हेतु तथा तत्पश्चात् कोई अतिरिक्त पूंजीकरण प्राक्कलित नहीं किया गया है। अतएव, यह पूर्वानुमान लगाया जाना अत्यन्त कठिन है कि संचित अवमूल्यन सकल खण्ड के 70 प्रतिशत तक कब तक पहुंच पायेगा। अतः इस मुद्दे का निराकरण तत्संबंधी वर्षों हेतु लेखों के वार्षिक विवरण-पत्र के आधार पर उत्पादन टैरिफ का सत्यापन करते समय किया जाना युक्तिसंगत होगा।

- अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2 द्वारा अपना विनिर्दिष्ट जीवन कार्यकाल पूरा किया जा चुका है, अर्थात् मप्रविनिआ विनियम, 2012 के अनुसार निर्धारित 25 वर्षीय जीवन कार्यकाल तथा वर्तमान में इस संयंत्र को कार्य करते हुए 36 वर्ष पूर्ण कर किये गये हैं। यहां यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे पावर स्टेशनों के संबंध में जिनका उपयोगी जीवन कार्यकाल समाप्त हो चुका है, के अवमूल्यन को भारत किये जाने हेतु एमपीपीजीएल के संयुक्त संचालक (लेखा) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2012 हेतु उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ याचिका पर आयोग के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी जिसके अन्तर्गत यह स्पष्टतया प्रतिपादित किया गया था कि ऐसे विद्युत गृह जिनका उपयोगी जीवन कार्यकाल समाप्त हो चुका था, में अवशेष अवमूल्यन की गणना किस प्रकार की जानी चाहिए क्योंकि मप्रविनिआ विनियम वर्ष 2009 के साथ-साथ विनियम वर्ष 2012 में वैयक्तिक परिसम्पत्तियों के जीवन कार्यकाल के बारे में निर्दिष्ट नहीं किया गया है (परिशिष्ट-2) तथा इसके अन्तर्गत केवल नवीन क्रियाशील किये गये पावर स्टेशनों के बारे में ही स्थिति स्पष्ट की गई है।

- 4.32 विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 24.1 (एफ) में प्रावधान है कि दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन मूल्य में से संचयी अवमूल्यन को घटा कर की जाएगी।
- 4.33 तदनुसार, दिनांक 1.4.2013 की स्थिति में संचयी अवमूल्यन की गणना आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु पूर्व में जारी सत्यापन आदेश तथा नवीन विद्युत उत्पादक इकाइयों के अन्तिम टैरिफ आदेश के अन्तर्गत पावर स्टेशनवार संचयी अवमूल्यन के आधार पर की गई है। वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अवमूल्यन को बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 3 मार्च, 2010 तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2012 में स्वीकृत किये गये अनुसार अनुज्ञेय किया गया है। नवीन विद्युत उत्पादक इकाइयों (जैसे कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, इकाई-5, 210 मेगावाट, संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन विस्तार इकाई-5, 500 मेगावाट तथा मढ़ीखेड़ा जल विद्युत पावर स्टेशन) हेतु, दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में संचयी अवमूल्यन (अन्तिम टैरिफ आदेश के अनुसार) को आधार आंकड़ा माना गया है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अवमूल्यन जैसा कि इसे टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किया गया है, को इन नवीन विद्युत उत्पादक इकाइयों हेतु दिनांक 1-4-2013 की स्थिति में संचयी अवमूल्यन की गणना हेतु माना गया है।
- 4.34 सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन (जैसा कि इस पर दिनांक एक अप्रैल 2013 की स्थिति में विचार किया गया है) की गणना निम्न आधार पर की गई है :
- (i) अवमूल्यन की दर, जैसे कि इसकी गणना परिसम्पत्ति-सह-अवमूल्यन पंजियों के साथ-साथ याचिका में की गई है, मे वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान मांग आधारित मरम्मत तथा अनुरक्षण के संबंध से परिसम्पत्तियों में वृद्धि को भी जोड़ा गया है जिन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया है जैसा कि इस बारे में इस आदेश के पूर्व परिच्छेदों में चर्चा की गई है। अतएव, अवमूल्यन की दर को पिछले सत्यापन आदेश/अन्तिम टैरिफ आदेश में स्टेशनवार अवमूल्यन की दर के अनुसार अनुज्ञेय किया गया है।

- (ii) परिसम्पत्तियों का उपादेय मूल्य सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का 10 प्रतिशत माना गया है, अर्थात् किसी भी परिसम्पत्ति का सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के 90 प्रतिशत मूल्य से अधिक अवमूल्यन नहीं किया गया है। झिन्ना जल विद्युत स्टेशन का अन्तिम टैरिफ आदेश वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतएव, इस जल विद्युत स्टेशन की अवमूल्यन दर को वित्तीय वर्ष 2012-13 के टैरिफ आदेश अनुसार माना गया है।
- (iii) नियंत्रण अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीकरण को दाखिल नहीं किया गया है। अतएव, नियंत्रण अवधि के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियां अपरिवर्तित रखी गई हैं।
- (iv) अवमूल्यन की दर विनियमों में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा गया है, जब तक संचयी अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता। अतएव, अवशेष अवमूल्यन को परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के दौरान विस्तारित किया गया है जिसके अनुसार संचयी अवमूल्यन में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के 90 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं जा जाएगी।
- (v) यह पाया गया है कि कुछ पावर स्टेशनों में संचयी अवमूल्यन सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के 70 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, हालांकि उनके द्वारा अपना उपयोगी जीवन कार्यकाल भी पूर्ण कर लिया गया है। ऐसे समस्त पावर स्टेशनों बाबत अवमूल्यन को विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई दर पर प्रभारित किया जाना अनुज्ञेय किया जाता है जब तक संचयी अवमूल्यन सकल स्थाई परिसम्पत्तियों की 90 प्रतिशत दर तक नहीं पहुंच जाता।

4.35 उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में इस आदेश के अन्तर्गत स्टेशनवार अवमूल्यन की गणना को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

**तालिका 27 : इस आदेश में अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन**

**अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच- II**

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 141.12                | 141.12                | 141.12                |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 88.07                 | 94.15                 | 100.23                |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 62.41                 | 66.72                 | 71.03                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 4.31                  | 4.31                  | 4.31                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>6.08</b>           | <b>6.08</b>           | <b>6.08</b>           |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 94.15                 | 100.23                | 106.32                |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 66.72                 | 71.03                 | 75.34                 |

अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच- III

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 997.73                | 997.73                | 997.73                |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 150.90                | 195.40                | 239.90                |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 15.12                 | 19.58                 | 24.04                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 4.46                  | 4.46                  | 4.46                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>44.50</b>          | <b>44.50</b>          | <b>44.50</b>          |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 195.40                | 239.90                | 284.40                |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 19.58                 | 24.04                 | 28.50                 |

सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 621.72                | 621.72                | 621.72                |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 522.50                | 544.94                | 559.55                |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 84.04                 | 87.65                 | 90.00                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 3.61                  | 2.35                  | 0.00                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>22.44</b>          | <b>14.60</b>          | <b>0.00</b>           |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 544.94                | 559.55                | 559.55                |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 87.65                 | 90.00                 | 90.00                 |

संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच- I तथा II

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 2163.73               | 2163.73               | 2163.73               |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 1469.18               | 1560.71               | 1595.86               |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 67.90                 | 72.13                 | 73.75                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 4.23                  | 1.62                  | 1.62                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>91.53</b>          | <b>35.15</b>          | <b>35.15</b>          |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 1560.71               | 1595.86               | 1631.01               |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 72.13                 | 73.75                 | 75.38                 |

**संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच- III**

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 1935.89               | 1935.89               | 1935.89               |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 420.62                | 520.71                | 620.79                |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 21.72                 | 26.89                 | 32.06                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 5.17                  | 5.17                  | 5.17                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>100.09</b>         | <b>100.09</b>         | <b>100.09</b>         |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 520.71                | 620.79                | 720.88                |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 26.90                 | 32.07                 | 37.24                 |

**गांधी सागर**

| विवरण   | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल, स्थाई परिसम्पत्तियां                   | करोड़ रुपये | 10.29                 | 10.29                 | 10.29                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 9.03                  | 9.26                  | 9.26                  |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 87.76                 | 90.00                 | 90.00                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                | प्रतिशत     | 2.24                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>  | करोड़ रुपये | <b>0.23</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 9.26                  | 9.26                  | 9.26                  |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में   | प्रतिशत     | 90.00                 | 90.00                 | 90.00                 |

**पंच**

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 96.24                 | 96.24                 | 96.24                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 68.94                 | 70.45                 | 71.96                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 71.63                 | 73.20                 | 74.77                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 1.57                  | 1.57                  | 1.57                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>1.51</b>           | <b>1.51</b>           | <b>1.51</b>           |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 70.45                 | 71.96                 | 73.47                 |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 73.20                 | 74.77                 | 76.34                 |

राजघाट

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 82.80                 | 82.80                 | 82.80                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 41.10                 | 45.13                 | 49.16                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 49.64                 | 54.51                 | 59.38                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 4.87                  | 4.87                  | 4.87                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>4.03</b>           | <b>4.03</b>           | <b>4.03</b>           |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 45.13                 | 49.16                 | 53.20                 |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 54.51                 | 59.38                 | 64.25                 |

बरगी

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 87.03                 | 87.03                 | 87.03                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 57.25                 | 60.21                 | 63.17                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 65.78                 | 69.18                 | 72.58                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 3.40                  | 3.40                  | 2.18                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>2.96</b>           | <b>2.96</b>           | <b>1.90</b>           |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 60.21                 | 63.17                 | 65.07                 |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 69.18                 | 72.58                 | 74.77                 |

बाणसागर I से III

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 1243.92               | 1243.92               | 1243.92               |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 578.26                | 636.48                | 694.69                |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 46.49                 | 51.17                 | 55.85                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 4.68                  | 4.68                  | 4.68                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>58.22</b>          | <b>58.22</b>          | <b>58.22</b>          |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 636.48                | 694.69                | 752.91                |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 51.17                 | 55.85                 | 60.53                 |

**बाण सागर IV (झिन्ना)**

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 97.18                 | 97.18                 | 97.18                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 35.58                 | 40.48                 | 45.38                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 36.61                 | 41.65                 | 46.69                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 5.04                  | 5.04                  | 5.04                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>4.90</b>           | <b>4.90</b>           | <b>4.90</b>           |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 40.48                 | 45.38                 | 50.27                 |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 41.65                 | 46.69                 | 51.73                 |

**मढ़ीखेड़ा**

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 214.93                | 214.93                | 214.93                |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 53.06                 | 64.28                 | 75.50                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 24.69                 | 29.91                 | 35.13                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 5.22                  | 5.22                  | 5.22                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>11.22</b>          | <b>11.22</b>          | <b>11.22</b>          |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 64.28                 | 75.50                 | 86.72                 |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 29.91                 | 35.13                 | 40.35                 |

**बिरसिंहपुर जल विद्युत**

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 52.15                 | 52.15                 | 52.15                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 34.32                 | 35.99                 | 37.66                 |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 65.81                 | 69.01                 | 72.21                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 3.20                  | 3.20                  | 1.48                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>1.67</b>           | <b>1.67</b>           | <b>0.77</b>           |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 35.99                 | 37.66                 | 38.43                 |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 69.01                 | 72.21                 | 73.69                 |

**एमपीपीजीसीएल योग**

| विवरण  | इकाई        | वित्तीय वर्ष<br>13-14 | वित्तीय वर्ष<br>14-15 | वित्तीय वर्ष<br>15-16 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| वित्तीय वर्ष हेतु प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियां                     | करोड़ रुपये | 7744.73               | 7744.73               | 7744.73               |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन   | करोड़ रुपये | 3528.81               | 3878.18               | 4163.11               |
| प्रारंभिक संचयी अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में | प्रतिशत     | 45.56                 | 50.08                 | 53.75                 |
| वर्ष के दौरान प्रभारित की गई अवमूल्यन दर                                 | प्रतिशत     | 4.51                  | 3.68                  | 3.47                  |
| <b>अवमूल्यन राशि</b>   | करोड़ रुपये | <b>349.37</b>         | <b>284.92</b>         | <b>268.36</b>         |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन  | करोड़ रुपये | 3878.18               | 4163.11               | 4431.47               |
| अन्तिम संचित अवमूल्यन, सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में    | प्रतिशत     | 50.08                 | 53.75                 | 57.22                 |

4.36 उपरोक्त के संदर्भ में निम्न टिप्पणी की जाती है :

- (i) नियंत्रण अवधि के दौरान, गांधी सागर जल विद्युत स्टेशन तथा सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी का संचयी अवमूल्यन सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets) का 90 प्रतिशत पहुंच जाएगा।
- (ii) नियंत्रण अवधि के दौरान, पेंच, बरगी तथा बिरसिंहपुर जल विद्युत स्टेशनों का संचयी अवमूल्यन 70 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। अतएव, अवशेष अवमूल्यन को पावर स्टेशनों के अवशेष जीवनकाल की अवधि के अन्तर्गत प्रसारित किया जाएगा। संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 तथा 2 का अवमूल्यन भी वित्तीय वर्ष 2013-14 में 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है तथा इस पावर स्टेशन का अवशेष अवमूल्यन को अवशेष जीवनकाल में प्रसारित कर दिया गया है। इस प्रयोजन हेतु, विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 4.1(1)(i) के अनुसार विद्युत गृह की अंतिम इकाई को क्रियाशील किये जाने संबंधी तिथि (CoD) को पावर स्टेशन को क्रियाशील किये जाने की तिथि माना गया है।
- (iii) अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई, पीएच-2 द्वारा अपनी सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के 70 प्रतिशत से भी अधिक अवमूल्यन की प्रतिप्राप्ति (recovery) की जा चुकी है। इस ताप विद्युत स्टेशन द्वारा अपना उपयोगी जीवनकाल पूर्व से ही पूर्ण कर लिया गया है। अतएव, इस पावर स्टेशन के अवमूल्यन को विनियमों में निर्दिष्ट दर पर प्रभारित किये जाने को अनुज्ञेय किया जा चुका है जब तक संचयी अवमूल्यन (Cumulative Depreciation) सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के 90 प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता।

**प्रचालन तथा संधारण व्यय (Operation and Maintenance Expenses)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)**

4.37 याचिकाकर्ता द्वारा ताप विद्युत तथा जल विद्युत पावर स्टेशनों हेतु प्रचालन तथा संधारण व्ययों को विनियमों में निर्दिष्ट किये गये मानदण्डों के अनुसार निम्नानुसार दाखिल किया गया है :

तालिका 28 : याचिका में दाखिल किये गये प्रचालन तथा संधारण व्यय (राशि करोड़ रुपये में)

| पावर हाऊस का नाम                              | क्षमता मेगावाट में | वित्तीय वर्ष 2014 | वित्तीय वर्ष 2015 | वित्तीय वर्ष 2016 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II            | 240.00             | 64.10             | 69.19             | 74.66             |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III           | 210.00             | 38.20             | 41.22             | 44.50             |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I (100%)      | 312.50             | 67.56             | 72.91             | 78.69             |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन-पीएच-(II तथा III)  | 830.00             | 150.98            | 162.93            | 175.88            |
| <b>सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन-योग (100%)</b>  | <b>1142.50</b>     | <b>218.54</b>     | <b>235.84</b>     | <b>254.56</b>     |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-(I तथा II) | 840.00             | 152.80            | 164.89            | 178.00            |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन-पीएच III        | 500.00             | 68.55             | 74.00             | 79.85             |
| <b>ताप विद्युत (100%)</b>                     | <b>2932.50</b>     | <b>542.19</b>     | <b>585.14</b>     | <b>631.57</b>     |
| गांधी सागर (100%)                             | 115.00             | 12.91             | 13.94             | 15.05             |
| पेंच (100%)                                   | 160.00             | 17.97             | 19.39             | 20.94             |
| बिरसिंहपुर जल विद्युत                         | 20.00              | 2.25              | 2.42              | 2.62              |
| बाणसागर पीएच I, II तथा III                    | 405.00             | 45.48             | 49.09             | 53.01             |
| बाणसागर पीएच-IV                               | 20.00              | 2.25              | 2.42              | 2.62              |
| मढीखेड़ा                                      | 60.00              | 6.74              | 7.27              | 7.85              |
| बरगी  | 90.00              | 10.11             | 10.91             | 11.78             |
| राजघाट (100%)                                 | 45.00              | 5.05              | 5.45              | 5.89              |
| <b>जल विद्युत योग</b>                         | <b>915.00</b>      | <b>102.75</b>     | <b>110.90</b>     | <b>119.77</b>     |
| <b>योग (100%)</b>                             | <b>3847.50</b>     | <b>644.94</b>     | <b>696.04</b>     | <b>751.35</b>     |

#### विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of the Regulation)

4.38 विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 36 में ताप विद्युत स्टेशनों के प्रचालन तथा संधारण के संबंध में निम्न प्रावधान किया गया है :

#### “एमपीपीजीसीएल ताप विद्युत स्टेशनों के प्रचालन तथा संधारण व्यय

विद्यमान ताप विद्युत स्टेशनों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत, मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक तथा सामान्य (A&G) लागत। इन मानदण्डों में पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन व बकाया राशि (arrears), शासन को भुगतान योग्य कर, मप्रविनिआ को देय शुल्क सम्मिलित नहीं है। विद्युत उत्पादक कम्पनी शासन को देय दर (rate), भाड़ा (rent), शासन को देय कर (taxes), रसायनों (Chemicals) तथा उपभोज्य सामग्रियों (Consumables) की लागत तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा पृथक से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं को विनियम 26.5 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

ताप विद्युत इकाईयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड (रूपये लाख प्रति मेगावाट में)

| यूनिट (मेगावाट में) | वित्तीय वर्ष 13-14 | वित्तीय वर्ष 14-15 | वित्तीय वर्ष 15-16 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 62.5                | 21.62              | 23.33              | 25.18              |
| 120                 | 26.71              | 28.83              | 31.11              |
| 200/210/250         | 18.19              | 19.63              | 21.19              |
| 500                 | 13.71              | 14.80              | 15.9               |

4.39 इसके अतिरिक्त विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 50 में जल विद्युत स्टेशन के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

**“जल विद्युत ऊर्जा स्टेशनों के प्रचालन एवं संधारण व्यय**

विद्यमान जल विद्युत स्टेशनों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में शामिल होंगे, कर्मचारी लागत (employee expenses), मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक तथा सामान्य (A&G) लागत। इन मानदण्डों में कर्मचारियों को देय पेंशन, सेवान्त प्रसुविधाएं, प्रोत्साहन, बकाया राशि (Arrears) का भुगतान, शासन को देय कर तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क (Fees) शामिल नहीं है। विद्युत उत्पादक कम्पनी शासन को देय दर भाड़ा तथा करों की राशि रसायनों तथा उपभोग्य सामग्रियों का मूल्य, मप्रविनिआ को देय शुल्क तथा कर्मचारियों को को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं संबंधी दावों को विनियम 26.5 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

**जल विद्युत ऊर्जा स्टेशनों के प्रचालन एवं संधारण व्यय**

| वर्ष                 | प्रचालन एवं संधारण व्यय (रू. लाख प्रति मेगावाट में) |
|----------------------|---|
| वित्तीय वर्ष 2013-14 | 11.23   |
| वित्तीय वर्ष 2014-15 | 12.12   |
| वित्तीय वर्ष 2015-16 | 13.09   |

**आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)**

4.40 याचिकाकर्ता द्वारा ताप तथा जल विद्युत पावर स्टेशनों के संबंध में प्रचालन एवं संधारण व्यय विनियम, वर्ष 2012 के आधार पर दाखिल किये गये हैं।

4.41 दिनांक एक अप्रैल, 2013 की स्थिति में इकाईयों की मेगावाट क्षमता पर विचार करते हुए (सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 की इकाई-3 को छोड़कर) आयोग द्वारा प्रचालन एवं संधारण व्ययों की गणना ताप विद्युत तथा जल विद्युत पावर स्टेशनों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार की गई है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अनुमोदित प्रचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 29 : इस आदेश में स्वीकृत किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय

| सरल क्रमांक | पावर स्टेशन  | स्थापित क्षमता | अनुज्ञेय किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय |                      |                      |
|-------------|--|----------------|---|----------------------|----------------------|
|             |  |                | वित्तीय वर्ष 2013-14                      | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
|             |  |                | मेगावाट में                               | करोड़ रुपये में      | करोड़ रुपये में      |
| 1           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई पीएच-II           | 240.00         | 64.10                                     | 69.19                | 74.66                |
| 2           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई पीएच-III          | 210.00         | 38.20                                     | 41.22                | 44.50                |
| 3           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I                  | 250.00         | 54.05                                     | 58.33                | 62.95                |
| 4           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच-II तथा III   | 830.00         | 150.98                                    | 162.93               | 175.88               |
| 5           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल             | 1080.00        | 205.03                                    | 221.25               | 238.83               |
| 6           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II        | 840.00         | 152.80                                    | 164.89               | 178.00               |
| 7           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III 500 मेगावाट | 500.00         | 68.55                                     | 74.00                | 79.85                |
| 8           | गांधी सागर   | 115.00         | 12.91                                     | 13.94                | 15.05                |
| 9           | पेंच   | 160.00         | 17.97                                     | 19.39                | 20.94                |
| 10          | राजघाट   | 45.00          | 5.05                                      | 5.45                 | 5.89                 |
| 11          | बरगी   | 90.00          | 10.11                                     | 10.91                | 11.78                |
| 12          | बाणसागर I से III                                   | 405.00         | 45.48                                     | 49.09                | 53.01                |
| 13          | बाणसागर -IV (झिन्ना)                               | 20.00          | 2.25                                      | 2.42                 | 2.62                 |
| 14          | मढ़ीखेड़ा  | 60.00          | 6.74                                      | 7.27                 | 7.85                 |
| 15          | बिरसिंहपुर   | 20.00          | 2.25                                      | 2.42                 | 2.62                 |
| <b>योग</b>  |  | <b>3785.00</b> | <b>631.43</b>                             | <b>681.46</b>        | <b>735.61</b>        |

4.42 उपरोक्त दर्शाये गये मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता द्वारा शासन को भुगतान किये गये दर, भाड़ा तथा करों, रसायनों तथा उपभोज्य वस्तुओं की लागत तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क की वसूली मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्त) विनियम, 2012 के विनियम, 36 तथा 50 के अनुसार करने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

#### पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं से संबंधित व्यय (Pension and Terminal Benefit Expenses)

4.43 एमपीपीजीसीएल ने दायर की गई याचिका के पैरा 14.4 में निम्नानुसार निवेदन किया है :

“माननीय आयोग ने मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्त) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2012 {आरजी-26 (II) वर्ष 2012} की कण्डिका 36.1 में निर्दिष्ट किया है कि एमपीपीजीसीएल द्वारा शासन को देय भाड़ा, दरों तथा करों, रसायनों तथा उपभोज्य सामग्रियों की लागत पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं का भुगतान जैसे तथा जब वह प्रयोज्य हो, कर्मचारियों को देय बकाया राशि का दावा पृथक से किया जाएगा। एमपीपीजीसीएल द्वारा इसका दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तत्संबंधी वर्ष के संबंध में पृथक से सत्यापन के समय किया जाएगा।”

- 4.44 तत्पश्चात, एमपीपीजीसीएल ने अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण दिनांक 4 फरवरी, 2013 द्वारा 31 मार्च, 2012 की स्थिति में जीवनांकिक प्रतिवेदन अपने परामर्शी के माध्यम से लेखांकन मानकों 15 (आर) {Accounting Standards 15 (R)} की अर्हताओं के अनुसार सम्पन्न कराया गया।
- 4.45 मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कार्मिकों को पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार निम्नानुसार अभ्युक्ति की जाती है :
- (अ) विनियमों 3(2)(ii) तथा (iii) के अनुसार सेवान्त प्रसुविधाओं हेतु अंशदान बाबत, जीवनांकिक विश्लेषण मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी (एमपीपीजीसीएल) द्वारा समय-समय पर आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- (ब) एमपीपीटीसीएल विनियमों के अन्तर्गत पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधा ट्रस्ट फण्ड के उद्देश्य (intent) से इसके क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु समन्वयन अभिकरण (nodal agency) होगा।
- (स) एमपीपीटीसीएल को पेंशन एण्ड टर्मिनल बेनीफिट्स ट्रस्ट फण्डस की निधियों के प्रबंधन तथा संचालन से संबंधित समस्त विषयों के बारे में अन्य उत्तराधिकारी इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कर्मियों से भी समन्वयन करना होगा।
- (द) विनियम 3(2) (i) में संदर्भित ऐसे कर्मियों से संबंधित दायित्व जो दिनांक 1 जून, 2005 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) के माध्यम से (Pass through) ऐसी उत्तराधिकारी इकाईयों के संबंध में तत्संबंधी वर्ष हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा, जहां उनके द्वारा 1 जून, 2005 के उपरान्त सेवाएं प्रदान की गई हैं।
- (इ) एमपीपीटीसीएल तथा अन्य उत्तराधिकारी इकाईयों के संबंध में दायित्वों का आनुपातिक विभाजन (Apportionment) एमपीपीटीसीएल द्वारा निष्पादित जीवनांकिक विश्लेषण के माध्यम से अवधारित किये गये अनुसार किया जाएगा।
- 4.46 जहां तक मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाईयों के कर्मियों की पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के दायित्वों हेतु अंशदान के प्रावधान का संबंध है, यह प्रावधान केवल समुचित जीवनांकिक विश्लेषण के बाद ही किया जा सकता है जिस हेतु शीघ्र ही कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। तथापि, यह कार्यवाही ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा पृथक अभ्यास के बतौर, आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पादित की जाएगी। इस अभ्यास के परिणाम आयोग की स्वेच्छानुसार उपरोक्त संदर्भित विनियम के अनुसार विद्युत उत्पादन टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत प्रतिबिंबित किये जाएंगे।
- 4.47 उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु दिनांक 23 मार्च, 2013 को जारी अपने टैरिफ आदेश तथा याचिका क्रमांक 6/2013 के अन्तर्गत जारी बहुवर्षीय पारेषण टैरिफ आदेश में इस विषय के संबंध में, समुचित रूप से संव्यवहार किया गया है।

### विशेष रियायत (Special Allowance)

### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

याचिकाकर्ता ने मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया है :

- 4.48 सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी की 2 X 250 मेगावाट नवीन इकाईयों के क्रियाशील होने के शीघ्र उपरान्त, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन, सारनी, पीएच-1 की इकाईयों को बन्द किये जाने की योजना है। एमपीपीजीसीएल इन पांच इकाईयों के संबंध में इस विशेष रियायत की प्राप्ति हेतु विकल्प प्रदान करता है। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार तथा मानदण्ड के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 के दौरान विशेष रियायत रुपये 7.50 लाख प्रति मेगावाट प्रति वर्ष होगी तथा तत्पश्चात् इसमें वित्तीय वर्ष 2015 तथा वित्तीय वर्ष 2016 की टैरिफ अवधि के दौरान 7.93 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की जाएगी। इस मानदण्ड को सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 से संबंधित 5 इकाईयों में अनुप्रयोग द्वारा कुल विशेष रियायत की गणना को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

| पावर हाऊस                               | क्षमता<br>मेगावाट में | वित्तीय वर्ष<br>2014 | वित्तीय वर्ष<br>2015 | वित्तीय वर्ष<br>2016 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1(100%) | 312.50                | 23.44                | 25.30                | 27.30                |

#### विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of the Regulation)

- 4.49 विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 18.5 में विशेष रियायत के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

“एक विद्युत उत्पादक कम्पनी ‘जो इस विनियम की कण्डिका 18.4 के अन्तर्गत किसी अन्य विकल्प हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति करती है, उसे किसी उत्पादक स्टेशन की तत्संबंधी इकाईयों की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से संबंधित उपयोगी जीवनकाल की इकाईवार समाप्ति की तत्संबंधी तिथि के वर्ष 2013-14 के दौरान रु. 7.50 लाख/मेगावाट/वर्ष की दर से विशेष छूट प्रदान की जाएगी तथा तत्पश्चात् टैरिफ अवधि 2013-16 के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष से तथा उत्पादन स्टेशन की तत्संबंधी तिथि से प्रतिवर्ष 7.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी :

परंतु उक्त इकाई के संबंध में, जो दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में 25 वर्ष से अधिक की वाणिज्यिक प्रचालन अवधि पूर्ण कर चुकी हो, उसे यह छूट वर्ष 2013-14 से प्रदान की जाएगी ।

#### आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

- 4.50 उपरोक्त उल्लेखित विनियमों में यह प्रावधान किया गया है कि विद्युत उत्पादक कम्पनी ताप विद्युत उत्पादक स्टेशनों के प्रकरण में अपनी स्वेच्छानुसार, किसी इकाई के लिये या फिर इकाईयों के समूह हेतु व्ययों की अर्हताओं की आपूर्ति हेतु विशेष रियायत क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कर सकेगी जिनमें विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य (R & M Works) उनके उपयोगी जीवनकाल के उपरान्त भी शामिल हैं। ऐसे प्रकरण में, पूंजीगत लागत के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा तथा एक बार प्रस्तुत किये विकल्प को अन्तिम माना जाएगा ।
- 4.51 याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पिछले बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 3 मार्च, 2010 में सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 (5 x 62.5 मेगावाट) इकाईयों के लिये इस विकल्प का लाभ प्राप्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने विषयवस्तु से संबंधित याचिका में भी विनियम वर्ष 2012 के मानदण्डों के अनुसार सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 की इकाईयों बाबत विशेष भत्ते का दावा दाखिल किया है।

- 4.52 सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 की इकाई क्रमांक 3 को हाल ही में दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 को अ-क्रियाशील (de-commission) किया जा चुका है। अतएव इस इकाई के लिये विशेष रियायत को अनुज्ञेय नहीं किया गया है। विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 18.5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु विशेष रियायत रू. 7.50 लाख प्रति मेगावाट प्रति वर्ष है तथा तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2015-16 तक इसमें प्रति वर्ष 7.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई है।
- 4.53 तदनुसार, सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 हेतु रियायत की गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

**तालिका 30 : इस आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत की गई विशेष रियायत**

| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 की स्थापित क्षमता | वित्तीय वर्ष 2013-14        |                          | वित्तीय वर्ष 2014-15        |                          | वित्तीय वर्ष 2015-16        |                          |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|   | विशेष रियायत की प्रयोज्य दर | विशेष रियायत की कुल राशि | विशेष रियायत की प्रयोज्य दर | विशेष रियायत की कुल राशि | विशेष रियायत की प्रयोज्य दर | विशेष रियायत की कुल राशि |
| मेगावाट में   | लाख रूपये प्रति मेगावाट     | करोड़ रूपये में          | लाख रूपये प्रति मेगावाट     | करोड़ रूपये में          | लाख रूपये प्रति मेगावाट     | करोड़ रूपये में          |
| 250.00  | 7.50                        | 18.75                    | 8.09                        | 20.24                    | 8.74                        | 21.84                    |

**क्षतिपूर्ति रियायत (Compensation Allowance)**

**याचिका का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)**

- 4.54 याचिकाकर्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आयोग द्वारा मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2012 {आरजी-26(II), वर्ष 2012} के विनियम 36.2 के अन्तर्गत ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों के बारे में पूंजीगत प्रकार की (Capital Nature) लघु परिसम्पत्तियों की अर्हताओं की पूर्ति के बारे में अनुपातिक दर से "क्षतिपूर्ति रियायत (Compensation Allowance)" की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- 4.55 इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 तक के लिये एमपीपीजीसीएल के विभिन्न पावर स्टेशनों हेतु निम्न तालिका में दर्शायेनुसार क्षतिपूर्ति रियायत की राशि भी प्रस्तुत की गई है :

**तालिका 31 : याचिका के अन्तर्गत दाखिल की गई क्षतिपूर्ति रियायत (राशि करोड़ रूपये में)**

| पावर हाऊस                                  | क्षमता मेगावाट में | वित्तीय वर्ष 2014 | वित्तीय वर्ष 2015 | वित्तीय वर्ष 2016 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II         | 240.00             | 2.02              | 2.02              | 2.02              |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III        | 210.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I          | 312.50             | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II तथा III | 830.00             | 6.97              | 6.97              | 6.97              |
| <b>सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन योग</b>      | <b>1142.50</b>     | <b>6.97</b>       | <b>6.97</b>       | <b>6.97</b>       |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I       | 420.00             | 1.85              | 3.53              | 3.53              |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II      | 420.00             | 0.80              | 0.80              | 1.85              |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III     | 500.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>ताप विद्युत (100%)</b>                  | <b>2932.50</b>     | <b>11.63</b>      | <b>13.31</b>      | <b>14.36</b>      |

### विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulation)

4.56 क्षतिपूर्ति रियायत के बारे में विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 36.2 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

“कोयला आधारित अथवा लिग्नाईट प्रज्ज्वलित ताप ऊर्जा उत्पादक स्टेशनों हेतु पूंजीगत प्रकार (capital nature) की परिसम्पत्तियों हेतु उन्हें सम्मिलित करते हुए जो लघु प्रकार की हो, इकाईवार पृथक क्षतिपूर्ति रियायत निम्न विधि अनुसार उक्त वर्ष से जब उनके द्वारा 10.15 अथवा 20 वर्ष का उपयोगी जीवन कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया हो, अनुज्ञेय की जाएगी :

| प्रचालन वर्षों की संख्या | क्षतिपूर्ति रियायत (रु. लाख प्रति मेगावाट प्रति वर्ष में) |
|--------------------------|---|
| 0-10                     | निरंक   |
| 11-15                    | 0.19  |
| 16-20                    | 0.44  |
| 21-25                    | 0.84  |

### आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

4.57 आयोग ने अपने विनियम, 2012 के अन्तर्गत ताप विद्युत स्टेशनों के लिये क्षतिपूर्ति रियायत के संबंध में अनुमति उनके जीवन कार्यकाल पर निर्भर पूंजीगत प्रकार की नवीन परिसम्पत्तियों के संबंध में लघु परिसम्पत्तियों संबंधी में व्ययों की पूर्ति को शामिल करते हुए, प्रदान की गई है।

4.58 याचिकाकर्ता द्वारा ताप विद्युत इकाईयों के जीवनकाल पर आधारित क्षतिपूर्ति रियायत दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-1 की इकाईयों द्वारा विशेष रियायत का लाभ पूर्व में ही प्राप्त किया जा चुका है। अतएव, आयोग ने विनियम के अनुसार इस विद्युत गृह की इकाईयों हेतु क्षतिपूर्ति रियायत पर विचार नहीं किया है। ताप विद्युत गृहों के बारे में दिनांक 1 जनवरी, 2012 की स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किये गये इनके औसत जीवन कार्यकाल इस आदेश के पिछले परिच्छेदों में अन्यत्र दर्शाये गये हैं।

4.59 तदनुसार, पावर स्टेशनवार क्षतिपूर्ति रियायत ताप विद्युत स्टेशन के जीवन कार्यकाल तथा विनियम में निर्दिष्ट किये गये मानदण्डों पर आधारित इस आदेश में निम्नानुसार अनुज्ञेय की गई है :

#### तालिका 31 : ताप विद्युत स्टेशनों हेतु क्षतिपूर्ति रियायत

| पावर हाऊस                             | स्थापित क्षमता | क्रियाशील किये जाने की तिथि | क्षतिपूर्ति रियायत (करोड़ रूपयें में) |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                       | (मेगावाट में)  | वित्तीय वर्ष                | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II    | 240            | 1977-78                     | 2.02                                  | 2.02                 | 2.02                 |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II    | 410            | 1979-80                     | 3.44                                  | 3.44                 | 3.44                 |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III   | 420            | 1983-84                     | 3.52                                  | 3.52                 | 3.52                 |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I  | 420            | 1993-94                     | 1.85                                  | 3.52                 | 3.52                 |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II | 420            | 1998-99                     | 0.80                                  | 0.80                 | 1.85                 |
| <b>योग</b>                            | <b>1910</b>    |                             | <b>11.63</b>                          | <b>13.31</b>         | <b>14.35</b>         |

**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)**

याचिकाकर्ता द्वारा मोटे तौर पर निम्नानुसार निवेदन किया गया है :

4.60 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना कार्यकारी पूंजी तत्वों पर "मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्त) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2012 {आरजी-26(II), वर्ष 2012}" में कार्यकारी पूंजी के बारे में कार्यकारी पूंजी के मानदण्डों के अनुसरण में अवधारण किये गये अनुसार की गई है। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार-दर (Base Rate) अर्थात् 9.75 प्रतिशत + 3.5 प्रतिशत = 13.25 प्रतिशत ली गई है।

4.61 उपरोक्त माणदण्डों के आधार पर, पावर स्टेशनवार कार्यकारी पूंजी तथा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किये गये अनुसार निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

**तालिका 32 : याचिका में दाखिल किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (राशि करोड़ रुपये में)**

| पावर स्टेशन                                 | कार्यकारी पूंजी         |                         |                         | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 | वित्तीय वर्ष<br>2013-14  | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II          | 91.72                   | 93.80                   | 96.21                   | 12.15                    | 12.43                   | 12.75                   |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III         | 96.02                   | 96.41                   | 97.05                   | 12.72                    | 12.77                   | 12.86                   |
| <b>सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन</b>           | 541.33                  | <b>549.66</b>           | 559.86                  | 71.73                    | <b>72.83</b>            | 74.18                   |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | 632.30                  | 637.34                  | 644.96                  | 83.78                    | 84.45                   | 85.46                   |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III      | 399.76                  | 400.21                  | 401.69                  | 52.97                    | 53.03                   | 53.22                   |
| <b>ताप विद्युत</b>                          | <b>1761.12</b>          | <b>1777.41</b>          | <b>1799.76</b>          | <b>233.35</b>            | <b>235.51</b>           | <b>238.47</b>           |
| गांधी सागर                                  | 7.29                    | 7.85                    | 8.45                    | 0.97                     | 1.04                    | 1.12                    |
| पेंच  | 8.85                    | 9.43                    | 10.07                   | 1.17                     | 1.25                    | 1.33                    |
| बिरसिंहपुर                                  | 1.79                    | 1.87                    | 1.96                    | 0.24                     | 0.25                    | 0.26                    |
| बाण सागर पीएच-I, II तथा III                 | 43.95                   | 45.00                   | 46.73                   | 5.82                     | 5.96                    | 6.19                    |
| बाण सागर पीएच-IV                            | 4.12                    | 4.11                    | 4.10                    | 0.55                     | 0.55                    | 0.54                    |
| मढ़ीखेड़ा                                   | 8.49                    | 8.53                    | 8.59                    | 1.13                     | 1.13                    | 1.14                    |
| बरगी  | 7.72                    | 8.21                    | 8.73                    | 1.02                     | 1.09                    | 1.16                    |
| राजघाट                                      | 3.97                    | 4.16                    | 4.37                    | 0.53                     | 0.55                    | 0.58                    |
| <b>जल विद्युत योग</b>                       | <b>86.19</b>            | <b>89.18</b>            | <b>93.00</b>            | <b>11.42</b>             | <b>11.82</b>            | <b>12.32</b>            |
| <b>योग</b>                                  | <b>1847.30</b>          | <b>1866.59</b>          | <b>1892.76</b>          | <b>244.77</b>            | <b>247.32</b>           | <b>250.79</b>           |

**विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of Regulation)**

4.62 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज के संबंध में विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 27 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

“कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर जिसकी गणना विनियमों में आगे दर्शाई गई विधि द्वारा की जाना है, मानकीकृत आधार पर की जाएगी तथा इसकी गणना भारतीय स्टेट बैंक की सुसंगत वर्ष की 01 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की प्रयोज्य आधार दर में 3.5 प्रतिशत जोड़कर के समतुल्य दर पर की जाएगी। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानकीकृत आधार पर देय होगा, भले ही विद्युत उत्पादक कंपनी ने किसी बाहरी संस्था से ऋण लिया हो अथवा कार्यकारी पूंजीगत ऋण की तुलना में मानदण्डीय आधार पर आवश्यक कार्यकारी पूंजी ऋण से किसी प्रकार की वृद्धि की गई हो।”

4.63 इसके अतिरिक्त विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 37 में कोयला आधारित विद्युत ताप स्टेशनों हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

“कोयला आधारित विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु कार्यकारी पूंजी में निम्न लागतें शामिल होंगी :

(i) “कोयला की 45 दिवस की आवश्यकता के बराबर लागत जिनके उत्पादक स्टेशन खदान मुख (पिट-हैड) पर स्थित है तथा कोयले की दो माह की आवश्यकता के बराबर लागत जिनके उत्पादक स्टेशन खदान मुख पर स्थित नहीं है जो मानदण्डीय उपलब्धता (normative availability) के तत्संबंधी होंगी ;

(ii) द्वितीयक (सेकेडरी) ईंधन खनिज तेल की दो माह की आवश्यकता के बराबर लागत जो मानदण्डीय उपलब्धि के तत्संबंधी होगी :

परन्तु यह कि एक से अधिक द्वितीयक ईंधन खनिज तेल के प्रकरण में, ईंधन खनिज तेल भण्डार की लागत मुख्य द्वितीयक ईंधन खनिज तेल हेतु प्रदान की जाएगी।

(iii) संधारण कलपूर्जे, मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 20 प्रतिशत की दर से ; एवं

(iv) विद्युत के विक्रय हेतु दो माह की विद्युत के विक्रय हेतु क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्ति योग्य सामग्रियां, जिनकी गणना मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता (NAPAF) के आधार पर की जाएगी, तथा

(v) एक माह के बराबर प्रचालन तथा संधारण व्यय”

4.64 इसके अतिरिक्त, विनियम, 2012 के विनियम 51 में जल विद्युत स्टेशनों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

“कार्यकारी पूंजी में निम्न व्यय शामिल होंगे :

(i) संधारण कलपूर्जे, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से ;

(ii) दो माह की स्थाई लागत के बराबर प्राप्ति योग्य सामग्रियों की लागतें; तथा

(iii) एक माह के प्रचालन तथा संधारण व्यय।”

**आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)**

4.65 ताप विद्युत तथा जल विद्युत पावर स्टेशनों हेतु कार्यकारी पूंजी की गणना कार्यकारी पूंजी संबंधी उपरोक्त उल्लेखित मानदण्डों के आधार पर निम्नानुसार की गई है :

**(ए) कोयले की लागत (Coal Cost)**

ताप विद्युत स्टेशनों हेतु कोयले की लागत की गणना खदान-मुख (Pit-head) विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु 45 दिवस के लिये तथा गैर खदान-मुख विद्युत उत्पादन स्टेशनों हेतु दो माह के लिये, विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये प्रचालन मानदण्डों पर आधारित तथा कोयले के भारित औसत सकल उष्मीय मान (Weighted Average Gross Calorific Value) तथा पिछले तीन माह के दौरान कोयले की दर के आधार पर की गई है। अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-2 को खदान मुख कोयला आधारित स्टेशन माना गया है। कार्यकारी पूंजी की गणना हेतु पावर स्टेशनवार कोयले की गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

**तालिका 33 : कार्यकारी पूंजी हेतु कोयले की लागत**

| विवरण   | इकाई                         | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान   | किलोकैलोरी प्रति किलो ग्राम  | 4691                               | 3767                                | 3885                             | 3846  | 3846                                   |
| कोयले द्वारा प्रदत्त उष्मा का अंशदान  | किलोकैलोरी प्रति किलोवाट ऑवर | 3180                               | 2440                                | 2735                             | 2589  | 2415                                   |
| आपेक्षिक कोयला खपत (परिवहन में हानि को सम्मिलित करते हुए)                   | किलोग्राम प्रति किलोवाट ऑवर  | 0.6793                             | 0.6530                              | 0.7096                           | 0.6785                                      | 0.6330                                 |
| कोयले की वार्षिक आवश्यकता   | मीट्रिक टन में               | 928239                             | 1020998                             | 5126893                          | 3993931                                     | 2356618                                |
| कोयले का भण्डार (खदान मुख स्टेशन हेतु 45 दिवस तथा गैर खदान मुख हेतु दो माह) | मीट्रिक टन में               | 114440                             | 170166.3                            | 854482.23                        | 665655.226                                  | 392769.69                              |
| कोयले का भारित औसत मूल्य  | रुपये/मीट्रिक टन में         | 1884                               | 1377                                | 2176                             | 3754  | 3754                                   |
| उपरोक्त उल्लेखित कोयले के भण्डार का कुल मूल्य                               | करोड़ रुपये में              | <b>21.56</b>                       | <b>23.43</b>                        | <b>185.94</b>                    | <b>249.89</b>                               | <b>147.45</b>                          |

**(बी) द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत (Secondary Fuel Oil Cost)**

याचिकाकर्ता द्वारा द्वितीयक खनिज तेल की लागत को वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अधिप्राप्त किये गये खनिज तेल के आधार पर दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के पैरा 13.2 तथा 13.3 में अधिप्राप्त किये गये विभिन्न प्रकार के खनिज तेलों के विवरण प्रस्तुत किये गये हैं तथा द्वितीयक खनिज तेल की भारित औसत दर की गणना की गई है।

विनियम वर्ष 2012 के विनियम 37.1 में प्रावधान किया गया है कि एक से अधिक द्वितीयक ईंधन तेल के उपयोग के प्रकरण में, ईंधन तेल के भण्डार की लागत मुख्य द्वितीयक ईंधन तेल हेतु मानी जाएगी। तदनुसार, कार्यकारी पूंजी हेतु ईंधन तेल घटकों की गणना को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

**तालिका 34 : कार्यकारी पूंजी हेतु द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत**

| विवरण  | इकाई                           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III |
|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| खनिज तेल का भारत औसत सकल ऊष्मीय मान              | किलोकैलोरी प्रति लीटर          | 10,000                             | 10,000                              | 10,000                           | 10,000                                      | 10,000                                 |
| आपेक्षिक खनिज तेल खपत                            | किलोग्राम प्रति किलोवाट ऑवर    | 2.00                               | 1.00                                | 2.02                             | 1.15  | 1.00                                   |
| खनिज तेल द्वारा प्रदत्त ऊष्मा का अंशदान          | किलोकैलोरी / प्रति किलोवाट ऑवर | 20                                 | 10                                  | 20                               | 12  | 10                                     |
| खनिज तेल की वार्षिक आवश्यकता                     | किलोलीटर                       | 2733.1                             | 1563.7                              | 14619.93                         | 6769.73                                     | 3723                                   |
| दो माह हेतु खनिज तेल भण्डार                      | किलोलीटर                       | 455.52                             | 260.61                              | 2436.654                         | 1128.29                                     | 620.5                                  |
| फर्नेस तेल का भारत औसत मूल्य                     | रुपये / प्रति किलो लीटर में    | 43445                              | 43445                               | 47445                            | 47692                                       | 47692                                  |
| उपरोक्त उल्लेखित खनिज तेल के भण्डार का कुल मूल्य | करोड़ रुपये में                | <b>1.98</b>                        | <b>1.13</b>                         | <b>11.56</b>                     | <b>5.38</b>                                 | <b>2.96</b>                            |

**(सी) प्रचालन एवं संधारण व्यय (O & M Expenses)**

ताप विद्युत तथा जल विद्युत स्टेशनों की कार्यकारी पूंजी के संबंध में कुल प्रचालन एवं संधारण व्ययों में से एक माह के प्रचालन एवं संधारण व्ययों पर ही विचार किया गया है।

**(डी) संधारण कुलपुर्जे (Maintenance Spares)**

विनियमों के उपबन्धों के अनुसार ताप विद्युत तथा जल विद्युत स्टेशनों की कार्यकारी पूंजी के प्रयोजन हेतु संधारण कलपुर्जों की गणना इन हेतु क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत की दर से की गई है।

**(इ) प्राप्तियोग्य सामग्री (Receivables)**

ताप विद्युत स्टेशनों हेतु प्राप्तियोग्य सामग्री की गणना विद्युत क्रय के संबंध में क्षमता प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु दो माह के बराबर मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक (NAPAF) पर आधारित की गई है। जल विद्युत स्टेशनों हेतु प्राप्तियोग्य सामग्री दो माह के क्षमता (स्थाई) प्रभारों के बराबर होगी।

4.66 इस आदेश के अन्तर्गत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दिनांक 1 अप्रैल, 2012 की स्थिति में (10.00 प्रतिशत + 3.50 प्रतिशत) अर्थात् 13.50 प्रतिशत भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर के बराबर माना गया है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु कार्यकारी पूंजी पर पावर स्टेशनवार ब्याज की गणना निम्न तालिकाओं में दर्शायेनुसार की गई है :

तालिका 35 : इस आदेश के अन्तर्गत अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज

**अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II**

| विवरण   | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| खदान मुख पावर स्टेशनों हेतु 45 दिवस के कोयला भण्डार की लागत | करोड़ रुपये में | 21.56                   | 21.56                   | 21.56                   |
| दो माह के खजिन तेल भण्डार की लागत                           | करोड़ रुपये में | 1.98                    | 1.98                    | 1.98                    |
| प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 5.34                    | 5.77                    | 6.22                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 20 प्रतिशत  | करोड़ रुपये में | 12.82                   | 13.84                   | 14.93                   |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                           | करोड़ रुपये में | 47.14                   | 47.92                   | 48.77                   |
| कुल कार्यकारी पूंजी   | करोड़ रुपये में | 88.84                   | 91.06                   | 93.46                   |
| ब्याज दर  | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                    | करोड़ रुपये में | <b>11.99</b>            | <b>12.29</b>            | <b>12.62</b>            |

**अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III**

| विवरण   | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| खदान मुख पावर स्टेशनों हेतु 45 दिवस के कोयला भण्डार की लागत | करोड़ रुपये में | 23.43                   | 23.43                   | 23.43                   |
| दो माह के खजिन तेल भण्डार की लागत                           | करोड़ रुपये में | 1.13                    | 1.13                    | 1.13                    |
| प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 3.18                    | 3.44                    | 3.71                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 20 प्रतिशत  | करोड़ रुपये में | 7.64                    | 8.24                    | 8.90                    |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                           | करोड़ रुपये में | 57.85                   | 57.51                   | 57.22                   |
| कुल कार्यकारी पूंजी   | करोड़ रुपये में | 93.24                   | 93.75                   | 94.39                   |
| ब्याज दर  | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                    | करोड़ रुपये में | <b>12.59</b>            | <b>12.66</b>            | <b>12.74</b>            |

**सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल**

| विवरण   | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| खदान मुख पावर स्टेशनों हेतु 45 दिवस के कोयला भण्डार की लागत | करोड़ रुपये में | 185.94                  | 185.94                  | 185.94                  |
| दो माह के खजिन तेल भण्डार की लागत                           | करोड़ रुपये में | 11.56                   | 11.56                   | 11.56                   |
| प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 17.09                   | 18.44                   | 19.90                   |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 20 प्रतिशत  | करोड़ रुपये में | 41.01                   | 44.25                   | 47.765                  |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                           | करोड़ रुपये में | 255.99                  | 257.78                  | 258.68                  |
| कुल कार्यकारी पूंजी   | करोड़ रुपये में | 511.58                  | 517.97                  | 523.84                  |
| ब्याज दर  | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                    | करोड़ रुपये में | <b>69.06</b>            | <b>69.93</b>            | <b>70.72</b>            |

संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II

| विवरण   | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| खदान मुख पावर स्टेशनों हेतु 45 दिवस के कोयला भण्डार की लागत | करोड़ रुपये में | 249.89                  | 249.89                  | 249.89                  |
| दो माह के खजिन तेल भण्डार की लागत                           | करोड़ रुपये में | 5.38                    | 5.38                    | 5.38                    |
| प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 12.73                   | 13.74                   | 14.83                   |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 20 प्रतिशत  | करोड़ रुपये में | 30.56                   | 32.98                   | 35.599                  |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                           | करोड़ रुपये में | 327.88                  | 320.69                  | 323.19                  |
| कुल कार्यकारी पूंजी   | करोड़ रुपये में | 626.44                  | 622.68                  | 628.89                  |
| ब्याज दर  | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                    | करोड़ रुपये में | <b>84.57</b>            | <b>84.06</b>            | <b>84.90</b>            |

संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III

| विवरण   | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| खदान मुख पावर स्टेशनों हेतु 45 दिवस के कोयला भण्डार की लागत | करोड़ रुपये में | 147.45                  | 147.45                  | 147.45                  |
| दो माह के खजिन तेल भण्डार की लागत                           | करोड़ रुपये में | 2.96                    | 2.96                    | 2.96                    |
| प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 5.71                    | 6.17                    | 6.65                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 20 प्रतिशत  | करोड़ रुपये में | 13.71                   | 14.80                   | 15.970                  |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                           | करोड़ रुपये में | 219.05                  | 218.08                  | 217.18                  |
| कुल कार्यकारी पूंजी   | करोड़ रुपये में | 388.88                  | 389.45                  | 390.21                  |
| ब्याज दर  | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                    | करोड़ रुपये में | <b>52.50</b>            | <b>52.58</b>            | <b>52.68</b>            |

गांधी सागर

| विवरण  | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| प्रचालन एवं संधारण व्यय-एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 1.08                    | 1.16                    | 1.25                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 15 प्रतिशत | करोड़ रुपये में | 1.94                    | 2.09                    | 2.26                    |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                          | करोड़ रुपये में | 2.39                    | 2.53                    | 2.73                    |
| कुल कार्यकारी पूंजी  | करोड़ रुपये में | 5.41                    | 5.79                    | 6.24                    |
| ब्याज दर   | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                   | करोड़ रुपये में | <b>0.73</b>             | <b>0.78</b>             | <b>0.84</b>             |

पंच

| विवरण  | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| प्रचालन एवं संधारण व्यय-एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 1.50                    | 1.62                    | 1.75                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 15 प्रतिशत | करोड़ रुपये में | 2.70                    | 2.91                    | 3.14                    |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                          | करोड़ रुपये में | 4.18                    | 4.43                    | 4.70                    |
| कुल कार्यकारी पूंजी  | करोड़ रुपये में | 8.37                    | 8.96                    | 9.59                    |
| ब्याज दर   | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                   | करोड़ रुपये में | <b>1.13</b>             | <b>1.21</b>             | <b>1.29</b>             |

राजघाट

| विवरण  | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| प्रचालन एवं संधारण व्यय-एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 0.42                    | 0.45                    | 0.49                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 15 प्रतिशत | करोड़ रुपये में | 0.76                    | 0.82                    | 0.88                    |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                          | करोड़ रुपये में | 2.23                    | 2.30                    | 2.38                    |
| कुल कार्यकारी पूंजी  | करोड़ रुपये में | 3.41                    | 3.58                    | 3.75                    |
| ब्याज दर   | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                   | करोड़ रुपये में | <b>0.46</b>             | <b>0.48</b>             | <b>0.51</b>             |

बरगी

| विवरण  | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| प्रचालन एवं संधारण व्यय-एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 0.84                    | 0.91                    | 0.98                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 15 प्रतिशत | करोड़ रुपये में | 1.52                    | 1.64                    | 1.77                    |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                          | करोड़ रुपये में | 2.97                    | 3.11                    | 3.09                    |
| कुल कार्यकारी पूंजी  | करोड़ रुपये में | 5.33                    | 5.66                    | 5.83                    |
| ब्याज दर   | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                   | करोड़ रुपये में | <b>0.72</b>             | <b>0.76</b>             | <b>0.79</b>             |

बाणसागर (I तथा III):

| विवरण  | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| प्रचालन एवं संधारण व्यय-एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 3.79                    | 4.09                    | 4.42                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 15 प्रतिशत | करोड़ रुपये में | 6.82                    | 7.36                    | 7.95                    |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                          | करोड़ रुपये में | 27.96                   | 28.42                   | 29.11                   |
| कुल कार्यकारी पूंजी  | करोड़ रुपये में | 38.58                   | 39.87                   | 41.48                   |
| ब्याज दर   | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                   | करोड़ रुपये में | <b>5.21</b>             | <b>5.38</b>             | <b>5.60</b>             |

**बाणसागर-IV (झिन्ना)**

| विवरण  | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| प्रचालन एवं संधारण व्यय-एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 0.19                    | 0.20                    | 0.22                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 15 प्रतिशत | करोड़ रुपये में | 0.34                    | 0.36                    | 0.39                    |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                          | करोड़ रुपये में | 2.46                    | 2.41                    | 2.36                    |
| कुल कार्यकारी पूंजी  | करोड़ रुपये में | 2.98                    | 2.97                    | 2.97                    |
| ब्याज दर   | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                   | करोड़ रुपये में | <b>0.40</b>             | <b>0.40</b>             | <b>0.40</b>             |

**मढ़ीखेड़ा :**

| विवरण  | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| प्रचालन एवं संधारण व्यय-एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 0.56                    | 0.61                    | 0.65                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 15 प्रतिशत | करोड़ रुपये में | 1.01                    | 1.09                    | 1.18                    |
| प्राप्तियोग्य सामग्री दो-माह हेतु                          | करोड़ रुपये में | 5.84                    | 5.73                    | 5.63                    |
| कुल कार्यकारी पूंजी  | करोड़ रुपये में | 7.41                    | 7.43                    | 7.46                    |
| ब्याज दर   | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                   | करोड़ रुपये में | <b>1.00</b>             | <b>1.00</b>             | <b>1.01</b>             |

**बिरसिंहपुर :**

| विवरण  | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| प्रचालन एवं संधारण व्यय-एक माह हेतु                        | करोड़ रुपये में | 0.19                    | 0.20                    | 0.22                    |
| कलपुर्जे-मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का 15 प्रतिशत | करोड़ रुपये में | 0.34                    | 0.36                    | 0.39                    |
| प्राप्तियोग्य सामग्री-दो माह हेतु                          | करोड़ रुपये में | 1.09                    | 1.12                    | 1.01                    |
| कुल कार्यकारी पूंजी  | करोड़ रुपये में | 1.62                    | 1.69                    | 1.62                    |
| ब्याज दर   | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                                   | करोड़ रुपये में | <b>0.22</b>             | <b>0.23</b>             | <b>0.22</b>             |

**एमपीपीजीसीएल योग :**

| विवरण   | इकाई            | वित्तीय वर्ष<br>2013-14 | वित्तीय वर्ष<br>2014-15 | वित्तीय वर्ष<br>2015-16 |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ताप विद्युत स्टेशनों हेतु कोयला भंडार की लागत | करोड़ रुपये में | 628.26                  | 628.26                  | 628.26                  |
| दो माह के खनिज तेल भंडार की लागत              | करोड़ रुपये में | 23.01                   | 23.01                   | 23.01                   |
| प्रचालन एवं संधारण व्यय-एक माह हेतु           | करोड़ रुपये में | 52.62                   | 56.79                   | 61.30                   |
| संधारण कलपुर्जे                               | करोड़ रुपये में | 121.15                  | 130.75                  | 141.13                  |
| प्राप्तियोग्य सामग्री दो माह                  | करोड़ रुपये में | 957.04                  | 952.04                  | 956.04                  |
| कुल कार्यकारी पूंजी                           | करोड़ रुपये में | 1782.08                 | 1790.85                 | 1809.74                 |
| ब्याज दर                                      | प्रतिशत में     | 13.50%                  | 13.50%                  | 13.50%                  |
| कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                      | प्रतिशत में     | <b>240.58</b>           | <b>241.76</b>           | <b>244.32</b>           |

**द्वितीयक खनिज तेल खपत पर व्यय (Expenses on Secondary Fuel Oil Consumption)**

**याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)**

4.67 याचिकाकर्ता द्वारा मानदण्डीय आपेक्षिक खनिज तेल खपत (SFC) तथा मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) से संसुबद्ध द्वितीयक खनिज तेल खपत से संबंधित व्यय की गणना मप्रविनिआ के विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 38 के अनुसार की गई है। वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान द्वितीयक खनिज तेल पर होने वाले व्यय तत्संबंधी ताप विद्युत स्टेशनों हेतु भारत औसत आगमित मूल्य वित्तीय वर्ष 2013 के विभिन्न महीनों के दौरान क्रय किये गये द्वितीयक खनिज तेल की दर पर आधारित हैं।

4.68 याचिकाकर्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चर्च हेतु द्वितीयक तेल पिछली बार माह जुलाई 2012 में वित्तीय वर्ष के दौरान (माह नवम्बर 2012 तक की अवधि हेतु) क्रय किया गया था। अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन, चर्च हेतु भारत औसत आगमित मूल्य (Landed price)/द्वितीयक ईंधन तेल के दर की गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

**तालिका 36 :**

| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन | फ्यूल आईल (Fuel Oil)        |                     |                    | लाईट डीजल आईल (Light Diesel Oil) |                     |                    | भारत औसत द्वितीयक तेल (Wt Average Secondary Oil) |                     |                    |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
|                            | दर रुपये प्रति किलोलीटर में | मात्रा किलोलीटर में | लागत लाख रुपये में | दर रुपये प्रति किलोलीटर में      | मात्रा किलोलीटर में | लागत लाख रुपये में | दर रुपये प्रति किलोलीटर में                      | मात्रा किलोलीटर में | लागत लाख रुपये में |
| जुलाई 2012                 | 43444.52                    | 2173.42             | 944.23             | 56736.76                         | 756.29              | 429.09             | 46875.85   | 2929.71             | 1373.33            |
| <b>योग</b>                 | <b>43444.52</b>             | <b>2173.42</b>      | <b>944.23</b>      | <b>56736.76</b>                  | <b>756.29</b>       | <b>429.09</b>      | <b>46875.85</b>                                  | <b>2929.71</b>      | <b>1373.33</b>     |

4.69 सतपुड़ा विद्युत स्टेशन पर वास्तविक क्रयों पर आधारित भारत औसत आगमित मूल्य/द्वितीयक खनिज तेल की दर पिछले तीन माह, अर्थात् सितम्बर 2012, अक्टूबर 2012, तथा नवम्बर 2012 की गणना को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

**तालिका 37 :**

| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन | फ्यूल आईल (Fuel Oil)        |                     |                    | लाईट डीजल आईल (Light Diesel Oil) |                     |                    | भारत औसत द्वितीयक तेल (Wt Average Secondary Oil) |                     |                    |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
|                            | दर रुपये प्रति किलोलीटर में | मात्रा किलोलीटर में | लागत लाख रुपये में | दर रुपये प्रति किलोलीटर में      | मात्रा किलोलीटर में | लागत लाख रुपये में | दर रुपये प्रति किलोलीटर में                      | मात्रा किलोलीटर में | लागत लाख रुपये में |
| सितम्बर 2012               | 46808.13                    | 5757.10             | 2694.79            | 45184.66                         | 465.20              | 210.20             | 46686.75   | 6222.30             | 2904.99            |
| अक्टूबर 2012               | 48717.52                    | 2879.67             | 1402.90            | 51236.00                         | 196.86              | 100.86             | 48878.67   | 3076.53             | 1503.76            |
| नवम्बर 2012                | 0.00                        | 0.00                | 0.00               | 51235.94                         | 175.37              | 89.85              | 51235.94   | 175.37              | 89.85              |
| <b>योग</b>                 | <b>47444.76</b>             | <b>8636.77</b>      | <b>4097.69</b>     | <b>47874.37</b>                  | <b>837.42</b>       | <b>400.91</b>      | <b>47482.73</b>                                  | <b>9474.19</b>      | <b>4498.60</b>     |

4.70 संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, बिरसिंहपुर पर वास्तविक क्रय पर आधारित भारित औसत आगमित मूल्य/द्वितीयक ईंधन तेल की दर पिछले तीन महीनों, अर्थात् सितम्बर 2012, अक्टूबर 2012, तथा नवम्बर 2012 हेतु को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

**तालिका 38 :**

| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन | फ्यूल आईल (Fuel Oil)        |                     |                    | लाइट डीजल आईल (Light Diesel Oil) |                     |                    | द्वितीयक तेल (Secondary Oil) |                     |                    |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
|                               | दर रुपये प्रति किलोलीटर में | मात्रा किलोलीटर में | लागत लाख रुपये में | दर रुपये प्रति किलोलीटर में      | मात्रा किलोलीटर में | लागत लाख रुपये में | दर रुपये प्रति किलोलीटर में  | मात्रा किलोलीटर में | लागत लाख रुपये में |
| सितम्बर 2012                  | 46386.33                    | 2116.47             | 981.75             | 61567.22                         | 820.66              | 505.26             | 50628.00                     | 2937.13             | 1487.01            |
| अक्टूबर 2012                  | 49116.52                    | 1938.65             | 952.20             | 66459.73                         | 1011.68             | 672.36             | 55063.58                     | 2950.33             | 1624.56            |
| नवम्बर 2012                   | 0.00                        | 0.00                | 0.00               | 0.00                             | 0.00                | 0.00               | 0.00                         | 0.00                | 0.00               |
| <b>योग</b>                    | <b>47691.56</b>             | <b>4055.12</b>      | <b>1933.95</b>     | <b>64268.50</b>                  | <b>1832.34</b>      | <b>1177.62</b>     | <b>52850.76</b>              | <b>5887.46</b>      | <b>3111.57</b>     |

4.71 उपरोक्त तालिकाओं के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 से वित्तीय वर्ष 2016 हेतु, दाखिल किये गये भारित औसत द्वितीयक तेल का मूल्य/दर तथा मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज तेल खपत (SFC) व स्टेशनवार द्वितीयक ईंधन तेल की लागत को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

**तालिका 39 : याचिका के अन्तर्गत दाखिल की गई द्वितीयक ईंधन तेल खपत की लागत (करोड़ रुपये में)**

| पावर हाऊस का नाम                            | द्वितीयक ईंधन खनिज तेल खपत की लागत |                      |                      |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|   | वित्तीय वर्ष 2013-14               | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच- II         | 12.81                              | 12.81                | 12.85                |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III         | 7.33                               | 7.33                 | 7.35                 |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल            | 73.91                              | 73.91                | 74.11                |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | 35.78                              | 35.78                | 35.78                |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III      | 19.68                              | 19.68                | 19.73                |
| <b>योग</b>                                  | <b>149.51</b>                      | <b>149.51</b>        | <b>149.82</b>        |

**विनियम संबंधी प्रावधान (Provisions of the Regulation)**

4.72 द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत के संबंध में, विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 38 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

“द्वितीयक ईंधन खनिज-तेल पर व्ययों की गणना रूपयों में, जो विनियम 35 में विनिर्दिष्ट मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज तेल खपत से तत्संबंधी होगी, निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$SFC \times LPSFi \times NAPAF \times 24 \times NDY \times IC \times 10$$

जहां,

- SFC* - मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज-तेल खपत मि.लीटर/किलोवाट ऑवर में
- LPSFi* - द्वितीयक ईंधन का भारत औसत आगमित मूल्य रुपये प्रति मि. लीटर में, जिसे प्रारंभिक माना जावेगा
- NAPAF* - मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता, प्रतिशत में
- NDY* - एक वर्ष में दिवस संख्या
- IC* - स्थापित क्षमता, मेगावाट में

प्रारंभिक तौर पर, विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा द्वितीयक ईंधन तेल पर व्यय की गई आगमित लागत (landed cost) पिछले तीन माह की भारत औसत लागत के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होगी तथा पिछले तीन माह की आगमित लागत के अभाव में, यह उत्पादक स्टेशन हेतु वर्ष के प्रारंभ से पूर्व का अंतिम अधिप्राप्ति मूल्य (Procurement Price) होगी।

टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के अंत में, द्वितीयक ईंधन खनिज-तेल व्यय ईंधन मूल्य समायोजन के अध्यधीन निम्न सूत्र के अनुसार होंगे ;

$$SFC \times NAPAF \times 24 \times NDY \times IC \times 10 \times (LPSFy-i.PSF_i)$$

जहां,

*LPSFy* - द्वितीयक ईंधन खनिज तेल का वर्ष हेतु औसत आगमित मूल्य रुपये प्रति मि. लीटर में,

#### आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

- 4.73 याचिकाकर्ता ने द्वितीयक ईंधन तेल की खपत को विनियम, वर्ष 2012 में अधिसूचित मानदण्डों तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के विभिन्न महीनों के दौरान तत्संबंधी ताप विद्युत स्टेशनों हेतु क्रय किये गये द्वितीयक ईंधन तेल के औसत आगमित मूल्य/दर के अनुसार दाखिल किया है।
- 4.74 आयोग के दैनिक आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2013 के माध्यम से याचिकाकर्ता को माह सितम्बर से नवम्बर, 2012 के दौरान क्रय किये गये ईंधन तेल के संबंध में सहायक अभिलेख (जैसे कि बिल/इन्वॉयस) मय खनिज तेल के वास्तविक सकल ऊष्मीय मूल्य (GCV) के दाखिल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। इसके प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2013 के माध्यम से पावर स्टेशनवार क्रय किये गये ईंधन तेल से संबंधित अभिलेख, विभिन्न प्रकार के खनिज तेल (जैसे कि एफओ, एचएसडी, एलडीओ) से संबंधित दर तथा पिछले तीन माह के दौरान द्वितीयक खनिज तेल की भारत औसत दर दर्शाते हुए प्रस्तुत किये गये।

- 4.75 द्वितीयक ईंधन खनिज तेल के सकल ऊष्मीय मान मूल्य के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रचलित बीआईएस : 1593-1982 तथा 1988 एवं आईएस : 1460 के अनुरूप प्रत्याभूत तकनीकी विवरणों की अनुसूची दाखिल की गई है जैसी कि यह फर्नेस आईल, हाई स्पीड डीजल तथा लाईट डीजल हेतु औसत ऊष्मीय मान 10000 किलोकैलोरी/किलोग्राम, के रूप में प्रयोज्य दर्शाई गई है।
- 4.76 तदनुसार, इस आदेश में पावर स्टेशनवार ईंधन तेल व्ययों की गणना विनियम, वर्ष 2012 के मानदण्डों तथा याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई भारित औसत दर के आधार पर निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

**तालिका 40 : इस आदेश में अनुज्ञेय की गई द्वितीयक ईंधन की लागत**

| पावर स्टेशन                                 | वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु खनिज तेल की लागत |             |                     |                                      |                    |                          |                  |
|---|--|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
|   | क्षमता   | NAPAF       | सकल विद्युत उत्पादन | मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज तेल खपत | ईंधन तेल की मात्रा | भारित औसत ईंधन तेल की दर | ईंधन तेल की लागत |
|   | मेगावाट में  | प्रतिशत में | मिलियन यूनिट में    | मिली/किलोवाट ऑवर में                 | किलोलीटर में       | रुपये/किलो लीटर में      | रुपये करोड़ में  |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II          | 240  | 65.00       | 1366.56             | 2.00                                 | 2,733.12           | 46876                    | 12.81            |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III         | 210  | 85.00       | 1563.66             | 1.00                                 | 1,563.66           | 46876                    | 7.33             |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल            | 1080   | 76.37       | 7224.99             | 2.02                                 | 14,619.93          | 47483                    | 69.42            |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | 840  | 80.00       | 5886.72             | 1.150                                | 6,769.73           | 52851                    | 35.78            |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III      | 500  | 85.00       | 3723.00             | 1.00                                 | 3,723.00           | 52851                    | 19.68            |
| <b>योग</b>                                  |  |             |                     |                                      |                    |                          | <b>145.02</b>    |

- 4.77 विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 38.2 में दर्शाये गये सूत्र में टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष के अन्त में ईंधन लागत समायोजन के अध्यक्षीन द्वितीयक ईंधन तेल की लागत को ध्यान में रखा गया है।

**मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (Normative Annual Plant Availability Factor-NAPAF)**

- 4.78 विनियम, वर्ष 2012 के अनुसार ताप विद्युत तथा जल विद्युत स्टेशनों के बारे में सम्पूर्ण क्षमता (स्थाई) प्रभारों की वसूली हेतु मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) पर विचार किया जाएगा। विनियम, वर्ष 2012 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की नियंत्रण अवधि हेतु पावर स्टेशनवार मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 41 : मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) (प्रतिशत में)

| सरल क्रमांक               | पावर स्टेशन  | वित्तीय वर्ष 2014 से 2016 हेतु NAPAF |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>ताप विद्युत स्टेशन</b> |  |                                      |
| 1                         | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II                   | 65.00                                |
| 2                         | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III                  | 85.00                                |
| 3                         | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल               | 76.37                                |
| 4                         | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II          | 80.00                                |
| 5                         | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III (500 मेगावाट) | 85.00                                |
| <b>जल विद्युत स्टेशन</b>  |  |                                      |
| 6                         | गांधी सागर   | 85.00                                |
| 7                         | पेंच   | 85.00                                |
| 8                         | राजघाट   | 85.00                                |
| 9                         | बरगी   | 85.00                                |
| 10                        | बाणसागर संकुल (सिलपारा को छोड़कर)                    | 85.00                                |
| 11                        | सिलपारा  | 90.00                                |
| 12                        | मढ़ीखेड़ा  | 85.00                                |
| 13                        | बिरसिंहपुर जल विद्युत                                | 85.00                                |

**वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभारों की संक्षेपिका {(Summary of Annual Capacity (Fixed) Charges)}**

4.79 इस आदेश के अन्तर्गत नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष हेतु अनुज्ञेय किये गये पावर स्टेशनवार वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभारों की संक्षेपिका को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 42 : इस आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये वार्षिक क्षमता (स्थायी) प्रभारों की संक्षेपिका

**अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                       | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थायी प्रभार |                      |                      |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
|                                   |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                   | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                 | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 5.19                                   | 5.19                 | 5.19                 |
| 2                                 | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 5.74                                   | 5.04                 | 4.34                 |
| 3                                 | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 6.08                                   | 6.08                 | 6.08                 |
| 4                                 | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 64.10                                  | 69.19                | 74.66                |
| 5                                 | द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत                     | 12.81                                  | 12.81                | 12.81                |
| 6                                 | क्षतिपूर्ति/विशेष रियायत                           | 2.02                                   | 2.02                 | 2.02                 |
| 7                                 | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 11.99                                  | 12.29                | 12.62                |
| <b>कुल क्षमता (स्थायी) प्रभार</b> |  | <b>107.93</b>                          | <b>112.62</b>        | <b>117.72</b>        |

अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 34.63                                 | 34.63                | 34.63                |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 69.25                                 | 64.13                | 59.00                |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 44.50                                 | 44.50                | 44.50                |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 38.20                                 | 41.22                | 44.50                |
| 5                                | द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत                     | 7.33                                  | 7.33                 | 7.33                 |
| 6                                | क्षतिपूर्ति/विशेष रियायत                           | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 12.59                                 | 12.66                | 12.74                |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>206.50</b>                         | <b>204.47</b>        | <b>202.70</b>        |

सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 28.68                                 | 28.68                | 28.68                |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 22.44                                 | 14.60                | 0.00                 |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 205.03                                | 221.25               | 238.83               |
| 5                                | द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत                     | 69.42                                 | 69.42                | 69.42                |
| 6                                | क्षतिपूर्ति/विशेष रियायत                           | 25.72                                 | 27.21                | 28.81                |
| 7                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 69.06                                 | 69.93                | 70.72                |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>420.35</b>                         | <b>431.09</b>        | <b>436.45</b>        |

संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 100.61                                | 100.61               | 100.61               |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 91.53                                 | 35.15                | 35.15                |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 152.80                                | 164.89               | 178.00               |
| 5                                | द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत                     | 35.78                                 | 35.78                | 35.78                |
| 6                                | क्षतिपूर्ति/विशेष रियायत                           | 2.65                                  | 4.33                 | 5.38                 |
| 7                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 84.57                                 | 84.06                | 84.90                |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>467.93</b>                         | <b>424.82</b>        | <b>439.81</b>        |

**एमपीपीजीसीएल बहुवर्षीय टैरिफ आदेश : वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 हेतु**

**संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 85.81                                 | 85.81                | 85.81                |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 103.01                                | 91.66                | 80.31                |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 100.09                                | 100.09               | 100.09               |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 68.55                                 | 74.00                | 79.85                |
| 5                                | द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत                     | 19.68                                 | 19.68                | 19.68                |
| 6                                | क्षतिपूर्ति/विशेष रियायत                           | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 7                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 52.50                                 | 52.58                | 52.68                |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>429.63</b>                         | <b>423.81</b>        | <b>418.41</b>        |

**गांधी सागर :**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 0.48                                  | 0.48                 | 0.48                 |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 0.23                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 12.91                                 | 13.94                | 15.05                |
| 5                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 0.73                                  | 0.78                 | 0.84                 |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>14.35</b>                          | <b>15.20</b>         | <b>16.38</b>         |

**पंच जल विद्युत स्टेशन :**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 4.47                                  | 4.47                 | 4.47                 |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 1.51                                  | 1.51                 | 1.51                 |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 17.97                                 | 19.39                | 20.94                |
| 5                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 1.13                                  | 1.21                 | 1.29                 |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>25.08</b>                          | <b>26.59</b>         | <b>28.22</b>         |

**राजघाट जल विद्युत स्टेशन :**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 3.85                                  | 3.85                 | 3.85                 |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 4.03                                  | 4.03                 | 4.03                 |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 5.05                                  | 5.45                 | 5.89                 |
| 5                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 0.46                                  | 0.48                 | 0.51                 |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>13.40</b>                          | <b>13.82</b>         | <b>14.28</b>         |

**बरगी जल विद्युत स्टेशन :**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 4.05                                  | 4.05                 | 4.05                 |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 2.96                                  | 2.96                 | 1.90                 |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 10.11                                 | 10.91                | 11.78                |
| 5                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 0.72                                  | 0.76                 | 0.79                 |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>17.83</b>                          | <b>18.68</b>         | <b>18.52</b>         |

**बाणसागर I से II**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 57.84                                 | 57.84                | 57.84                |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 1.04                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 58.22                                 | 58.22                | 58.22                |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 45.48                                 | 49.09                | 53.01                |
| 5                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 5.21                                  | 5.38                 | 5.60                 |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>167.78</b>                         | <b>170.53</b>        | <b>174.67</b>        |

**बाणसागर- IV (झिन्ना)**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 4.65                                  | 4.65                 | 4.65                 |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 2.57                                  | 2.08                 | 1.60                 |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 4.90                                  | 4.90                 | 4.90                 |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 2.25                                  | 2.42                 | 2.62                 |
| 5                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 0.40                                  | 0.40                 | 0.40                 |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>14.76</b>                          | <b>14.45</b>         | <b>14.16</b>         |

**मढीखेड़ा जल विद्युत स्टेशन**

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूंजी पर प्रतिलाभ                                  | 7.03                                  | 7.03                 | 7.03                 |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूंजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 9.03                                  | 7.85                 | 6.66                 |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 11.22                                 | 11.22                | 11.22                |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 6.74                                  | 7.27                 | 7.85                 |
| 5                                | कार्यकारी पूंजी पर ब्याज                           | 1.00                                  | 1.00                 | 1.01                 |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>35.02</b>                          | <b>34.37</b>         | <b>33.77</b>         |

बिरसिंहपुर जल विद्युत स्टेशन

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूँजी पर प्रतिलाभ                                  | 2.43                                  | 2.43                 | 2.43                 |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूँजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 0.00                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 1.67                                  | 1.67                 | 0.77                 |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 2.25                                  | 2.42                 | 2.62                 |
| 5                                | कार्यकारी पूँजी पर ब्याज                           | 0.22                                  | 0.23                 | 0.22                 |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>6.56</b>                           | <b>6.75</b>          | <b>6.03</b>          |

तालिका 43 : शीर्ष वार कुल लागत

(राशि करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक                      | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1                                | पूँजी पर प्रतिलाभ                                  | 339.71                                | 339.71               | 339.71               |
| 2                                | ऋण पर ब्याज (आधिक्य पूँजी पर ब्याज को सम्मिलित कर) | 190.64                                | 170.76               | 151.91               |
| 3                                | अवमूल्यन/अवक्षयण                                   | 349.37                                | 284.92               | 268.36               |
| 4                                | प्रचालन एवं संधारण व्यय                            | 631.43                                | 681.46               | 735.61               |
| 5                                | द्वितीयक ईंधन खनिज तेल की लागत                     | 145.02                                | 145.02               | 145.02               |
| 6                                | क्षतिपूर्ति/विशेष रियायत                           | 30.38                                 | 33.55                | 36.21                |
| 7                                | कार्यकारी पूँजी पर ब्याज                           | 240.58                                | 241.76               | 244.32               |
| <b>कुल क्षमता (स्थाई) प्रभार</b> |  | <b>1927.13</b>                        | <b>1897.18</b>       | <b>1921.13</b>       |

तालिका 44 : पावर स्टेशनवार स्थाई लागत

(करोड़ रुपये में)

| सरल क्रमांक | विवरण  | स्वीकृत किये गये वार्षिक स्थाई प्रभार |                      |                      |
|-------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|             |  | वित्तीय वर्ष 2013-14                  | वित्तीय वर्ष 2014-15 | वित्तीय वर्ष 2015-16 |
| 1           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-II)           | 107.93                                | 112.62               | 117.72               |
| 2           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई (पीएच-III)          | 206.50                                | 204.47               | 202.70               |
| 3           | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी संकुल               | 420.35                                | 431.09               | 436.45               |
| 4           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-I तथा II)        | 467.93                                | 424.82               | 439.81               |
| 5           | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन (पीएच-III) 500 मेगावाट | 429.63                                | 423.81               | 418.41               |
| 6           | गांधी सागर   | 14.35                                 | 15.20                | 16.38                |
| 7           | पेंच   | 25.08                                 | 26.59                | 28.22                |
| 8           | राजघाट   | 13.40                                 | 13.82                | 14.28                |
| 9           | बरगी   | 17.83                                 | 18.68                | 18.52                |
| 10          | बाणसागर (I से III)                                   | 167.78                                | 170.53               | 174.67               |
| 11          | बाणसागर-IV (झिन्ना)                                  | 14.76                                 | 14.45                | 14.16                |
| 12          | मढीखेड़ा   | 35.02                                 | 34.37                | 33.77                |
| 13          | बिरसिंहपुर   | 6.56                                  | 6.75                 | 6.03                 |
| 14          | <b>योग</b>   | <b>1927.13</b>                        | <b>1897.18</b>       | <b>1921.13</b>       |

- 4.80 याचिकाकर्ता द्वारा वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों की वसूली ताप विद्युत स्टेशनों हेतु मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम 2012 के विनियम 40.2 तथा 40.3 तथा जल विद्युत स्टेशनों हेतु विनियम 53 के अनुसार की जाएगी। बाणसागर-IV (झिन्ना) हेतु अन्तिम टैरिफ आदेश वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतएव, याचिकाकर्ता को इस जल विद्युत स्टेशन हेतु क्षमता (स्थाई) प्रभारों की वसूली की अनुमति इस आदेश के अन्तर्गत अवधारित वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों की केवल 95 प्रतिशत सीमा तक प्रावधिक आधार पर प्रदान की जाती है जो अन्तिम टैरिफ आदेश के अन्तर्गत अवधारित भूतलक्षी समायोजन (retrospective adjustment) के अध्यक्षीन होगी।

## अध्याय-5

### ऊर्जा प्रभार (परिवर्तन प्रभार) तथा अन्य प्रभार {Energy Charges (Variable Charge) and Other Charges}

#### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

- 5.1 याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि ऊर्जा प्रभार (परिवर्तनीय प्रभार) में मुख्य ईंधन लागतें शामिल हैं तथा इनका भुगतान कलेण्डर माह के दौरान हितग्राहियों को प्रदाय की जाने वाली निर्धारित की गई कुल ऊर्जा पर आयोग द्वारा अनुमोदित परिवर्तनीय प्रभार दरों पर एक्स-ऊर्जा संयंत्र आधार पर भुगतान योग्य होगा। ऊर्जा प्रभार दर का अवधारण तीन दशमलव स्थानों तक पूर्ण कर रूपये प्रति किलोवाट ऑवर की दर पर विनियम वर्ष 2012 के विनियम 41.2 के अनुसार किया जाएगा। ऊर्जा प्रभारों की गणना करते समय माह सितम्बर 2012 में नवम्बर, 2012 तक कोयले के उपगत (incurred) आगमित मूल्य तथा पावर स्टेशनवार पर कोयले की भारत औसत दर पर विचार किया गया है। याचिकाकर्ता ने ऊर्जा प्रभारों हेतु प्रचालन मानदण्डों पर विचार विनियम, वर्ष 2012 के अनुसार किया है।
- 5.2 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता ने एक्स-बस पावर स्टेशनवार ऊर्जा प्रभारों को निम्न तालिका में दर्शायेनुसार दाखिल किया है :

तालिका 45 : याचिका में दाखिल किये गये ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर में)

| पावर स्टेशन                               | वित्तीय वर्ष 2014 | वित्तीय वर्ष 2015 | वित्तीय वर्ष 2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II        | 142.233           | 142.233           | 142.233           |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III       | 99.919            | 99.919            | 99.919            |
| सतपुडा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I          | 178.195           | 178.195           | 178.195           |
| सतपुडा ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II तथा III | 168.257           | 168.257           | 168.257           |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I      | 279.776           | 279.776           | 279.776           |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II     | 280.100           | 280.100           | 280.100           |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III    | 252.839           | 252.839           | 252.839           |

#### विनियम संबंधी प्रावधान (Provision of the Regulation) :

- 5.3 ताप विद्युत स्टेशनों के ऊर्जा प्रभारों (परिवर्तनीय प्रभारों) की गणना हेतु मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2012 के विनियम 41 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

“ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में मुख्य ईंधन लागतें शामिल होंगी तथा ये एक्स-विद्युत संयंत्र आधार पर एक कलेण्डर माह के दौरान एक ऐसे हितग्राही को प्रदाय की जाने वाली कुल अनुसूचित की गई ऊर्जा पर विनिर्दिष्ट परिवर्तनीय प्रभार दर [ईंधन मूल्य समायोजन (FPA) के साथ] के अनुसार भुगतान योग्य होंगी।

‘ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों, का अवधारण रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में एक्स-विद्युत संयंत्र आधार पर, तीन दशमलव स्थानों तक निम्न सूत्र के अनुसार किया जाएगा :

(i) कोयला प्रज्ज्वलित स्टेशनों हेतु

$$ECR = (GHR - SFC \times CVSF) \times LPPF \times 100 / \{ CVPF (100 - AUX) \}$$

जहां,

AUX - मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, प्रतिशत में

ECR - प्रेषित की गई (sent out) ऊर्जा प्रभार दर, प्रेषित रूपये प्रति किलो वाट ऑवर

GHR - मानदण्डीय सकल स्टेशन ऊष्मा दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवर में

SFC - मानदण्डीय आपेक्षिक ईंधन खनिज-तेल खपत, मि. लीटर/किलोवाट ऑवर में

CVSF - द्वितीयक ईंधन का उष्मित मान किलो लीटर/मि. लीटर में

LPPF - प्राथमिक ईंधन का भारित औसत आगमित मूल्य (Landed price) रूपये प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर अथवा प्रति मानक घन मीटर में, जैसा कि वह माह के दौरान प्रयोज्य हों

CVPF - प्रज्ज्वलित किया गया प्राथमिक ईंधन का सकल उष्मित मान, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, प्रति लीटर अथवा प्रति मानक घन मीटर में,

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादक कम्पनी द्वारा सकल उष्मित मान (GCV) के मानदण्डीय विवरण तथा ईंधन अर्थात् घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला (e-auction coal), तरल ईंधन आदि की कीमत, घरेलू कोयले के आयातित कोयले के साथ मिश्रण का अनुपात (blending ratio), ई-नीलामी, कोयले के आयातित हितग्राहियों को बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों में अंतर संबंधी विवरण तथा तत्संबंधी माह के देयकों के विवरण प्रदान किये जाएंगे।

परन्तु यह भी कि देयकों की एक प्रति तथा वास्तविक सकल उष्मित मान (GCV) तथा ईंधन अर्थात् घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला (e-auction coal), तरल ईंधन आदि की कीमत, घरेलू कोयले के आयातित कोयले के साथ मिश्रण का अनुपात (blending ratio), ई-नीलामी कोयले का अनुपात, विद्युत उत्पादक कम्पनी की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किये जाएंगे। उपरोक्त विवरण कम्पनी के वेबसाईट पर तीन माह की अवधि हेतु मासिक आधार पर उपलब्ध कराये जाएंगे।

माह हेतु परिवर्तनीय प्रभार की गणना नियमित की जाने वाली एक्स-बस अनुसूचित ऊर्जा के आधार पर निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

परिवर्तनीय प्रभार दर (रूपये/किलोवाट ऑवर में)  $x$  माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) किलोवाट ऑवर, में, जो अनुसूचित उत्पादन से तत्संबंधी है।”

### आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

- 5.4 ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों में मुख्य ईंधन लागतों को शामिल किया जाएगा तथा इनका भुगतान कलेण्डर माह के दौरान हितग्राहियों को निर्धारित प्रदाय की जाने वाली कुल ऊर्जा पर भुगतान योग्य होगा। कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों हेतु, कोयला ही मुख्य ईंधन होगा तथा प्रति यूनिट कोयले का मूल्य ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभार होगा।
- 5.5 नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु ताप विद्युत स्टेशनों हेतु, प्रचालन मानदण्ड के विवरण जैसा कि इन्हें विनियम, वर्ष 2012 में अधिसूचित किया गया है, को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 46 : प्रचालन मापदण्डों हेतु मानदण्ड

| पावर स्टेशन                | इकाई                         | प्रचालन मापदण्डों हेतु मानदण्ड     |                                     |                                  |   |  |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
|                            |                              | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III |
| सकल स्टेशन ऊष्मा दर        | किलोकैलोरी प्रति किलोवाट आवर | 3200                               | 2450                                | 2755                             | 2600  | 2425                                   |
| आपेक्षिक ईंधन खनिज तेल खपत | मिली/किलोवाट ऑवर             | 2.00                               | 1.00                                | 2.02                             | 1.15  | 1.00                                   |
| सहायक ऊर्जा खपत            | प्रतिशत में                  | 10.00                              | 9.00                                | 9.73                             | 9.00  | 6.00                                   |
| परिवहन हानि                | प्रतिशत में                  | 0.20                               | 0.80                                | 0.80                             | 0.80  | 0.80                                   |

- 5.6 याचिकाकर्ता द्वारा पिछले तीन माह अर्थात् माह सितम्बर से माह नवम्बर 2012 तक के पावर स्टेशनवार कोयले के आगमित मूल्य को दाखिल किया गया तथा पावर स्टेशनवार कोयले की भारित औसत दर की गणना की गई। याचिकाकर्ता द्वारा माह सितम्बर से माह नवम्बर, 2012 हेतु पावर स्टेशनवार भारित औसत कोयले के सकल ऊष्मीय मान (GCV) को भी दाखिल किया गया। दाखिल किये गये कोयले की भारित औसत दर तथा भारित औसत सकल ऊष्मीय मान के विवरण निम्न तालिकाओं में दर्शाये गये हैं :

तालिका 47 : कोयले की भारित औसत दर रूपये प्रति मीट्रिक टन में

| पावर स्टेशन                         | माह सितम्बर 2012 | माह अक्टूबर 2012 | माह नवम्बर 2012 | कोयले का भारित औसत दर |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II  | 1883             | 1884             | 1887            | 1884                  |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III | 1337             | 1383             | 1411            | 1377                  |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल    | 2110             | 2169             | 3831            | 2176                  |
| संजयगांधी ताप विद्युत स्टेशन संकुल  | 4037             | 3484             | 3831            | 3754                  |

तालिका 48 : कोयले की भारत औसत दर रुपये प्रति मीट्रिक टन में

| पावर स्टेशन                         | माह सितम्बर | माह अक्टूबर 2012 | माह नवम्बर 2012 | कोयले का भारत औसत दर सकल ऊष्मीय मान |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II  | 4620        | 4750             | 4710            | <b>4691</b>                         |
| अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III | 3730        | 3780             | 3790            | <b>3767</b>                         |
| सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल    | 3856        | 3943             | 3854            | <b>3885</b>                         |
| संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन संकुल | 3858        | 3806             | 3879            | <b>3846</b>                         |

5.7 दैनिक आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2013 के माध्यम से, आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को विभिन्न विवरण दाखिल करने के निर्देश दिये गये। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2013 के माध्यम से अपने प्रत्युत्तर में मुद्देवार प्रतिक्रिया दाखिल की गई जिस पर चर्चा इस आदेश के प्रतिक्रियात्मक इतिहास शीर्षक के अन्तर्गत की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किये गये प्रत्युत्तर के अवलोकन पर निम्नानुसार अभ्युक्ति की जाती है :

- अ. सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी में माह नवम्बर, 2012 में कोयले की अधिक दर के बारे में यह पाया गया है कि टंकण में त्रुटि के कारण इसे रु. 3831 प्रति मीट्रिक टन उल्लेखित किया गया है जिसे रु. 2225 प्रति मीट्रिक टन पढ़ा जाना चाहिए।
- ब. परिवहन तथा हस्तालन हानियों (Transit and Handling Losses) के बारे में याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि परिवहन तथा हस्तालन हानियां कोयले के भारत औसत मूल्य में अन्तर्निहित (embedded) नहीं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह उल्लेख भी किया गया कि तत्संबंधी ताप विद्युत स्टेशनों हेतु एक्सबस ऊर्जा प्रभारों के दर की गणना में परिवहन तथा हस्तालन हानियों के प्रभाव को मानदण्डीय आधार पर माना गया है।
- स. याचिकाकर्ता द्वारा समस्त ताप विद्युत स्टेशनों हेतु भारत औसत सकल ऊष्मीय मान की गणना के विवरण, मय पावर स्टेशनवार मासिक कोयला विश्लेषण प्रतिवेदनों के कोयले के सकल ऊष्मीय मान को दर्शाते हुए प्रस्तुत किये गये हैं।
- द. याचिकाकर्ता द्वारा संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, बिरसिंहपुर हेतु कोयले की विभिन्न श्रेणियों (grades) का माहवार विस्तृत विभाजन मय इसकी दर तथा मासिक कोयला विश्लेषण प्रतिवेदन के प्रस्तुत किया गया है।
- ई. एमपीपीजीसीएल, द्वारा भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ताप विद्युत स्टेशनों में इसकी कमी को पूरा करने की दृष्टि से कोल इण्डिया लिमिटेड के जुड़ाव (linkage) के अतिरिक्त आयातित कोयले की अधिप्राप्ति भी की जा रही है। याचिकाकर्ता द्वारा विदेशी मूल के कोयले के बारे में प्रत्याभूत आधार मानदण्ड निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| अ | सकल ऊष्मीय मान (Gross Calorific Value) (ADB) | 6300 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम |
| ब | राखड़ की मात्रा (Ash Content) (ADB)          | 10%                             |
| स | गंधक की मात्रा (Sulphur Content) (ADB)       | 0.8%                            |
| द | कुल नमी (Total Moisture) (ARB)               | 14%                             |

- 5.8 उपरोक्त टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई पावर स्टेशनवार कोयले की भारित औसत दर तथा कोयले के भारित औसत सकल ऊष्मीय मान को ऊर्जा प्रभारों की गणना हेतु माना गया है। याचिकाकर्ता ने इस बात की भी पुष्टि की है कि परिवहन तथा हस्तालन हानि कोयले के भारित औसत मूल्य में अन्तर्निहित (embedded) नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि तत्संबंधी पावर स्टेशन हेतु एक्स बस ऊर्जा प्रभारों की गणना करते समय मानदण्डीय आधार पर परिवहन तथा हस्तालन हानियों के प्रभाव पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, आयोग द्वारा इस आदेश के अन्तर्गत ऊर्जा प्रभारों की गणना करते समय मानदण्डीय परिवहन तथा हस्तालन हानियों पर विचार किया गया है।
- 5.9 तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पावर स्टेशन वार ऊर्जा प्रभारों की गणना को निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

**तालिका : 49 ऊर्जा प्रभार**

| स.क्रं | विवरण   | इकाई                      | वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2015-16 |                                     |                                  |   |  |
|--------|---|---------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
|        |   |                           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-II           | अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III | सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-I तथा II | संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच-III |
| 1      | क्षमता  | मेगावाट में               | 240  | 210                                 | 1080.00                          | 840   | 500                                    |
| 2      | मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (NAPAF) | प्रतिशत में               | 65.00  | 85.00                               | 76.37                            | 80.00                                       | 85.00                                  |
| 3      | सकल स्टेशन उष्मा दर                             | किलोकैलोरी / किलोवाट ऑवर  | 3200   | 2450                                | 2755                             | 2600  | 2425                                   |
| 4      | आपेक्षिक ईंधन तेल खपत                           | मिली / किलोवाट ऑवर        | 2.00   | 1.00                                | 2.02                             | 1.15  | 1.00                                   |
| 5      | सहायक ऊर्जा खपत                                 | प्रतिशत में               | 10.00  | 9.00                                | 9.73                             | 9.00  | 6.00                                   |
| 6      | परिवहन तथा हस्तालन हानियां                      | प्रतिशत में               | 0.20   | 0.80                                | 0.80                             | 0.80  | 0.80                                   |
| 7      | खनिज तेल का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान            | किलोकैलोरी / लीटर         | 10,000                                       | 10,000                              | 10,000                           | 10,000                                      | 10,000                                 |
| 8      | कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मीय मान               | किलोकैलोरी / किलोग्राम    | 4691   | 3767                                | 3885                             | 3846  | 3846                                   |
| 9      | कोयले का भारित औसत मूल्य                        | रूपये प्रति मीट्रिक टन    | 1884   | 1377                                | 2176                             | 3754  | 3754                                   |
| 10     | खनिज तेल से ऊष्मा का अंशदान                     | किलो कैलोरी / किलोवाट ऑवर | 20   | 10                                  | 20                               | 12  | 10                                     |

|    |   |                           |              |              |              |              |              |
|----|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 | कोयले से ऊष्मा का अंशदान                      | किलो कैलोरी / किलोवाट ऑवर | 3180         | 2440         | 2735         | 2589         | 2415         |
| 12 | आपेक्षिक कोयला खपत                            | किलोग्राम / किलोवाट आवर   | 0.6779       | 0.6477       | 0.7039       | 0.6730       | 0.6279       |
| 13 | आपेक्षिक कोयला खपत परिवहन हानि को सम्मिलित कर | किलोग्राम / किलोवाट ऑवर   | 0.6793       | 0.6530       | 0.7096       | 0.6785       | 0.6330       |
| 14 | ऊर्जा प्रभारों की दर                          | रूपये किलोवाट ऑवर         | 1.280        | 0.899        | 1.544        | 2.547        | 2.376        |
| 15 | एक्स-बस ऊर्जा प्रभार दर                       | रूपये किलोवाट ऑवर         | <b>1.422</b> | <b>0.988</b> | <b>1.711</b> | <b>2.799</b> | <b>2.528</b> |

- 5.10 ऊर्जा प्रभारों की आधार दर, तथापि माह दर माह वास्तविक ईंधन मूल्य तथा कोयले के वास्तविक सकल ऊष्मीय मान (GCV) के समायोजन के अध्यक्षीन होंगी।
- 5.11 उपरोक्त कथित ऊर्जा प्रभारों की गणना कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना के प्रयोजन से की गई है। ऊर्जा प्रभारों की वास्तविक बिलिंग विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 41 में निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार तथा अन्य उपबन्धों के अनुसार की जाएगी। ऊर्जा प्रभारों की गणना के प्रयोजन से कोयले के भारित औसत आगमित मूल्य की गणना विनियम, वर्ष 2012 के विनियम 41.4 के आधार पर की जाएगी। याचिकाकर्ता को विनियम, वर्ष 2012 के विनियम, 41.2 के परन्तुक के परिपालन तथा कोयले से संबंधित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अद्यतन किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं।
- 5.12 जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों से संबंधित ऊर्जा प्रभारों की वसूली विनियम, वर्ष 2012 के विनियमों 53.4 से 53.7 के अनुसार की जाएगी।

### अन्य प्रभार (Other Charges)

#### याचिकाकर्ता का प्रस्तुतिकरण (Petitioner's Submission)

- 5.13 मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2013-14 वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु आयोग को भुगतान योग्य शुल्क को मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड तथा प्रभार) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2010 {आरजी-21 (1) वर्ष 2010} के अनुसार दाखिल किया है। याचिकाकर्ता द्वारा मप्र शासन को देय जल प्रभारों की गणना भी जल संसाधन विभाग, मप्र शासन के ताप विद्युत तथा जल विद्युत स्टेशनों के संबंध में पृथक-पृथक की गई है। वित्तीय वर्ष 2013-14, वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पावर स्टेशनवार मप्रविनिआ शुल्क तथा जल प्रभारों का सविस्तार वर्णन याचिका के पैरा 14.6 में किया गया है।
- 5.14 इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने यह निवेदन भी किया है कि आयोग द्वारा "मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2012 {आरजी-26 (2) वर्ष 2012} के विनियम 36.1 में निर्दिष्ट किया है कि भाड़ा, दरों, तथा शासन को देय करों से संबंधित व्यय, रसायनों तथा उपभोज्य सामग्री की लागत, पेंशन, तथा टर्मिनल प्रसुविधाएं, जैसा तथा जब ये देय होंगे, कर्मचारियों को देय बकाया राशि के भुगतान का दावा पृथक से किया जाएगा।

एमपीपीजीसीएल द्वारा इनका दावा वास्तविक व्ययों के आधार पर तत्संबंधी वर्षों का सत्यापन करते समय किया जाएगा।

- 5.15 एमपीपीजीसीएल ने निवेदन किया है कि वर्तमान टैरिफ याचिका में गैर-टैरिफ आय का प्रक्षेपण नहीं किया गया है तथा इसके उपचार के संबंध में विचार तत्संबंधी वर्षों का सत्यापन करते समय वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा।

**आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis) :**

- 5.16 याचिकाकर्ता द्वारा मप्रविनिआ को भुगतान योग्य शुल्क तथा मप्र शासन को देय जल प्रभारों का दावा याचिका में अन्य प्रभारों से संबंधित शीर्षक अन्तर्गत किया है। याचिकाकर्ता को टैरिफ अवधारण हेतु उसके द्वारा मप्रविनिआ को भुगतान किये गये शुल्क तथा मप्र सरकार द्वारा निर्धारित उपयोग प्रभारों (usage charges) के आधार पर जल प्रभारों की वसूली आनुपातिक दर से अपने हितग्राहियों से विनियम के अन्तर्गत उपबन्धों के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 5.17 याचिकाकर्ता को दर, भाड़ा, शासन को देय करों, रसायनों तथा उपयोज्य सामग्री, मप्रविनिआ को भुगतान योग्य शुल्कों के भुगतान की वसूली मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन एवं शर्त) विनियम 2012 के विनियम 36 तथा 50 के अनुसार अंकक्षित लेखों के सत्यापन के अध्यक्षीन की जाती है।

////////////////////